बुधवार,
१२ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

	पृष्ठ भाग
बुधवार, १२ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३३९९–३४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३४४६–३४७०
बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	३४७१–३५१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	३५१७–३५४२
शुक्रवार, १४ मई, १९५४	
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	३५४३
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१	३५४३–३५९२
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३	३५९२–३५९६
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६	३५९७–३६०१
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२	३६०१–३६१०
बुधवार, १९ मई, १९५४	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३६११
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४	३६११–३६१४
शुक्रवार, २१ मई, १९५४	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७	३६१५–३६२४

भारत संसद

बुधवार १२ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सूत

*२४०८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को सूत का आवंटन करने की प्रणाली अभी तक चालू है ;

(ख) क्या सूत के मूल्य तथा वितरण पर से नियंत्रण बिल्कुल हटा दिया गया है ; तथा

(ग) सूत के उत्पादन, स्थानीय खपत तथा वितरण के सम्बन्ध में इस समय स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६९**]

श्री एस० एन० दास : प्रश्न के भाग (ख) से उत्पन्न होते हुए अभी तक किस प्रकार का नियंत्रण किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : भाग (ख) के उत्तर में कि क्या नियंत्रण को बिल्कुल हटा दिया गया है, मैंने उत्तर में "हां" कहा था ।

श्री एस० एन० दास : इस समय सूत के औसत उत्पादन तथा स्थानीय खपत सम्बन्धी आंकड़े तदनुवर्ती पिछली अवधि की तुलना में क्या हैं ?

श्री करमरकर : मैं माननीय मित्र को आंकड़े बता सकता हूं । असैनिक खपत के लिये दिये गये सूत के आंकड़े इस प्रकार थे । वर्ष १९५१ में २९१,४७३,००० पौंड, १९५२ में ३६५,२१९,००० पौंड तथा १९५३ में ३९७,३८१,००० पौंड ।

श्री एस० एन० दास : पिछले वर्षों में औसत मासिक निर्यात कितना था ?

श्री करमरकर : हमने १९५१ में निर्यात के लिये १९,१५४,००० पौंड सूत रखा था तथा सन् १९५२ में यह मात्रा ८,७८५,००० पौंड और सन् १९५३ में १५,६६४,००० पौंड थी ।

श्री बंसल : क्या सभी राज्य सूत की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से स्वावलम्बी हैं, तथा यदि नहीं हैं, तो कमी वाले राज्य कौन से हैं ।

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र को भी उतना ही पता है जितना कि मुझे है। परन्तु मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं। सभी राज्य स्वावलम्बी नहीं हैं।

प्रादेशिक समितियां

***२४०९. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गवेषणा कार्यक्रम के लिये प्रादेशिक समितियां स्थापित कर दी गई हैं ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो स्थापित की गई इन प्रादेशिक समितियों की संख्या कितनी है, अथवा कितनी समितियों को स्थापित करने का विचार है और उनके काम के क्षेत्र क्या होंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). जी हां। ऐसी दो समितियां हैं। एक तो उत्तरी क्षेत्र के लिये है जिसमें पंजाब, पेप्सू, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, आसाम, पश्चिमी बंगाल, मध्यभारत तथा उड़ीसा शामिल हैं। दूसरी समिति दक्षिणी क्षेत्र के लिये है जिसमें देश का शेष भाग शामिल है।

पंडित डी० एन० तिवारी : बिहार किस प्रदेश में आता है ?

श्री हाथी : यह दूसरे खण्ड अर्थात् दक्षिणी खण्ड में आता है ?

पंडित डी० एन० तिवारी : विभिन्न प्रदेशों से भेजी हुई योजनाओं की संख्या कितनी है ?

श्री हाथी : कुछ दिन पहले मैंने विभिन्न योजनाओं की एक सूची सदन पटल पर रखी थी। कुल मिलाकर कोई ३७ योजनाएं हैं। इनमें से ७ भू-सुधार के सम्बन्ध में हैं, ९ कृषि अर्थ व्यवस्था के बारे में हैं, ६ रोज़गार के बारे में हैं ; ५ छोटे कुटीर उद्योगों से सम्बन्धित हैं तथा २० नगरीय सर्वेक्षण के बारे में हैं। विस्तृत सूची सदन-पटल पर है।

पंडित डी० एन० तिवारी : सरकार ने इन समितियों द्वारा भेजी गई कितनी योजनाओं को स्वीकार कर लिया है तथा उन्हें कार्यान्वित किया है ?

श्री हाथी : यह सूचना भी उसी विवरण में दी गई है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इन समितियों के प्रतिवेदन इस सदन के सदस्यों को उपलब्ध किये जायेंगे ?

श्री हाथी : अभी वे प्राप्त नहीं हुए हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : बिहार ने कितनी योजनायें भेजी हैं ?

श्री हाथी : प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में योजनाओं की संख्या जानने में कुछ समय लगेगा, परन्तु विवरण में यह सब दिया हुआ है।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण

***२४१०. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संचरण के बारे में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के क्षेत्र में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या ७०**]

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : जो विवरण दिया गया है उससे यह बहुत स्पष्ट नहीं होता है कि यह प्रगति किस वर्ष में हुई है। मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को इसमें कितने वर्ष लगे हैं और इस पर कितनी लागत आई है ?

श्री जे० एन० हजारिका : यह प्रगति १९४७ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९५३ तक हुई है । मेरे पास सम्पूर्ण लागत का हिसाब नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कुल लागत कितनी है ?

श्री जे० एन० हजारिका : कुल लागत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : इस अवधि में कितने पुल बनाये गये ?

श्री जे० एन० हजारिका : अब तक १०६ पुल बनाये जा चुके हैं जिनकी लम्बाई २९०७ फीट है । अब तक ४५ पुलों में सुधार किया जा चुका है । ४५ पुल बनाये जा रहे हैं, जिनकी लम्बाई १८३६ फीट है । इस समय २ पुलों में सुधार किया जा रहा है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या डाक संचार के भी कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में डाक संचार का विकास किया जा रहा है । परन्तु जहां कहीं भी सड़कें हैं उन सभी क्षेत्रों में हम डाक संचार का विकास नहीं कर पाये हैं ।*

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस समय मिसामरी से उत्तर की ओर जो सड़क बनाई जा रही है वह कहां तक बनाई जायेगी ?

श्री जे० एन० हजारिका : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मैं सड़कों तथा संचार के विकास के लिये सरकार का भावी कार्यक्रम जान सकता हूं ?

श्री जे० एन० हजारिका : हमारे पास उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सब डिवीजनल प्रधान केन्द्रों को जिला प्रधान केन्द्रों से मिलाने के लिये सड़कें बनाने की एक सामान्य तदर्थ योजना है ।

बिलासपुर नगर का डूब जाना

*२४११. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जब १९६० में भाखड़ा बांध परियोजना चालू होगी तो बिलासपुर नगर जलमग्न हो जायेगा; तथा

(ख) यदि हां, तो वहां के लोगों के पुनर्वास के लिये एक नया नगर बसाने के लिये कौन सी योजनायें बनाई गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विषय भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को यह विदित है कि इस परियोजना के कारण १७,००० व्यक्ति अपनी भूमि खो बैठे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें कहीं भी भूमि देने का है ?

श्री हाथी : भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड ने एक समिति बना दी है और वह इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस परियोजना के कारण जिनके गांव अब नहीं रहे हैं उन्हें पुनः बसाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : यह विषय पूर्णतया पंजाब सरकार के हाथ में है । सरकार इस बात का पता लगाने के लिये कार्यवाही कर रही है कि इन व्यक्तियों को कहां पुनः बसाया जा

*संसदीय सचिव का मूल उत्तर निम्न प्रकार का था :—
"जहां कहीं भी सड़कें हैं उन सभी क्षेत्रों में हमने डाक संचार का विकास किया है ।"
ऊपर छापा गया उत्तर संसदीय सचिव ने बाद में अपने मूल उत्तर के बदले में भेजा ।

सकता है और इसी काम के लिये यह पुनर्वास समिति बनाई गई है।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या नया बिलासपुर नगर इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के होने के पश्चात् बनाया जायेगा या उससे पहले ?

श्री बंसल : दुर्भाग्यपूर्ण घटना ?

श्री हाथी : यह होना तो उससे पहले ही चाहिये।

ट्रीस्ट का मेला

*२४१२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार जून १९५४ में ट्रीस्ट में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने का है; तथा

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार से ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जान सकता हूं कि सरकार अपने निश्चय से क्यों फिर गई है, क्योंकि मंत्रालय की पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था कि सरकार का विचार ट्रीस्ट के मेले में भाग लेने का है ?

श्री करमरकर : जिस प्रकाशन का उल्लेख किया गया है मुझे इस समय उस का स्मरण नहीं है। किन्तु हम प्रति वर्ष यह करते हैं कि क्योंकि हमारे वित्तीय साधन सीमित हैं अतः हम सारी प्रदर्शनियों पर विचार करते हैं और उनकी उपयोगिता को देख कर तीन या चार बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं तथा कुछ अन्य प्रदर्शनियों में थोड़े पैमाने पर भाग लेते हैं। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रीस्ट के मेले को प्रदर्शन के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने उपयोगिता के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि यूरोप में हमारी वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री करमरकर : जहां तक यूरोप का सम्बन्ध है, हमने ब्रिटिश उद्योग मेले में बड़े पैमाने पर भाग लिया है।

इसके बाद हम लौसेन, स्विट्ज़रलैण्ड में सितम्बर में हो रही एक और महत्वपूर्ण प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। इसके बाद हम सितम्बर १९५४ में अन्तर्राष्ट्रीय फ्रैंकफर्ट शरद् मेले में भाग लेंगे। हम अन्य प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार फ़ैक्टरी

*२४१३. **श्री एन० राचय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४ के पहले तीन महीनों में हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार फैक्टरी बंगलौर के लिये कितने शिल्पी भर्ती किये गये थे; तथा

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति विदेशी थे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). उक्त अवधि में, समवाय का वरिष्ठ भारतीय शिल्पिक अधिकारी यूरोप में था, और यूरोप में उपलब्ध भारतीयों तथा यूरोपीय अभ्यर्थियों में से संवरण किया गया था। भारत में भी कुछ व्यक्ति चुने गये थे। कुल मिला कर, १२ भारतीय और ४५ यूरोपियन चुने गये थे। पहलों में से ५ और बाद वालों में से २१ अब कार्य कर रहे हैं। भर्ती जारी है।

श्री एन० राचय्या : ये विदेशी शिल्पी कितने समय के लिये भर्ती किये गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : वे दो या तीन वर्ष के लिये संविदा के आधार पर भर्ती किये गये हैं, प्रत्येक के मामले में अवधि भिन्न भिन्न है।

श्री एन० राचय्या : क्या कोई स्थानीय शिल्पी भी भर्ती किये गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैंने अपने उत्तर में बताया है कि इस अवधि में १२ भारतीय चुने गये हैं। उनमें से चार स्थानीय रूप से भर्ती किये गये हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : फ़ैक्टरी कब बन कर पूरी तैयार हो जायेगी और यह उत्पादन कब प्रारम्भ होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : उत्पादन के इस वर्ष जुलाई में प्रारम्भ होने की आशा की जाती है।

श्री बंसल : क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि ये पद इतने उच्च शिल्पी स्वरूप के हैं कि इन के लिये अपेक्षित प्रवीणता के लोग इस देश में उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह प्रारम्भ से ही समझा जाता था कि कुछ उच्च पदों वाले शिल्पियों को विदेशों से भर्ती करना पड़ेगा। उनकी संख्या नियत कर दी गई है, और करार का यह भी एक अंश है कि इन विदेशियों के नीचे अध्ययन करने वालों को भी भर्ती किया जाये और बाद में उनको इनका स्थान दिया जाये, ताकि कुछ समय पश्चात् भारतीय विदेशियों का स्थान ले सकें।

श्री भागवत झा आजाद : क्या कार्यवाइयां की जा रही हैं और कब तक हम अपने प्रशिक्षित भारतीयों को इन विदेशी शिल्पियों के स्थान पर नियुक्त करने में समर्थ हो सकेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : करार में यह तय किया गया है कि ओयरलिकनज़ भारतीयों को इस ढंग से प्रशिक्षित करने का प्रत्येक प्रयत्न करेगा ताकि फ़ैक्टरी द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से दस वर्षों के अन्दर, पर्याप्त संख्या में भारतीय उपलब्ध होंगे जो फ़ैक्टरी में न्यूनतम ८५ प्रतिशत पदों को सम्भाल सकेंगे।

बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं के लिये लोक सहयोग

*२४१४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने वाली बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं के लिये लोक सहयोग प्राप्त करने के लिये कुछ विशिष्ट कार्यवाहियां की गई हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं, और इस सम्बन्ध में जनता की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७१]**

श्री एल० एन० मिश्र : विवरण से प्रतीत होता है कि इस मामले में जनता की प्रतिक्रिया और सहयोग संतोषपूर्ण नहीं रहा है। यह निरुत्साहपूर्ण है। क्या सरकार ने इसके कारण का पता लगाने का प्रयत्न किया है, और यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस स्थिति पर काबू पाने के लिये कुछ उपाय हैं ?

श्री हाथी : दो प्रकार से लोक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। एक तो वास्तविक निर्माण में है, अर्थात् नहरों की खुदाई आदि। इस प्रकार का सहयोग, कई राज्यों में जैसे बम्बई और पंजाब में प्राप्त हुआ है। दूसरे राज्यों में, राज्य इसे प्राप्त करने के लिये कार्यवाहियां कर रहे हैं। दूसरा ढंग शिक्षात्मक मूल्य का है, अर्थात् प्रदर्शन फार्म स्थापित करना, जो लोगों को सिंचाई कार्यों के लिये जल का प्रयोग करने का ढंग

सिखायेंगे । उस दिशा में पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है । पहले उपाय से अधिक लोक सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : योजना आयोग ने सोचा कि लोक सहयोग के कारण इन परियोजनाओं के निर्माण की लागत कम हो जायेगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी परियोजना में, कोई ठोस परिणाम निकला है ?

श्री हाथी : जैसा मैंने बताया, मेरे द्वारा निर्देशित तीन राज्यों में, लोग इस उपक्रम में रुचि ले रहे हैं, और उन्होंने काम संभाल लिया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं में, जो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं, राज्य सरकारों को लोक सहयोग प्राप्त होता है ?

श्री हाथी : जैसा मैंने बताया, लोक सहयोग पंजाब में मिलता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या आर्थिक रूप से विद्युत उपयोगिता प्राप्त करने के लिये, कुछ गैर सरकारी दलों द्वारा चलाये जाने वाले बिजली घरों को, इन परियोजनाओं द्वारा चलाये जाने वाले बिजली घरों के काम के साथ मिलाने के लिये, कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री हाथी : इस समय, बोकारो योजना को छोड़ कर, किसी भी बिजली घर को बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है । उस क्षेत्र में, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे बिजली घर वर्तमान हैं, जिनको मिलाया जा सके । किन्तु सिन्दरी कारखाने की बिजली इसके साथ मिला दी गई है ।

त्रिपुरा के लिये सिंचाई इंजीनियर

*२४१५. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या एक सिंचाई इंजीनियर की सेवायें त्रिपुरा सरकार ने ले ली थीं;

(ख) क्या यह सच है कि किसी सिंचाई इंजीनियर के न होने के कारण कोई परियोजना आरम्भ नहीं की गई है; तथा

(ग) यदि उक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). त्रिपुरा की योजनायें छोटी सिंचाई योजनायें हैं, जिनके लिये एक कृषि इंजीनियर और एक सिंचाई की देख भाल करने वाले अधिकारी की नियुक्ति की स्वीकृति अभी हाल में दी गई है । राज्य सरकार इन पदों पर उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है । साथ ही केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से सिंचाई योजनाओं के तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिये एक इंजिनियर अधिकारी को त्रिपुरा भेजने के लिये कहा जा रहा है ।

श्री दशरथ देव : क्या त्रिपुरा में कोई सिंचाई योजना आरम्भ की गई है ?

श्री हाथी : पंचवर्षीय योजना के अधीन त्रिपुरा में कोई बड़ी सिंचाई योजनायें नहीं हैं । वे सब छोटी सिंचाई योजनायें हैं ।

श्री दशरथ देव : उक्त व्यक्तियों की नियुक्ति में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : अब जबकि उन पदों की स्वीकृति दे दी गई है, इस काम में अधिक समय नहीं लगेगा ।

समाचार एजेंसियां

*२४१७. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आकाशवाणी को किन समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त होते हैं; तथा

(ख) उनमें से कितनी विदेशी हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी इन समाचार एजेंसियों से समाचार प्राप्त कर रही है :

१. प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया ।

२. यूनाइटेड प्रेस आफ़ इण्डिया ।

३. यूनाइटेड प्रेस आफ इण्डिया—अयांस फ्रांस प्रेस ।

४. अरब न्यूज़ एजेंसी ।

५. निकट तथा सुदूर पूर्व न्यूज़ सर्विस ।

(ख) इनमें से दो विदेशी हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : जिन समाचार एजेंसियों का अभी हवाला दिया गया है, क्या उनके अतिरिक्त आकाशवाणी के कोई विशेष सम्वाददाता भी हैं, और यदि हां, तो कितने और प्रतिमास, उनके द्वारा दिये गये कितने शब्दों का उपयोग किया जाता है ?

डा० केसकर : विदेशों में आकाशवाणी के कोई सम्वाददाता नहीं हैं । मैं अनुमान से ठीक ठीक संख्या तो नहीं बता सकता, परन्तु भारत के महत्वपूर्ण केन्द्रों में हमारे लगभग चार या पांच सम्वाददाता हैं । उनके द्वारा किये जाने वाले काम का पता लगाने के लिये मैं अलग से एक पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं पूछ सकता हूं कि क्या इन समाचार एजेंसियों से समाचार लेने से पूर्व सम्बन्धित एजेंसियों के राजनैतिक विचारों या द्वेषों पर विचार कर लिया जाता है ?

डा० केसकर : मुझे ज्ञात नहीं कि निर्देश विदेशी समाचार एजेंसियों की ओर है, या भारतीय समाचार एजेंसियों की ओर ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : विदेशी ।

डा० केसकर : केवल दो ही विदेशी समाचार एजेंसियां हैं, और वे दोनों ही मध्य-पूर्व की हैं । एक छोटी सी सेवा अयांस फ्रांस प्रेस भी है । हम कुछ बातें उनसे भी लेते हैं और हो सकता है कि वे ही बातें पी० टी० आई—रायटर भी दे दे । परन्तु सम्भव है कि एक सूचना में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात हो जो दूसरे में न कही गई हो, और इसीलिये हम दोनों से समाचार लेते हैं । जहां तक राजनैतिक विचारों का सम्बन्ध है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि राजनैतिक दृष्टि से दिये गये समाचार न दिये जायें । मैं यह नहीं कह सकता कि इन दोनों विदेशी एजेंसियों से जो समाचार आते हैं, उन में राजनैतिक पुट होता है या नहीं ।

श्री राधा रमण : इन एजेंसियों के लिये क्या शर्तें हैं, और क्या उनमें कोई सारभूत अन्तर होता है ?

डा० केसकर : शर्तें अलग अलग हैं । मैं यह बता दूं कि उन दोनों एजेंसियों को बहुत ही कम भुगतान दिये जाते हैं । मैं कुल राशि तो बता नहीं सकता हूं—परन्तु यह एक बहुत छोटी राशि है—नैफीन तथा अन्य समाचार एजेंसियों को दी गई राशि ।

श्री साधन गुप्त : इन विदेशी समाचार एजेंसियों की राष्ट्रीयता क्या है ?

डा० केसकर : दोनों ही मिश्र में केन्द्रित हैं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : हम किन किन देशों में अपने सम्वाददाता रखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया था कि विदेशों में ऐसे कोई सम्वाददाता नहीं हैं। वे सब भारत में हैं।

टाइपराइटर

*२४१८. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस देश में टाइपराइटर बनाये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर; तथा

(ग) १९५२–५३ और १९५३–५४ में किन-किन देशों से टाइपराइटरों का आयात किया गया, और उनकी संख्या तथा उनका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। कुछ फ़र्में अधिकांशतः आयातित पुर्जों को आपस में जोड़ कर टाइप राइटर तैयार कर रही हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(ग) एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७२]**

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतवर्ष में टाइपराइटर कब पैदा किया जायगा ?

श्री करमरकर : दो कम्पनियों को हमने रियायत दी है, मैसर्स रैमिंगटन रैंड लिमिटेड, और मैसर्स गोदरेज कम्पनी लिमिटेड। लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि उसका प्रोडक्शन कब शुरू होगा ?

श्री भागवत झा आजाद : इन टाइप-राइटरों का उत्पादन करने में हम कितने दिनों में आत्मनिर्भर हो जायेंगे तथा देश में कितने प्रतिशत हिन्दी टाइप राइटर तैयार किये जा रहे हैं परन्तु जिन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक साथ दो प्रश्न कर रहे हैं। एक समय में एक ही प्रश्न पूछने की मैं अनुमति दूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न के पूर्वार्द्ध का ही उत्तर दिया जाय।

श्री करमरकर : हमने अभी इन टाइप-राइटरों का उत्पादन शुरू नहीं किया है। हम यह प्रत्याशा नहीं कर सकते हैं कि हम कब आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

श्री के० के० बसु : भारतवर्ष में रेमिंगटन रैंड कम्पनी को टाइपराइटर बनाने की अनु-ज्ञप्ति क्यों दी गई है और क्या कोई भारतीय समवाय यह कार्य-भार उठाने को तय्यार नहीं था ?

श्री करमरकर : गोदरेज कम्पनी ने भी टाइपराइटर बनाने का काम प्रारम्भ किया है किन्तु उसने बहुत अधिक समय ले लिया है। उनके प्रयत्नों के प्रति हम सहानुभूति बरत रहे हैं और हमने उनको पूर्ण सहायता देने का वचन दिया है। किन्तु हम यह नहीं जानते कि वे वास्तव में टाइपराइटर बनाना कब से प्रारम्भ करेंगे। अतः देश की अत्यधिक आवश्यकता को ध्यान में रख कर हमने रेमिंग-टन रैंड को टाइपराइटर बनाने की आज्ञा दे दी है।

सूती वस्त्र गवेषणा संस्था

*२४१९. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई मिल मालिक संघ ने बम्बई में एक सूती वस्त्र गवेषणा संस्था की स्थापना करने का विचार किया है ?

(ख) उक्त प्रस्थापना अब किस स्थिति में है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) सूती वस्त्र निधि समिति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है । योजना सम्बन्धी विस्तृत बातें तैयार की जा रही हैं ।

श्री के० पी० सिन्हा: पूंजी व्यय कितना है एवं सरकार का अंशदान उसमें क्या रहेगा ?

श्री करमरकर : बम्बई मिल मालिक संघ ने इसके लिये ५० लाख रुपये एकत्रित किये हैं । चूंकि यह मामला अभी तक सूती कपड़ा निधि समिति के विचाराधीन है अतः अंशदान के सम्बन्ध में अभी तक हमने कुछ निश्चय नहीं किया है ।

श्री के० पी० सिन्हा : उद्योग के किन विशिष्ट विभागों के बारे में गवेषणा कार्य करने का विचार है ?

श्री करमरकर : विशेषतः सूती कपड़ा ।

श्री बंसल : अहमदाबाद वस्त्र गवेषणा संघ तथा इस प्रस्तावित गवेषणा संस्था में क्या अन्तर होगा, यदि दोनों का क्रियाक्षेत्र न्यूनाधिक में एक सा हो, तो फिर सरकार ने एक ही कार्य के लिए यह दूसरी संस्था के बनाये जाने की स्वीकृति क्यों दी ?

श्री करमरकर: न्यूनाधिक रूप से ये प्रादेशिक गवेषणा कार्य ही करेंगी । अहमदाबाद में काफ़ी कपड़ा बनाया जाता है और बम्बई में भी, एक कोयम्बटूर में भी बनेगा । मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि वह प्रतिद्वन्दिता को जहां तक सम्भव होगा दूर करने का प्रयत्न करेंगी ।

हाथ करघा द्वारा बने कपड़े के लिये राज्य व्यापार निगम

*२४२०. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाथ करघा द्वारा बने कपड़े, और छोटे तथा कुटीर उद्योगों द्वारा बनाये गये चुने हुए उत्पादनों का निर्यात करने के लिए एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां ।

श्री मुनिस्वामी : यह निगम कब से कार्य प्रारम्भ करेगा ?

श्री करमरकर : ये बड़े पेचीदे मामले हैं प्रथम बार ही यह प्रयत्न किया जा रहा है और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, उत्पादन मंत्रालय, तथा वित्त मंत्रालय की हमने बैठक बुलाई थी । अन्य सम्बन्धित संगठनों से भी हमें परामर्श करना है । कब तक ये बातें अन्तिम रूप से निश्चित हो जायेंगी यह अभी नहीं कहा जा सकता है ।

श्री मुनिस्वामी : इस निगम की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे गये थे, यदि हां, तो मद्रास सरकार ने क्या सुझाव दिये थे ?

श्री करमरकर : राज्य व्यापार समिति की सिफारिशों से यह सुझाव उत्पन्न हुआ था । इस समिति ने सभी राज्यों का दौरा किया था, इसके प्रधान वर्तमान कृषि मंत्री डा० पी० एस० देशमुख थे, अतः हम यह समझते हैं कि विभिन्न संगठनों एवं निकायों के सुझाव और विचारों को ज्ञात किया गया है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या केवल राज्य सरकारें ही अथवा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार दोनों ही इसको आर्थिक सहायता देंगी ?

श्री करमरकर : अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

हीराकुड बांध परियोजना के श्रमिकों की मजूरियां

*२४२१. **श्री बी० सी० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हीराकुड बांध परियोज

काम करने वाले श्रमिकों की मजूरी में अप्रैल १९५२ के बाद से कोई कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो मजूरी में कितनी कमी की गई है ; तथा

(ग) उसके कारण ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मजदूरों के वेतन में १ मार्च, १९५२ से कमी की गई थी ।

(ख) वेतन ५३ रुपये से घटा कर ४० रुपये कर दिया गया था ।

(ग) वहां मजदूरों को दी जाने वाली मजूरी—अर्थात् डेढ़ रुपये प्रतिदिन—के आधार पर मजूरी की यह संशोधित दर निश्चित की गई थी ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हीराकुड क्षेत्र में निर्वाह व्यय उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक है ?

श्री हाथी : इन दरों को सरकार नहीं निर्धारित करती है ; बल्कि नियंत्रण बोर्ड निर्धारित करता है । उड़ीसा सरकार ने वहां की सारी हालतों तथा परिस्थितियों पर विचार करके ही यह एक रुपये आठ आने की दर निर्धारित की थी ।

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार को ज्ञात है कि हीराकुड परियोजना में काम करने वाले अधिकांश मजदूर, अर्थात् दिन में काम करने वाले मजदूर, दूर दूर स्थानों से आते हैं तथा मजदूरी की इस कटौती से उनको बड़ा कष्ट हो रहा है ?

श्री हाथी : सरकार को यह ज्ञात है तथा सरकार ने बोर्ड से इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा है । अपनी बैठक की कार्यसूची में उन से यह विषय भी सम्मिलित कर लिया है । सम्भवत: १० तारीख को बैठक हुई थी तथा इस विषय पर बोर्ड ने विचार किया था ।

श्री सारंगधर दास : क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि जिस प्रकार यदि दिल्ली या किसी अन्य स्थान से अफसर वहां आते हैं और निवास करते हैं तो उनको निर्माण भत्ता दिया जाता है उसी प्रकार इन मजदूरों को भी जो दूर दूर के स्थानों से आते हैं तथा वहां निवास करते हैं किसी प्रकार का भत्ता दिया जाया करे ?

श्री हाथी : यह इस पर निर्भर है कि बोर्ड का इस सम्बन्ध में क्या विचार है । हो सकता है कि ऐसा भत्ता देने से पड़ोसी क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ जाये । इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ।

ताड़गुड़

*२४२२. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ताड़ गुड़ के उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की दृष्टि से कोई गवेषणा कार्य किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७३**]

श्री संगण्णा : देश के विभिन्न भागों में वैज्ञानिक सुधारों को लोक प्रिय बनाने के लिये कौन से अभिकरण स्थापित किये गये हैं ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र यह पूछना चाहते हैं कि यह कार्य किन तरीकों से किया जाता है । पहले तो १९४८ से कडुल्लोर में सेंट्रल ताड़गुड़ संस्था में एक पुनर्स्मरण प्रशिक्षण पाठ्य क्रम चलाया जा रहा है । इस के अतिरिक्त अभी हाल में हमने सुझाव दिया है कि १,४४,९६० रुपये की लागत से चार विभिन्न क्षेत्रों में चार प्रदर्शन केन्द्र संगठित किये जायें । यह केन्द्र

विभिन्न उपकरणों की सहायता से उत्पादों की उपयोगिता को प्रदर्शित करेंगे । हैं तो और भी बहुत से तरीके परन्तु विशेष उल्लेख के योग्य यही दो हैं।

श्री संगण्णा : जब से यह ताड़गुड़ उद्योग चला है गन्ने की खेती का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल धान की खेती में लगा दिया गया है ?

श्री करमरकर : ताड़ उसी भूमि में उगता है जहां नमी होती है इसको और किसी अन्य भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। अतः गन्ने की खेती में लगे क्षेत्रफल को इसके लिये लगाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री दाभी : देश का वार्षिक उत्पादन कितना है ? क्या इसके लिये कोई उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री करमरकर : इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं है परन्तु कुछ समय पहले इसी सदन में मैं यह आंकड़े बता चुका हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि उत्पादन बढ़ रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : कितने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है ? इन प्रशिक्षण केन्द्रों में क्या सब राज्य आ जाते हैं ?

श्री करमरकर : मुझे दुःख है कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

माप प्रमाणपत्र

*२४२३. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय बंदरगाहों से माल लादने में विदेशी जहाज़ी कम्पनियां उन माप प्रमाणपत्रों को मानने से इंकार करती हैं जो भारतीय व्यापार मंडल द्वारा जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि कहा जाता है कि विदेशी जहाज़ी कम्पनियां माल भेजने वालों से विशेष रूप से कहती हैं कि भारतीय व्यापार मंडल से प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् भी वे अपने माल का अ-भारतीय व्यापार मण्डलों से परीक्षण करावें ; तथा

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) यह मामला विचाराधीन है । शिपिंग कम्पनियों तथा विभिन्न व्यापार मण्डलों के साथ विचार विमर्श हो रहा है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : कुछ बंदरगाहों में हमारे समुद्र पार व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों के जमा करने और उनके संकलन के लिये विदेशी व्यापार मण्डलों को आज कल जो सुविधायें प्राप्त हैं क्या उन्हें सरकार जारी रखने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का सम्बन्ध माप प्रमाणपत्रों से है, परन्तु मेरे माननीय मित्र का अनुपूरक प्रश्न आंकड़ों से सम्बन्धित है, तथा यह प्रासंगिक नहीं है। क्या मैं यह समझं कि वे विदेशी कर्मचारियों सम्बन्धी आंकड़े जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बन्दरगाहों पर आंकड़ों से जमा करने के लिये, चाहे वे जैसे भी हों, विदेशियों को कुछ सुविधायें दी जा रही हैं। क्या यह सुविधायें जारी रखी जायेंगी ?

श्री करमरकर : हम कोई विशेष सुविधायें नहीं देते हैं, वस्तुतः हमारा अपना अभिकरण है, उदाहरणार्थ कलकत्ते में आंकड़ों के जमा करने के लिये हमारे वाणिज्य सूचना संचालक हैं वह अपनी गणना सीमा शुल्क के

आकड़ों के आधार पर करते हैं। वस्तुतः मैं अपने माननीय मित्र का प्रश्न समझ नहीं सका हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि समुद्रपार के व्यापार सम्बन्धी आंकड़े एक मात्र हमारे सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ही संकलित और प्रकाशित नहीं किये जाते हैं वरन् विदेशी व्यापार मण्डल भी अपने माप प्रमाणपत्रों को जारी करने के एकाधिकार के कारण प्राप्त होने वाली जानकारी के आधार पर इन आंकड़ों को प्रकाशित करते हैं ?

श्री करमरकर : सब से पहले मैं यह पता लगाना चाहूंगा कि आंकड़ों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है। कुछ भारतीय व्यापार मण्डलों ने यह शिकायत की है कि कुछ ऐसी विदेशी शिपिंग कम्पनियां जो भारत से माल भेज रही हैं और भारत में आयात भी कर रही हैं विशुद्ध भारतीय व्यापार मण्डलों द्वारा जारी किये गये माप प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं कर रही हैं। यह एक गम्भीर प्रश्न है और हम इस समस्या पर ध्यान देते रहे हैं ताकि भारतीय व्यापार मण्डलों को इस प्रकार की किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

श्री बंसल : क्या यह सच नहीं है कि कुछ योरोपीय व्यापार मण्डल अनेक वर्षों से ऐसी स्थिति में रहे हैं कि वे सीमा शुल्क की प्राप्तियों से विशेष आंकड़े जारी कर सकते हैं ? क्या बम्बई का व्यापार मण्डल उन में एक नहीं है ? प्रश्न के (क), (ख) तथा (घ) भागों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने कहा था कि यह विषय विचाराधीन रहा है। क्या यह सच है कि यह मामला गत चार वर्षों से विचाराधीन है और अभी तक कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री करमरकर : यह सच है कि यह मामला चार वर्षों से हमारे विचाराधीन रहा है। मेरे माननीय मित्र इस समस्या को भली प्रकार से जानते हैं ; उनको ऐसी प्रत्येक कार्यवाही का भी ज्ञान है जो की जा चुकी है। हमने उस फेडरेशन से भी परामर्श लिया है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं समझता हूं कि उनको यह ज्ञात है कि इस प्रश्न पर अग्रेतर चर्चा करने में उनकी तथा मेरी दोनों ही की स्थिति बड़ी नाजुक है।

येम्मिगनूर में रंगाई घर

*२४२४. **श्री गाडिंलिगन गौड़** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र राज्य की येम्मिगनूर बुनकर सहकारी उत्पादन तथा विक्रय-समिति ने अपने रंगाई-घर का सामान मंगाने के लिये अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड से ३६,००० रुपये का अनुदान देने के लिये कहा है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो यह मामला किस स्थिति पर है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). उस समिति से ऐसा कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। फिर भी, सरकार ने आंध्र राज्य सरकार को उस राज्य में रंगाई-घर स्थापित करने के लिये १९५३–५४ में ३८,५२० रुपये का अनुदान दिया है।

श्री गाडिंलिगन गौड़ : क्या यह सच है कि इस समिति के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इसका अध्यक्ष अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का सदस्य है ?

श्री करमरकर : जिन कारणों से हम उसे हथकरघा बोर्ड में रखना चाहते थे उन में से एक यह था कि वह येम्मिगनूर की एक बहुत अच्छी समिति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार की तो कोई बात ही नहीं है।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या सरकार मद्रास सहकारी समितियां अधिनियम की धारा ३८ के अन्तर्गत जांच करेगी ?

श्री करमरकर : मुझे उसका पता नहीं। यदि इस बारे में मुझे लिखें तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

वायदे के सौदे (नियमन) अधिनियम

*२४२५. **श्री एम० एम० गांधी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वायदे के सौदे (नियमन) अधिनियम परिवर्तित कर दिया गया है और यदि ऐसा है तो किस तारीख से ;

(ख) क्या किसी वायदा बाज़ार को विशेष रूप से अभिज्ञात करके वायदा बाज़ार के नियंत्रण करने की व्यवस्था की गई है ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इस देरी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । वायदे के सौदे (नियमन) अधिनियम, १९५२ का प्रथम अध्याय २६ दिसम्बर १९५२ से परिवर्तित किया गया था तथा इस अधिनियम के शेष उपबन्ध २४ अगस्त, १९५३ से परिवर्तित किये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). अभी नहीं। वायदा बाज़ार आयोग सितम्बर १९५३ में स्थापित किया गया था । यह विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करता रहा है तथा आवश्यक आंकड़े और इसने अन्य सूचना एकत्रित करने के लिये वायदा व्यापार में रुचि रखने वाले निकायों तथा उद्योगपतियों से विचारविमर्श किया है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सच है कि इस अधिनियम के प्रवर्तित किये जाने से पूर्व वायदा बाज़ार में व्यापार करने वाली बहुत सी छोटी छोटी संस्थायें बन गई थीं ; यदि ऐसा है तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री करमरकर : मेरे पास बहुत सा छोटा छोटी संस्थाओं के बन जाने की पर्याप्त सूचना नहीं है, किन्तु हम इस प्रकार की बहुत सी छोटी छोटी संस्थाओं को खत्म कर देंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या १९५३ में नियुक्त किये गये वायदा बाज़ार आयोग ने विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिशें की हैं जिनके लिये अनुमोदन तथा क्रियान्विति की आवश्यकता है ?

श्री करमरकर : यह आयोग सट्टेबाज़ी को रोकने के लिये है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न का उत्तर देकर सदस्यों को अनुमान और सोच विचार में डाल दूं ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या सरकार का देश के दक्षिणी, मध्य तथा उत्तरी भागों में वायदा बाज़ार में व्यापार करने वाली संस्थायें स्थापित करने का विचार है ?

श्री करमरकर : इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले पर मैं तत्काल ही उत्तर नहीं देना चाहता। जब पूरी योजना तैयार हो जायेगी तो हम उसकी घोषणा करेंगे ।

हथकरघा गवेषणा विभाग

*२४२६. **श्री एम० डी० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि सरकारी केन्द्रीय बुनकर संस्था, बनारस के हथकरघा गवेषणा विभाग का हथकरघा बोर्ड के अन्तर्गत अखिल-भारतीय संस्था के रूप में विकास किया जाना चाहिये ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके परिवर्तन पर कितना अनुमानित व्यय होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हथकरघा बोर्ड की स्थायी समिति ने इस सम्बन्ध में एक सिफ़ारिश की है।

(ख) इसमें कितना खर्च होगा इसका अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

श्री एम० डी० रामस्वामी : इस संस्था में किस प्रकार का गवेषणा कार्य किया जायेगा?

श्री करमरकर : हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य स्पष्ट है। उदाहरणार्थ इसमें से एक तो डिज़ाइन होगा।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि सेंट्रल वीविंग इंस्टीट्यूट बनारस को स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आर्थिक सहायता पिछले दो वर्षों में दी गई है? यदि दी गई है तो कितनी है?

श्री करमरकर : कोई आर्थिक सहायता उसको दी गई है या नहीं इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फार्मेशन इस वक्त नहीं है। नोटिस के ऊपर मैं दे सकूंगा।

नमक

*२४२७. **श्री शोभा राम** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में १९५२–५३ में सांभर नमक के उत्पादन का खर्च कितना था?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : सांभर में तीन किस्मों का नमक निकाला जाता है। १९५२–५३ में तीनों किस्मों के उत्पादन का खर्च निम्न प्रकार था :

	रु०	आ०	पा०	
क्यार नमक	०	१४	११·१५	प्रतिमन
रेश्ता नमक	०	१५	९·३१	,,
पान नमक	०	११	१०·३६	,,

श्री शोभा राम : इस वर्ष सांभर में नमक का कुल उत्पादन कितना है और भारत के अन्य स्थानों पर नमक के उत्पादन की तुलना में यह कितना है?

श्री आर० जी० दुबे: जहां तक १९५१-५२ का सम्बन्ध है, उत्पादन १०४ लाख मन था। १९५२–५३ में यह ४१ लाख मन था। शेष स्थानों के सम्बन्ध में मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

श्री शोभा राम : क्या सरकार का विचार उस प्रतिकर को जिसे राजस्थान को देना बन्द कर दिया गया था, पुनः जारी कर देने का विचार है?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में प्रति कर निश्चित कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं।

श्री शोभा राम : इस समय यह नहीं दिया जा रहा। पांच वर्ष पहले यह दिया जाता था।

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में १९५० की वितीय एकीकरण योजना के बाद, यह प्रश्न चर्चा के बाद निपटा दिया गया था। मैं नहीं जानता कि वास्तविक शोधन किया जा रहा है या नहीं मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी।

श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या यह सत्य है कि नमक पर विभिन्न प्रकार के नियंत्रण लगाने का प्रश्न वस्तु नियन्त्रण समिति के विचाराधीन था; यदि हां, तो इसकी उपत्तियां क्या थीं और सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : इससे एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न उत्पन्न होता है। वस्तु नियंत्रण समिति की बहुत सी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और एक दो अन्य अभी विचाराधीन हैं।

चाय उद्योग में मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ना

*२४२८. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चाय उद्योग में

मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ने का प्रयोग शुरू करने का विचार है और क्या इस प्रयोजन के लिये चाय की झाड़ियों को कतार में लगाना शुरू कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कितने चाय बगानों न यह शुरू किया है और इस प्रकार कितने एकड़ों में चाय के पौदे लगाये गये हैं ?

(ग) क्या इसके लिये उन्होंने सरकार से अनुज्ञा ली है ?

(घ) मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ने से कितने श्रमिक हटाने पड़ेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मालूम हुआ है कि पत्तियां तोड़ने वाली मशीनों के कुछ नमूनों से कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं, जिनके परिणाम अभी ज्ञात नहीं हैं। चाय की झाड़ियों को कतार में लगाने का मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ने से कोई आवश्यक सम्बन्ध नहीं है।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

(ग) इसके लिये भारत सरकार से कोई अनुज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ने के फलस्वरूप कितने श्रमिक हटाने पड़ेंगे, इसका अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इस मशीन का विकास अभी प्रयोगात्मक अवस्था में ही है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या किसी अन्य देश में मशीन द्वारा चाय की पत्तियां तोड़ी जाती हैं ?

श्री करमरमर : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार और बगान मालिकों में कोई परामर्श नहीं होगा।

श्री करमरकर : हमें दक्षिण भारत की यूनाइटेड प्लांट्स ऐसोसियेशन, कूनूर से जानकारी प्राप्त हुई थी कि निकट भविष्य में चाय उद्योग के मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने की आशा नहीं है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : सरकार यह कैसे समझती है कि चाय की झाड़ियों को कतार में लगाने और मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ने में कोई सम्बन्ध नहीं जबकि वास्तव में झाड़ियां कतार में लगाने का उद्देश्य यही होता है।

श्री करमरकर : यह उन की जानकारी हैं ; हमारी जानकारी भिन्न है।

श्री पुन्नूस : क्या यह बात सरकार के विचाराधीन है कि बगान मालिक मशीन द्वारा पत्तियां तोड़ना शुरू करने से पहले सरकार से अनुज्ञा लें ?

श्री करमरकर : हमारा यह विचार नहीं है।

ऊन की कताई

*२४२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन की कताई के उद्योग को विकसित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है, और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) : ऊन की कताई के उद्योग को विकसित करने के लिये भारत सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि मुझे ज्ञात हुआ है कि एक प्रस्ताव है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये योजना आयोग ने ३०,००० तकले लगाने की सिफारिश की है। २०,४६४ तकले लगाये जा चुके हैं, उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत २७,५०० तकले लगाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि ऊन की कताई बुनाई के ऊपर हिन्दुस्तान में विशेषकर हिमालय के पर्वतीय इलाकों तथा राजस्थान में कई सहस्र परिवार निर्भर हैं और विगत कुछ दशाब्दियों से यह ऊन का उद्योग गिरता जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : यन्त्रीकरण की अनुमति देने से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बहुत से लोग बेकार हो जायेंगे ।

श्री करमरकर : मुझे विदित नहीं है कि ऊन की कताई करने वालों में बेकारी है । मैं पड़ताल करूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या उद्योग मंत्रालय ने कभी इस सुझाव पर भी विचार किया है कि रुई कातने के चर्खे की तरह ऊन कातने के चर्खे में सुधार करने के लिये भी एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की जाये ?

श्री करमरकर : मैं इस सूचना को आल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के पास भेज दूंगा ।

भारतीय तम्बाकू के लिए विदेशी मंडियां

*२४३०. **श्री रघुरामय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस अभिप्राय के कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि भारतीय तम्बाकू के लिये मंडियों की खोज के लिये एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों में भेजा जाये ; और

(ख) इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

श्री रघुरामप्पा : यह प्रतिनिधि मंडल किन किन देशों में जायेगा, उस पर कितना खर्च होगा और वह खर्च कौन उठाएगा ?

श्री करमरकर : इन सब विषयों पर अभी निश्चय नहीं हो पाया है, किन्तु हमें यह जतलाया गया है, और हम भी ऐसा ही समझते हैं, कि यदि इस प्रकार का कोई प्रतिनिधि मंडल उत्तरीय एशिया, अर्थात जापान तथा चीन, को भेजा जाय तो वह लाभपूर्ण हो सकता है । यह प्रतिनिधि मंडल मिश्रित प्रकार का होगा, जिस में सरकारी तथा असरकारी दोनों प्रकार के सदस्य होंगे । जहां तक व्यय का सम्बन्ध है अभी यह निश्चय नहीं हुआ है कि यह सारा सरकार ही उठायेगी अथवा इस का कोई भाग अन्य संस्थाओं द्वारा भी उठाया जायगा ।

श्री रघुरामय्या : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि आंध्र के कृषि मंत्री ने पत्रकारों को यह बतला दिया है कि केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया है और यह कि एक प्रतिनिधि मंडल विदेशों को भेजा जायेगा ? क्या यह निर्णय हो नहीं चुका है ?

श्री करमरकर : हो सकता है कि उन्होंने कुछ बढ़ा कर बात कही है और यह भी हो सकता है कि मैं ने कुछ घटा कर कही है ।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या यह सत्य नहीं है कि बिपणि में तम्बाकू की बहुलता हो रही है और विदेशों में हजारों टन तम्बाकू गोदियों में पड़ा है, यदि ऐसा है तो क्या इस समय स्थिति कुछ ठीक हो चुकी है ?

श्री करमरकर : यह ठीक है कि निर्यात के विषय में कठिनाइयां रही हैं । हम यूरोपियन मंडियों में पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं । हम ने रिपोर्टें मांगी हैं । जहां तक पूर्वी मंडियों का सम्बन्ध है प्रतिनिधि मंडल का भेजा जाना भी निर्यात को प्रोत्साहन देने का एक साधन है । यूरोप के बारे में अभी किसी कार्यवाही का निश्चय नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी हमें रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

डा० रामा राव : इस बात को देखते हुए कि इस देश में तम्बाकू बहुत इकट्ठा हो रहा है क्या सरकार इस प्रतिनिधि मंडल को यथाशीघ्र भेजने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : जी हां ।

सीमा-निर्धारण

*२४३३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार के पूर्णिया ज़िला और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा-निर्धारण और पत्थर की बुर्जियां लगाने का काम पूरा हो चुका है; तथा

(ख) यदि नहीं हुआ तो किन कारणों से ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). बिहार तथा पूर्वी बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण अभी नहीं हो पाया है । बिहार–पूर्वी बंगाल सीमा वही है जो विभाजन से पूर्व के बिहार और बंगाल प्रान्तों की सीमा थी । जब से बिहार का प्रान्त बना है तब से इसे निर्विवाद रूप से सीमा माना गया है । इस सीमा के वास्तविक निर्धारण में किसी कठिनाई की आशंका नहीं है, अतः जब इस प्रदेश में सीमांकन तथा सीमा की बुर्जियां लगाने का कार्य आरम्भ किया गया तो यह निश्चय हुआ कि यह कार्य सर्व प्रथम पूर्वी बंगाल-पश्चिमी बंगाल सीमा से आरम्भ किया जाय ।

बिहार–पूर्वी बंगाल सीमा के निर्धारण के बारे में एक सर्वसम्मत प्रक्रिया के निर्माण के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है । बिहार तथा पूर्वी बंगाल के भू-परिमाप विशेषज्ञ इस समय इस काम में लगे हुए हैं । जैसे ही यह प्रक्रिया सम्बन्धी बातें निश्चित हो जायेंगी वास्तविक सीमांकन कार्य शुरू कर दिया जायेगा ।

डा० राम सुभग सिंह : बिहार–पूर्वी बंगाल सीमा की अनुमानतः कितनी लम्बाई है ? क्या यह सच है कि सीमा के कुछ भागों पर जिस के बारे में उपमंत्री ने बताया कि कभी भी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हुई, पाकिस्तान के लोगों और अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : बिहार और पूर्वी बंगाल के बीच लगभग १०५ मील लम्बी सीमा है जिस में से लगभग ७५ मील का भाग नदियों के किनारे है । १९४९ में सब से पहले यह प्रश्न बिहार सरकार को निर्दिष्ट किया गया था और उस ने हमें बताया कि क्योंकि यह सीमा बहुत स्पष्ट है इसलिये सीमा विभाजन का तत्काल कोई प्रश्न नहीं है । किन्तु १९५२ में कुछ अवांछनीय सीमा घटनायें हुई थीं और तब से सीमा विभाजन के मामले के सम्बन्ध में हम उन से बातचीत कर रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार को यह पता लगा है कि अनेक गांव वालों ने सीमा के समीप वाले क्षेत्रों में अपने घर छोड़ दिये हैं तथा वे राज्य सरकार से प्रार्थना करते रहे हैं कि सीमा विभाजन के सम्बन्ध में तत्काल ही उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि हम ने इस मामले के बारे में पाकिस्तान सरकार से बातचीत आरम्भ कर दी है । बिहार और पूर्वी बंगाल के प्रतिनिधियों के बीच पहले ही दो सम्मेलन हो चुके हैं । १२ अप्रल को तीसरा सम्मेलन होना निश्चित हुआ था । सम्भवतः यह हो चुका है; हमारे पास अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है ।

डा० राम सुभग सिंह : सीमा विभाजन या पत्थर के खम्भे लगाने का काम कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : क्योंकि इस मामले में केवल १०५ मील की लम्बाई का सवाल है,

इसलिये देर तो नहीं लगनी चाहिये । अब तक हमें जो रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उन से पता लगता है कि पूर्वी बंगाल के प्रतिनिधियों और हमारे प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से समझौता है ।

डी० डी० टी०

*२४३५. **श्री मादिया गौडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कितने मूल्य की डी० डी० टी० का आयात हुआ; तथा

(ख) कुल आवश्यकताओं की तुलना में भारत में डी० डी० टी० कितने प्रतिशित बनाई जाती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) क्योंकि डी० डी० टी० के आयात सम्बधी आंकड़े अलग नहीं रखे जाते इसलिये सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) देश में अभी तक डी० डी० टी० का उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को यह पता लगा है कि विदेशों से जो डी० डी० टी० आयात की जा रही है उस के प्रयोग किये जाने का विरोध किया जा रहा है; यदि हां, तो क्या सरकार आयातित डी० डी० टी० के गुण प्रकार की जांच करेगी ?

श्री करमरकर : हमें इस बात का पता नहीं लगा है कि इस के प्रयोग किये जाने का विरोध किया जा रहा है, लेकिन हमें यह सूचना अवश्य प्राप्त हुई थी कि जिन मच्छरों पर यह डी० डी० टी० डाली जा रही है वे इस से नष्ट नहीं होते ।

भारतीय समाचार पत्र

*२४३६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने भारतीय समाचार पत्रों के पाकिस्तान में प्रवेश पर पाकिस्तान सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सूचना संग्रह की जा रही है तथा यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

तुंगभद्रा उच्चतल नहर परियोजना

*२४३७. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र सरकार ने तुंगभद्रा उच्चतल नहर परियोजना के सम्बन्ध में कोई सविस्तार पड़ताल रिपोर्ट और प्राक्कलन दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस अवस्था पर है तथा इस पर कब तक विचार हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट और प्राक्कलन अब भी विचाराधीन हैं तथा परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् ही आगे कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार की कोई न कोई योजना १९०५ से, जब कि श्री मकेन्जी ने सविस्तार रिपोर्ट दी थी, किसी न किसी सरकार के विचाराधीन रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या यह योजना १९०५ से सरकार के सामने नहीं है और इस पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री हाथी : हो सकता है । लेकिन हमें तो रिपोर्ट हाल ही में मिली है ।

श्री के० के० बसु : आप उन के उत्तराधिकारी हैं ।

श्री ईश्वर रेड्डी : इस योजना पर विचार करते हुए क्या सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि यह नई परियोजना नहीं है, यह तो केवल वर्तमान परियोजना का विस्तार है, तथा यह पानी रायलसीमा के उन क्षेत्रों से गुजरेगा जहां वर्षों से अकाल चला आ रहा है ?

श्री हाथी : हो सकता है कि यह नई परियोजना न हो। लेकिन वास्तव में इसे हाथ में लेने के पहले, परियोजना रिपोर्ट और प्राक्कलन का टेक्निकल रूप से परीक्षण करना ही है, और ऐसा किया जा रहा है।

डा० रामा राव : रायलसीमा में अकाल की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है कि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले ली जाये ?

श्री हाथी : परीक्षण समाप्त हो जाने के पश्चात् जिस में दो या तीन महीने लग जायेंगे, जहां तक सम्भव होगा हम इसे शीघ्र ही हाथ में ले लेंगे।

श्री राघवाचारी : केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परीक्षण के कब तक समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

श्री हाथी : मैं ने बताया कि दो या तीन महीने।

नमक

*२४३८. **पंडित लिंगराज मिश्र :** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा राज्य में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये, ताकि वह नमक में आत्म-निर्भर हो जाये, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का इरादा है ?

(ख) क्या यह सच है कि नमक विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि पूर्वी खंड के सहायक नमक आयुक्त का कार्यालय उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में रखा जाये ?

(ग) क्या इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिये कोई कदम उठाया गया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) राज्य में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये जो कार्यवाही की गई है उस को दर्शाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७४**]

(ख) जी हां।

(ग) मितव्ययता के कारण यह सिफारिश नहीं मानी गई थी।

पंडित लिंगराज मिश्र : विवरण के मद (४) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि सहकारी संस्थाओं को क्या खास सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मद (३) के अन्तर्गत माननीय सदस्य देख सकते हैं कि इस्पात, सीमेंट, आदि नियंत्रित वस्तुओं के प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। इस के अलावा और सुविधायें भी दी जाती हैं। हम ने हाल ही में नमक उपकर अधिनियम पारित किया है और एक अलग निधि भी स्थापित कर दी गई है। आशा है कि विकास-कार्य में आगे चल कर काफी तेजी आ जायेगी।

पंडित लिंगराज मिश्र : क्या ये विशेष सुविधायें केवल सरकारी संस्थाओं को ही दी जाती हैं या समस्त निर्माताओं को भी दी जाती हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में सहकारी संस्थाओं को अधिमान दिया जाता है।

श्री बी० सी० दास : उड़ीसा में बनाये जाने वाले नमक की किस्म को सुधारने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : एक रासायनिक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है। मेरा ख्याल है कि इस प्रयोगशाला के चालू होने में तथा अन्य टेकनीकल सहायता सम्बन्धी उपकरण द्वारा काम लेने में कुछ समय लगेगा।

भारतीय काफी बोर्ड के कर्मचारी

*२४४०. **श्री पुन्नूस** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियम भारतीय काफी बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होते हैं; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या बोर्ड के 'नियम' अलग हैं और क्या इन्हें प्रकाशित कर दिया गया है तथा समस्त कर्मचारियों को अधिसूचित कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). बोर्ड ने, उपनियमों तथा कार्यालय आदेशों द्वारा, सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियम अपने कर्मचारियों पर भी लागू कर दिये हैं।

श्री पुन्नूस : क्या इन कर्मचारियों को वही अधिकार तथा रियायतें प्राप्त हैं जो सरकारी कर्मचारियों को हैं ?

श्री करमरकर : वेतन के मामले में तो मुझे पता है कि उन्हें वही अधिकार प्राप्त हैं जो सरकारी कर्मचारियों को हैं, परन्तु यह प्रश्न आचरण नियमों के बारे में है, नौकरी की शर्तों के बारे में नहीं।

श्री पुन्नूस : क्या भारतीय काँफी बोर्ड मजदूर संघ को कार्मिक संघों के से अधिकार व रियायतें दी जाती हैं या सरकार के संगठनों के से ?

श्री करमरकर : मैं इस प्रश्न का शायद पहले भी उत्तर दे चुका हूं। मजदूर संघ की मान्यता के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था; सरकार का दृष्टिकोण तो इस विषय में सहानुभूतिपूर्ण था, परन्तु भारतीय काँफी बोर्ड ने संघ को मान्यता नहीं दी और बोर्ड के फैसले की इस मामले में उपेक्षा नहीं हो सकती थी। वर्तमान स्थिति यही है।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत होती है तो असैनिक कर्मचारी वर्गीकरण तथा अपील नियमों का पालन नहीं किया जाता ?

श्री करमरकर : हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य को कुछ पता हो तो हमें बतायें।

मिल के उत्पादों पर उपकर

*२४४१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने ऐसे कोई सुझाव दिये हैं कि चावल कूटने और दियासलाई बनाने के काम को कुटीर उद्योग आधार पर अर्थ-सहायता देने के उद्देश्य से मिल के उत्पादों पर उपकर वसूल किया जाये; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन सुझावों पर क्या फैसला किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रकाशन में यह कहा गया है कि चावल कूटने और दियासलाई बनाने के कुटीर उद्योगों को सहायता देने के लिये सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह चावल तथा दियासलाई उद्योग के मिल उत्पादों पर उपकर वसूल करे। क्या यह बात सच है या गलत ?

श्री करमरकर : इस विषय में हमारी नवीनतम सूचना यह है कि अनुसन्धान समिति ने यह सिफारिश की थी कि दियासलाई बनाने वाली सारी 'ए' वर्ग की फैक्टरियों में यानी ५ लाख ग्रॉस प्रतिवर्ष से ज्यादा उत्पादन करने वाली फैक्टरियों में ६० तीलियों वाली डिब्बियों पर साढ़े चार आने प्रति ग्रॉस के हिसाब से उपकर लगाया जाये ; परन्तु हमें पता चला है कि बोर्ड ने इस सिफारिश पर विचार करना स्थगित कर दिया है। चावल के बारे में कोई सुझाव नहीं है, कम से कम हमारे पास तो कोई नहीं आया।

गंधक का तेजाब

*२४४२. **डा० रामा राव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कितना गंधक का तेजाब आयात किया गया था ?

(ख) भारत में कितने सार्थ इस का निर्माण कर रहे हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने और सुविधाओं की माग की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केवल ३८ हंडरवेट।

(ख) लगभग ३९।

(ग) नहीं श्रीमान्।

डा० रामा राव : १९५३ में हमारी वार्षिक आवश्यकतायें क्या थीं ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री राघवय्या : हम किन देशों से गंधक का तेजाब आयात कर रहे हैं ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना मांगनी पड़ेगी।

श्री जोकीम आल्वा : क्या वाणिज्य मंत्रालय को ज्ञात है .....

श्री करमरकर : मैं डा० रामा राव द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पास आंकड़े हैं। १९५२-५३ में विभिन्न उद्योगों में उपभोग की गई गंधक के तेजाब की मात्रा यह है :

१९५२	९६·०८६ टन
१९५३	१०९·०९१ टन

मुझे खेद है कि मैं बीच में बोला हूं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या वाणिज्य मंत्रालय को विदित है कि गंधक का तेजाब हमारे आयुक्त कारखानों में प्रयोग किये जाने वाले २४ उत्पादों में से एक है और क्या मंत्रालय ने आगे आयात बन्द करने की दृष्टि से इस बात की जांच की है कि हमारी वास्तविक आवश्यकतायें क्या हैं ?

श्री करमरकर : गंधक के सम्बन्ध में जैसा माननीय सदस्य को विदित है हमें सारी गंधक आयात करनी पड़ती है। हमारा आयात केवल ३८ हंडरवेट है। हमारी सामान्य नीति यह है कि आयात आवश्यकताओं से अधिक न हो और हम देशी उत्पादन का भी ध्यान रखते हैं।

डा० रामा राव : भाग (ख) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि भारत में ३९ सार्थ गंधक का तेजाब बना रहे हैं। उन में से कितने पूर्णतः भारतीय हैं, कितने विदेशी हैं और कितने मिले जुले हैं ?

श्री करमरकर : जहां तक मैं समझता हूं वे सब भारती हैं—सोनवाला उद्योग, पश्चिमी उद्योग, पूर्वी उद्योग इत्यादि। मुझे नामों से स्पष्ट पता लगता है कि वे सब भारतीय

मोटर गाड़ियां

*२४४४. **श्री दी० पी० नायर:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ मई १९५४ के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' के पृष्ठ १ पर 'भारत में मोटर गाड़ियों का निर्माण' नामक शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विदेशों में निर्मित उन मेक और आकार की मोटर गाड़ियों का आयात करने की अनुमति होगी जो भारतीय निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं बनाये जायेंगे ; तथा

(ख) सरकार ने क्या ऐसी कोई कार्यवाही की है जिस से कि निर्माता अपने उत्पादों का अत्यधिक मूल्य न रख सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जीप प्रकार की गाड़ियों के सिवाय, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये अन्य कोई मोटर गाड़ी आयात करने की अनुज्ञा नहीं है ।

(ख) सरकार मोटर गाड़ियों के मूल्यों के उतार चढ़ाव का ध्यान रखती है ।

जब कभी सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का अवसर उत्पन्न होगा, वह उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार की इस नीति के अधीन यूरोपियन मेक अर्थात्, ओयल, साइट्रोन, रेनाल्ट और अन्य मोटर कारों के आयात पर रोक लगा दी जायेगी ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र अवश्य यह समझ सकेंगे कि उत्पादनके पश्चात् आवश्यकतायें पूरी करने में जो कमी रहेगी वह आयात द्वारा पूरी की जायेगी । यदि हमारा उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हो गया तो आयात की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

श्री वी० पी० नायर : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस नीति से स्वतन्त्र निर्माताओं के कतिपय एकाधिकार बन जायेंगे, क्या सरकार इन निर्माताओं के लागत के लेखे की जांच करके लाभ की सीमा निर्धारित करेगी ?

श्री करमरकर : जैसा मैं ने बताया हम मूल्यों के उतार चढ़ाव का पूरा ध्यान रख रहे हैं । यदि मूल्यों के उतार चढ़ाव के कारण विनियमन की आवश्यकता हुई तो निश्चय ही हम ऐसा करने से नहीं हिचकिचायेंगे । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि इन समवायों को मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित करने में बहुत कठिनाइयां हो रही हैं और इस लिये अधिक लाभ का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रघुरामय्या : इस आयात नीति के फलस्वरूप हिन्दुस्तान मोटर्स को अपनी छोटी कार का वास्तविक एकाधिकार मिल गया है और स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्हों ने हाल में मूल्यों में ५०० रु की वृद्धि कर दी है । क्या सरकार इस की जांच करेगी और उचित मूल्य निर्धारित करेगी ?

श्री करमरकर : मुझे हाल में हुए मूल्य में वृद्धि का पता नहीं है । यदि माननीय सदस्य का हाल ही से अभिप्राय गत वर्ष है तो कुछ वृद्धि हुई थी, परन्तु हमें संतोष है कि जहां तक हिन्दुस्तान मोटर्स का सम्बन्ध है मूल्यों को अनुचित रूप से बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : समाचार पत्र में छपे जिस समाचार की ओर मैं ने प्रश्न में निर्देश किया है उस से मुझे यह पता नहीं लगा कि छोटी कारों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति बनाई है, इस का सम्बन्ध केवल मध्यम आकार की कारों और ट्रकों के निर्माण से है । छोटी कारों तथा देश में उन के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री करमरकर : मेरे मित्र ने जो प्रश्न पूछा है मैं उस की सराहना करता हूं ।

मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम छोटी कारों के सम्बन्ध में किसी भी प्रस्थापना का स्वागत करेंगे । इस समय मेरे पास फाइल में कोई विशेष जानकारी नहीं है ।

मैसूर से काफी का निर्यात

*२४४४. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने राज्य से काफी की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात करने के लिये भारत सरकार से अनुमति मांगी है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नवम्बर १९५३ में मैसूर सरकार ने सिफारिश की थी कि एकत्रित स्टाक से ३०० टन तथा १९५३-५४ की फसल से और ३००० टन के निर्यात की अनुमति दी जाये ।

(ख) १९५२-५३ की फसल से निर्यात के लिये ३००० टन काफी मुक्त की गई थी, तथा १९५३-५४ की फसल से ५००० टन काफी पहले ही मुक्त की जा चुकी है ।

श्री एन० राचय्या : क्या सरकार को विदित है कि मैसूर राज्य में काफी उत्पादकों समय पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त न होने के कारण, महा हानि तथा असुविधा हुई है ?

श्री करमरकर : हमें यह विदित नहीं है। हम ने अनुमति समय पर दे दी थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय टिन समझौता

*२४४५. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उस अन्तर्राष्ट्रीय टिन समझौते पर, जो संयुक्त राष्ट्र टिन सम्मेलन में तैयार किया गया था, संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर हो गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारत जल्दी ही हस्ताक्षर कर देगा । भाग लेने वाले अन्य देशों के सम्बन्ध में सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि संयुक्त राज्य अमरीका समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा । अभी सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि भाग लेने वाले अन्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं अथवा नहीं ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या राष्ट्रीय परिषद् स्थापित हो गई है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि अभी नहीं हुई । समझौते पर भाग लेने वाले अन्य देशों के हस्ताक्षर होने के पश्चात्, इस की स्थापना होगी ।

श्री के० पी० सिन्हा : निर्मित टिन का निर्धारित न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य क्या है ?

श्री करमरकर : न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्य क्रमानुसार ३८० पौण्ड तथा ६४० पौण्ड निर्धारित किया गया है । अन्तराल स्टाक का इस प्रकार प्रयोग किया जायेगा कि टिन का मूल्य ६४० पौण्ड तथा ८८० पौण्ड प्रति टन के नीचे ऊपर न जाये ।

श्री राघवाचारी : सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया था ?

श्री करमरकर : सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया था । जिन अन्य देशों ने उसमें भाग लिया, मेरे पास उनके नाम नहीं हैं, परन्तु हम उसमें सम्मिलित हुए थे ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

११. श्री रघुरामय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रधान मंत्री का ध्यान उस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है जो दक्षिण अफ्रीका की संसद् में दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री ने पिछले दिनों दिया था कि भारत के प्रधान मंत्री की आंखें अफ्रीका पर लगी हुई हैं; तथा

(ख) यदि हां, तो भ्रम उत्पन्न करने वाले इस प्रोपेगेंडा को दबाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सरकार ने समाचार पत्रों में वक्तव्य पढ़ा है।

(ख) सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि इस प्रकार के सर्वथा झूठे तथा भ्रम में डालने वाले आरोपों का खण्डन करने के लिए कोई कार्यवाही की जाये। उपनिवेशवाद पर भारत सरकार के विचार भली प्रकार विदित हैं। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि दक्षिण पूर्व एशिया के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में एकमत होकर सबने यह मत प्रकट किया था कि उपनिवेशवाद तथा मैं यह और कहूंगा जातिभेद भाव मानव के मूल अधिकारों के विरुद्ध है तथा विश्व शान्ति के लिए खतरा है।

श्री रघुरामय्या : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान दक्षिण अफरीका के गृह कार्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर भी आकर्षित किया गया ह जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फिजी द्वीप समूह में भारतीय फिजी द्वीप के निवासियों को वहां से निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा यही बात श्री लंका, पाकिस्तान, मोरीशस तथा अन्य देशों के बारे में भी कही जाती है ? ये आन्दोलन स्वतः प्रवर्तित नहीं हैं अपितु भारत के प्रधान मंत्री ने उन्हें उत्तेजित किया है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जो भी मैं कह सकता हूं वह यह है कि, सर्वप्रथम, दक्षिण अफरीका में कुछ प्राधिकारियों का विचार भेदभावपूर्ण है तथा उनका विवेक भी दोषयुक्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरों को भाव प्रदान करने की मेरी क्षमता पर उन्हें मेरी वास्तविक क्षमता से भी अधिक विश्वास है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि डा० मलान तथा उन की ही प्रवृत्ति के व्यक्ति जो श्वेत उच्चता में विश्वास करते हैं और जिन्होंने अफरीकियों तथा भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की ठान ली है, अफरीका को श्वेत भूमि बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे भारत को बदनाम करने के लिए, जिसने सदैव अफरीकियों का पक्ष लिया है तथा अफरीका के लोगों के हितों की रक्षा के लिए बड़ा ही सावधानीपूर्ण प्रयत्न किया है, संयुक्त रूप से आन्दोलन चला रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इन बातों पर विचार करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि दक्षिण अफरीका के प्रधान मंत्री तथा वहां के कुछ अन्य मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में औचित्य के प्रश्न पर इस प्रकार समस्त युक्तियुक्त सीमाओं का उल्लंघन कर गये हैं कि इन मामलों पर विचार करना मेरे लिए कुछ कठिन हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिजली के मीटरों की खरीद

*२४१६. **श्री नटेशन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी राज्य सरकारों के पास एक परिचालित

पत्र भेजा है कि वे भारत की कुछ फर्मों द्वारा ही बनाए गए बिजली के मीटर खरीदें और इस मद् के आयात के लिए अनुज्ञप्ति न दी जाएगी; तथा

(ख) क्या यह सच है कि जहां तक फुटकर भावों का सम्बन्ध है, इन फर्मों ने एक गुट सा बना रखा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इन शब्दों में नहीं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि स्थानीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए मीटरों को प्रोत्साहन दें।

(ख) सरकार के पास यह समझने का कोई कारण नहीं है।

संसद् सदस्यों के फ्लैट

*२४३४. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नार्थ अवेन्यू तथा साउथ अवेन्यू में संसद् सदस्यों के लिए नए बने फ्लैटों की कुल संख्या;

(ख) उनमें से कितने में फरनीचर दिया जा चुका है।

(ग) फरनीचर का प्राक्कलित मूल्य क्या था और इन फ्लैटों में दिए गए फरनीचर का वास्तविक मूल्य क्या है; तथा

(घ) इन फ्लैटों में दिए गए फरनीचर के प्रमाप पर किराया कितना होना चाहिए और सरकार किरायेदारों से कितना किराया ले रही है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ७२।

(ख) १६ अन्य २६ फ्लैटों में फरनीचर देने का विचार और है।

(ग) तथा (घ). स्थिति को स्पष्ट करने वाली एक टिप्पणी सदन-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ७५]**

मध्यभारत को अनुदान

*२४३९. **श्री डामर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में मध्य भारत राज्य को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी कितनी राशि दी गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : अब तक ऋण के रूप में सौ लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

सेफ्टी रेजर ब्लेड

*२४४६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सेफ्टी रेजर ब्लेड तथा सेफ्टी रेजर सैटों के अन्य पुरजे भारत में बनाए जाते हैं;

(ख) यदि बनाए जाते हैं, तो कुल वार्षिक उत्पादन कितना है, और यह देश की आवश्यकता की किस सीमा तक पूर्ति करता है;

(ग) गत दो वर्ष में कितनी मात्रा का आयात किया गया था;

(घ) क्या आयातित ब्लेडों के गुणों में कुछ ह्रास होने का समाचार मिला है और क्या पुराने तथा प्रयुक्त ब्लेड नए ब्लेडों के रूप में बेचे जाते देखे गए हैं; तथा

(ङ) यदि ऐसा है, तो क्या इस बुराई की जड़ को खोजने के लिए कोई जांच की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) देश में केवल सेफ्टी रेजर ब्लेड ही बनते हैं।

(ख) १९५३ में भारत में लगभग २३० लाख ब्लेड बने थे। ब्लेडों की मांग का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है। नवम्बर, १९५३ से उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है

और अब वह लगभग ५० लाख ब्लेड प्रति मास हो गयी है।

(ग) १९५१–५२ में लगभग २२५० लाख ब्लेडों का आयात किया गया था, और १९५२–५३ में लगभग १४९० लाख का।

(घ) सरकार को कोई जानकारी नहीं हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जुलाहा सहकारी संघ

*२४४७. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, १९५४ के मध्य में बनारस में विभिन्न राज्यों के जुलाहा सहकारी संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी; तथा

(ख) यदि सच है, तो वहां किन विषयों पर विचार किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) हथकरघा वस्त्र के अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा निर्यात पणन को विकसित करने के लिए एक अ० भा० हथकरघा सूत सहकारी पणन संघ बनाने की योजना पर विचार किया गया था।

पैंचेट पहाडी बांध

*२४४८. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैंचेट पहाड़ी बांध के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : दिसम्बर, १९५६ तक।

अगर-अगर

*२४४९. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा में ग्रेशिल्लारिया से अगर-अगर निकालने का कार्य क्या संघ सरकार के सहकार में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार का इसमें कितना हित सन्निहित है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गिरिदीह तथा बोकारो की सरकारी कोयला खदानें

*२४५०. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गिरिदीह तथा बोकारो की सरकारी कोयला खदानों में निकाले जाने वाले कोयले की किन किस्मों का स्थानीय विक्रय करने की अनुमति है ?

(ख) सन् १९५३ के दौरान में क्रमशः गिरिदीह कोयला खदानों तथा बोकारा कोयला खदानों से इन किस्मों का कुल कितना कोयला निकाला गया ?

(ग) सरकार ठेकेदारों को विभिन्न किस्मों का कोयला किन-किन दरों पर बेचती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) गिरिदीह कोयला खदानों से किस्म ३ ख तथा बोकारो कोयला खदानों से किस्म १ और २ के निकाले जाने वाले कोयले के स्थानीय विक्रय की अनुमति है।

(ख) गिरिदीह ४२३७ टन किस्म ३ (ख)
बोकारो १३७९ टन (किस्म १)

(ग) नियंत्रित दरों पर। विक्रय ठेकेदारों के जरिए नहीं किया जाता। गिरिदीह

कोयला-खदानों में उत्पादित किया गया कोयला बिहार सरकार द्वारा लाइसेंस दिए गये एक डिपो वाले को दे दिया जाता है। बोकारो कोयला खदानों से कोयले का स्थानीय विक्रय खदानों के ठेकेदारों को किया जाता है जो कि कोयला खदान प्रशासन के प्रयोग के लिए ईंट तथा टाइल बनाते हैं।

तेज की हुई रेह

*२४५१. **श्री भागवत झा आजाद** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में तेज की हुई रेह का कितनी मात्रा में आयात किया गया।

(ख) देश की कुल वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) क्या इस रेह को देश में ही उत्पादित करने सम्बन्धी कोई गवेषणा की गयी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) समुद्री व्यापार लेखे में तेज की हुई रेह सम्बन्धी आंकड़े पृथक रूप से नहीं लिखे जाते।

(ख) लगभग ३,००० टन।

(ग) यह देश में बनाई जा रही है।

राज्यों के विकास आयुक्तों का सम्मेलन

*२४५२. **श्री रघुरामय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ओटकामांड में राज्यों के विकास आयुक्तों का एक सम्मेलन होने वाला है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य।

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन का उद्देश्य अब तक की गयी प्रगति पर विचार करना तथा राष्ट्रीय विकास सेवा और सामुदायिक विकास का विस्तार तथा कर्मचारियों का प्रशिक्षण इत्यादि है।

तिब्बत के सम्बन्ध में भारत-चीन सम्मेलन

*२४५३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत तथा चीन के बीच तिब्बत सम्बन्धी वार्ता सफलतापूर्वक समाप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समझौते की एक प्रतिलिपि सदन-पटल पर रखी जाएगी?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) समझौते की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रक्खी जाती है **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८५]**

हथकरघा वस्त्रों के लिए प्रदर्शन-कक्ष

*२४५४. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए मद्रास में कोई प्रदर्शन-कक्ष खोला गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां।

चाय स्वाद-परीक्षण सेवा

*२४५४-क. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने एक ऐसी चाय स्वाद-परीक्षण सेवा का विकास करने के लिये क्या कोई कार्यवाही की है जिसमें भारत के राष्ट्रजन ही कर्मचारी हों?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) कलकत्ता स्थित यूरोपियन टी० ब्रोकिंग सार्थों ने कुछ भारतीय शिशिक्षुओं को भर्ती किया है जिनको चाय स्वाद-परीक्षण तथा चाय के मूल्यांकन का परीक्षण दिया जाये।

अभी तक कोई नियमित योजना नहीं बनाई गई है।

व्यापार-चिन्ह जांच समिति

*२४५५. **श्री रघुरामय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या व्यापार-चिह्न जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; तथा

(ख) क्या इसकी एक प्रति सदन-पटल पर रख दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, यथा समय रख दी जायेगी।

द्रावक तेल निकालने के यंत्र

५२२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक कितने द्रावक तेल निकालने के यंत्र स्थापित किये गये हैं और किस किस स्थान पर; तथा

(ख) इस प्रक्रिया से खल के चूरे से कितना प्रतिशत तेल निकाला जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कुल पांच—तीन बम्बई में, एक सौराष्ट्र में और एक हैदराबाद में।

(ख) ६ से १० प्रतिशत तक। यह खली में आरम्भिक तेल की मात्रा तथा यंत्र की कार्य कुशलता पर निर्भर रहता है।

खेल के सामान का उद्योग

५२३. **श्री एस० एन० दास** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खेल के सामान के उद्योग के अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; तथा

(ख) यदि हां, तो किन किन मुख्य सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अध्ययन दल की सिफारिशों तथा उन पर की गई कार्यवाहियों का वर्णन किया गया है ? **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ७६]**

विकास योजनाओं के लिये राज्यों को सहायता

५२४. **श्री एस० एन० दास** :
श्री इलयापेरुमल :

क्या **योजना** मंत्री कृपा बताने की करेंगे :

(क) १९५२–५३ तथा १९५३–५४ में विभिन्न राज्यों को केन्द्र द्वारा विकास योजनाओं के निमित्त सहायता के लिये कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य ने कितनी राशि ले ली;

(ग) क्या कोई राज्य ऐसा भी है जो इस प्रकार दी गई सहायता मिलने पर भी अपनी योजनायें पूरी करने में समर्थ न रहा हो; तथा

(घ) यदि है, तो क्या ऐसे राज्यों को यह योजनायें पूरी करने के लिये कुछ और अनुदान दिये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है जिसमें विकास योजनाओं के निमित्त १९५२–५३ में सहायता के लिये राज्यों को नियत की गई राशियां तथा उन द्वारा ली गई राशियां दी गई हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ७७]**

वित्तीय वर्ष १९५३–५४ का हाल ही में अन्त हुआ है और विशेष विकास निधि में से

लिये गये ऋणों को छोड़ कर इन नियत की गई राशियों में से जितनी राशियां ली गई हैं उनके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। इस कालावधि में मंजूर किये गये ऋणों तथा अनुदानों और विशेष विकास निधि में से लिये गये उधारों के बारे में भी एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ग) तथा (घ). राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

बीरोज़ा

५२५. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में ऐसा बीरोज़ा तैयार करने की कोई फैक्टरियां अथवा संयंत्र हैं जो कि भारत में जलाभेद्य प्लैवुड तैयार करने के लिए गोंद के रूप में प्रयुक्त होता है;

(ख) यदि है तो इन के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उन की पूंजी-रचना भारतीय है अथवा विदेशी है;

(घ) यदि ऊपर भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस बीरोज़ा का प्रदाय कहां से होता है ;

(ङ) यदि आयात किया जाता है, तो १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कितना आयात किया गया;

(च) क्या भारत में देशीय बीरोज़ा तैयार करने के सम्बन्ध में कोई खोज की गई है; तथा

(छ) यदि की गई है तो इस तरह की खोज के परिणाम क्या निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्। दो फर्में ; एक बम्बई में तथा दूसरी उत्तर प्रदेश में। उन के नाम ये हैं :—

(१) इंडिया प्लैवुड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, लिमिटिड, बम्बई।

(२) प्लैवुड प्राडक्ट्स, सीतापुर।

(ग) बम्बई वाली फर्म की पूंजी पूर्णतः भारतीय है और उत्तर प्रदेश वाली फर्म की पूंजी एक बड़ी हद तक विदेशी है।

(घ) से (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनाएं

५२६. **श्री राधा रमण** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना में कौन सी ऐसी विद्युत तथा सिंचाई परियोजनाएं शामिल हैं जो कि प्रत्येक राज्य को छोड़नी पड़ी हैं; तथा

(ख) इस के कारण क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७८]**

कृषि-यंत्र (आयात)

५२७. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब से सरकार ने लाइसेंस देने के सम्बन्ध में अपनी नीति की घोषणा की है तब से अब तक डॉलर तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से कृषि-यंत्रों तथा उन के पुर्जों

के आयात के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ख) १९५३ में कितने मूल्य के कृषि-यंत्र तथा उन के पुर्जे भारत मंगाये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सम्बद्ध है। [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७९]

लंका में प्रदर्शन-कक्ष

५२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लंका स्थित भारतीय हाई कमिश्नर के प्रथम सचिव (वाणिज्यिक) के प्रदर्शन-कक्ष में इस समय किस प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है; तथा

(ख) क्या भारत के बने बनाये वस्त्रों तथा मोटर उपसाधकों के निर्माताओं ने प्रदर्शन के लिए अपनी वस्तुएं भेज दी हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सब तरह का कपड़ा तथा कपड़े से बनी हुई चीजें; अर्थात् सूती, रेशमी, ऊनी, रेयान तथा पटसन से बना कपड़ा और उन से बनी हुई चीजें जिन में कि बने-बनाये वस्त्र भी शामिल हैं।

कालीन ।

दस्तकारियां जैसे कि कढ़ाई की हुई वस्तुएं, बिदरी के बर्तन आदि, निर्मल के बर्तन आदि, लकड़ी का काम, पीतल के बर्तन आदि, कलावत्तु का काम, पेपरमाशी, सीप की बनी चीजें, संगमरमर का काम, चमड़े का काम, हाथी दांत का काम, आदि ।

(ख) कुछ निर्माताओं ने बने बनाये वस्त्रों के नमूने भेजे हैं। मोटर उपसाधकों गये हैं।

मैसूर का चन्दन तथा चन्दन का तेल

५२९. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कुल कितना मैसूरी चन्दन तथा चन्दन का तेल निर्यात किया गया है;

(ख) यह वस्तुएं किन किन देशों को निर्यात की गईं; तथा

(ग) निर्यात किये गये माल का कुल मूल्य क्या था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग): १९५३ में हम ने २८ लाख रुपये के मूल्य की ८३१ टन चन्दन की लकड़ी तथा ४७ लाख रुपये के मूल्य का ५५ टन चन्दन का तेल निर्यात किये। मैसूरी चन्दन तथा चन्दन के तेल के निर्यात सम्बन्धी आंकड़े सरकारी कागजों में अलग नहीं दिखाये गये हैं।

औद्योगिक संस्थाओं के लिये भवन

५३०. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने गत तीन वर्षों में प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक संस्थाओं के लिए कोई भवन बनाये हैं;

(ख) यदि बनाये हैं, तो ऐसे भवनों की कुल संख्या क्या है, इस समय तक प्रत्येक भवन पर कितना धन खर्च किया गया है तथा वह भवन किन संस्थाओं के हैं;

(ग) क्या इन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों से लागत वसूल की गई है, तथा

(घ) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ), अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ८०**]

मशीन औजार फैक्टरी, जलहाली

५३१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कई भारतीयों को स्विट्ज़रलैंड स्थित ओरलिकान फैक्टरियों में ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया है अथवा भेजे जाने का विचार है; तथा

(ख) मशीन औज़ार फैक्टरी, जलहाली में निरीक्षक कर्मचारी वर्ग में कुल कितने भारतीय हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां । पांच भारतीय टैक्नीकल पदाधिकारी तथा एक सुपरवाइज़र स्विट्ज़रलैंड स्थित ज्यूरिच की ओरलिकान फैक्टरियों में ट्रेनिंग के लिए भेजे गये हैं; तथा १४ सुपरवाइज़र और भेजने का विचार है ।

(ख) २८ अप्रैल, १९५४ को १६ थे ।

नई दिल्ली में रिहायशी मकान

५३२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नई दिल्ली में कुल कितने ऐसे मकान हैं जो कि सरकार के अपने हैं अथवा जो सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये गये हैं;

(ख) उन में से कौन मकान किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत आ जाते हैं; तथा

(ग) १९४७ से कुल कितने सरकारी मकान आदि नये बनाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) १७,५०५ जिन में १७३ अधिग्रहीत मकान भी शामिल हैं, किन्तु जिन में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा शरणार्थियों को बेचने या किराया पर देने के लिए बनाये गये ८,८८१ छोटे मकान तथा ३,४३९ मकान शामिल नहीं हैं ।

(ख) दिल्ली तथा अजमेर किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५२ सरकारी मकानों पर अथवा ऐसे मकानों की किरायादारी आदि पर लागू नहीं होता है जो कि सरकार ने उस अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत पट्टे पर लिये हों अथवा अधिग्रहीत किये हों ।

(ग) भाग (क) में निर्दिष्ट पुनर्वास मंत्रालय के छोटे मकानों तथा अन्य मकानों को छोड़ कर ७,९१६ ।

उत्तर प्रदेश में स्थानीय निर्माण कार्य

५३३. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्थानीय निर्माण कार्यों के लिये १९५३-५४ में जो ३ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे, उन में से उत्तर प्रदेश के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई ;

(ख) राज्य सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं केन्द्र की स्वीकृति के लिये भेजीं तथा उन में कितने कितने व्यय का अनुमान था;

(ग) कौन कौन सी योजनाएं स्वीकार कर ली गईं;

(घ) वर्ष के अन्त तक राज्य सरकार को किन किन योजनाओं के लिये कितना कितना धन दिया गया ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) ४४·३० लाख रुपये ।

(ख) से (घ), स्थानीय निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार

ने जो परियोजनाएं मंजूर की हैं उन के सविस्तर विवरण अलग रूप से उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये श्रमदान आन्दोलन के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित किये गये एक व्यापक कार्यक्रम के अंग हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

५३४. श्री जनार्दन रेड्डी : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्तियों में से ३१५ दावेदारों को ३ अप्रैल, १९५४ के समाप्त होने वाले सप्ताह में क्षतिपूर्ति दी गई; और

(ख) यदि दी गई, तो कितनी क्षतिपूर्ति दी गई ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) १५,३९,६५४ रुपये ।

खोपरा तथा नारियल के तेल का आयात

५३७. श्री अच्युतन : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खोपरा तथा नारियल के तेल के सम्बन्ध में वर्तमान आयात नीति क्या है ?

(ख) इस वर्ष के प्रथम तीन मासों में अन्तर्देशीय खोपरा का मूल्य क्या था, और विगत वर्ष के अन्तिम तीन मासों में इस का मूल्य कितना था ?

(ग) क्या सरकार के ध्यान में केन्द्रीय नारियल समिति की उस बैठक की सिफारिशें आई हैं, जो आयात किये जाने वाले खोपरा की मात्रा के सम्बन्ध में अप्रैल १९५४ को ऐरणाकुलम् में हुई थी ?

(घ) यदि ध्यान में आई हैं, तो क्या सरकार उन सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई कदम उठाना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) खोपरा तथा नारियल का तेल—चालू अवधि में दोनों खोपरा तथा नारियल के तेल के आयात की आज्ञा इस प्रकार दी गई है कि संस्थापित आयातक सर्वोत्तम वर्ष के आयात की मात्रा का आधा समान आयात कर सकें । वास्तविक उपभोक्ताओं को उन की आवश्यकताओं के अनुसार और नये आयातकों को भी लाइसैन्स दिये जाते हैं । नारियल के तेल के लिए जारी किये गये लाइसैन्स के प्रत्यक्ष मूल्य के दो तिहाई से अधिक को नारियल के तेल के आयात के लिए काम में नहीं लाया जा सकता है । शेष एक तिहाई खोपरा या नारियल की गिरी के आयात के लिए काम में लाया जा सकता है । नारियल के तेल के स्थान पर ताड़ के तेल के आयात के लिए उक्त लाइसैन्सों के प्रत्यक्ष मूल्य का एक तिहाई काम में लाया जा सकता है ।

) क विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८१**]

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ जुलाई-दिसम्बर, १९५४ के लिए आयात नीति बनाते समय उक्त सिफारिश पर विचार किया जायेगा ।

मक्का जाने वाले यात्री

५३६. श्री जी० एल० चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में हज करने के लिए मक्का जाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) इस यात्रा में कितने व्यक्ति मर गये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ९,०८३ ।

(ख) ९८ ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आंध्र में व्यय

५३७. { **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री सी० आर० चौधरी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आंध्र राज्य के बनने तक वहां पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विविध शीर्षों पर कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) उक्त राज्य के बनने के बाद इस योजना के अन्तर्गत कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) उक्त राशि में से किन किन शीर्षों पर आंध्र सरकार द्वारा कितनी राशि काम में लाई गई है और कितनी छोड़ दी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८२**]

(ख) अक्तूबर, १९५३ से मार्च, १९५४ तक उक्त राज्य की योजना में वहां की विकास योजनाओं के लिए ३७५ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ।

(ग) अभी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

नमक के कारखाने

५३८. **पंडित लिंगराज मिश्र** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये भूमिखण्डों पर नमक के कितने कारखाने चल रहे हैं ?

(ख) क्या कारखाने के मालिकों से सरकार ज़मीन का किराया लेती है ?

(ग) इन में से कितने कारखाने सरकार के स्वामित्व में हैं और कितने संयुक्त स्कन्ध समवायों या सहकारी समितियों द्वारा चलाये जाते हैं ?

(घ) कितने कारखाने सरकार को ज़मीन का कोई भी किराया नहीं दे रहे हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और, यथासम्भव, शीघ्रता से सदन-पटल पर रखी जायेगी ।

मणिपुर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

५३९. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५४–५५ में मणिपुर राज्य के लिए कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड आवंटित किये गये;

(ख) उक्त सेवा-खण्डों में कितने गांव या क्षेत्र आते हैं;

(ग) उक्त सेवा-खण्डों में प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग की संख्या कितनी है; और

(घ) मणिपुर से उन लोगों की संख्या कितनी है जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खण्डों के लिए अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक कोई भी निश्चय नहीं हो पाया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मद्यनिषेध

५४०. **श्री रघुरामय्या** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग किसी ऐसी समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में सोच रहा है जो देश में मद्यनिषेध की सारी बातों का सविस्तर अध्ययन करेगी; और

(ख) यदि उस का ऐसा विचार है तो इस समिति की नियुक्ति कब होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मद्यनिषेध सम्बन्धी कार्यक्रम के कई पहलुओं के अध्ययन के लिए

योजना आयोग व्यवस्था कर रहा है । इस अध्ययन के प्रारम्भ होने के कुछ समय बाद समिति की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा ।

बिहार के लिए सीमेंट का अभ्यंश

५४१. **श्री जो० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में बिहार को कितना सीमेन्ट का अभ्यंश आवंटित किया गया; और

(ख) बिहार में सीमेन्ट का कुल उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करनरकर) : (क) १२१,२०० टन ।

(ख) ८४८,४७३ टन ।

थौबाल सामुदायिक परियोजना

५४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **योजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) थौबाल सामुदायिक परियोजना में कितना क्षेत्र और कितनी आबादी शामिल है;

(ख) १९५३-५४ में इस परियोजना ने कितनी प्रगति की;

(ग) १९५२-५३ के मुकाबले में इस परियोजना का काम कैसा चल रहा है और क्या प्रगति हो रही है; और

(घ) इस परियोजना में आज तक किस प्रकार की कठिनाइयां आई हैं और उन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री(श्री हाथी): (क) २०० वर्ग मील क्षेत्रफल, और १,०२,११८ आबादी ।

(ख) और (ग). १९५३ में प्रति तीन मास बाद हुई प्रगति जताने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८३**].

(घ) प्रारम्भिक स्थिति में प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग के अभाव के कारण कई कठिनाइयां आई थीं जो अब दूर की गई हैं ।

नई दिल्ली में भारत-पाकिस्तान सम्मेलन

५४३. **श्री रघुरामय्या** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अपहृत महिलाओं की प्राप्ति के प्रश्न पर विचार करने के लिए अभी हाल में भारत और पाकिस्तान के उच्च पदाधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि किया गया था, तो उस में क्या निश्चय हो पाया ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण [मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । ६, ७ और ८ मई, १९५४ को आयोजित किया गया था ।

(ख) उस पत्रक की एक प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है जिस में यह दिया गया है कि किन बातों पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये देशनाक संख्या एस–१७६/५४.**]

केसर

५४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ अप्रैल, १९५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में केसर के आयात के लिये कितने लाइसेंस दिये गये;

(ख) स्पेन से कितने मूल्य का केसर मंगाया गया; और

(ग) भारत में खपत के लिये कितना केसर प्रति वर्ष काश्मीर से प्राप्त होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)

अनुज्ञप्ति अवधि	अनुज्ञापनों की संख्या
जनवरी-जून १९५३	१०८
जुलाई-दिसम्बर १९५३	८७
जनवरी-जून १९५४ (१०-४-१९५४ तक)	३४

(ख) अवधि	मूल्य (हजार रुपयों में)
जनवरी-जून १९५३	५५२
जुलाई-दिसम्बर १९५३	५६५
जनवरी-मार्च १९५४	२८३

(ग) बिलकुल ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । समझा यह जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग २००० पौंड काश्मीर से मंगाया जाता है ।

औषध

५४५. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि भारत में सल्फा थियोजोल और आईसोनिकोटीनील हाईड्राजाईड बनाने वाली कितनी कम्पनियां हैं और उन की पूंजी कितनी है;

(ख) उन में से कितनी (१) पूर्ण भारतीय (२) पूर्ण विदेशी और (३) मिश्रित प्रकार की हैं;

(ग) मिश्रित कम्पनियों में भारतीय तथा विदेशी पूंजी कितनी कितनी हैं; तथा

(घ) १९५३ में कितना सल्फा थियो-जोल और हाईड्राज़ाईड आयात किया गया था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) चार । उन की कुल लगाई गई पूंजी ३·३ करोड़ रुपये है ।

(ख) (१) २ ।
(२) १ ।
(३) १ ।

(ग) भारतीय—१,७६,१७,७४० रु०
विदेशी—१०,००,००० रु०

(घ) सूचना, सुगमता से उपलब्ध नहीं है क्योंकि भारतीय बाह्यशुल्क विवरणिका में ये दो मदें अलग अलग नहीं दर्शाई गई हैं ।

रेडियो रिसीवर

५४६. **डा० रामा राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०, १९५१, १९५२ और १९५३ में कितने रेडियो रिसीवर आयात किये गये थे;

(ख) इन वर्षों में भारत में कितने बनाये गये थे; तथा

(ग) कुल कितनी लागत के आयात किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) । विवरण दिया जाता है [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८४**]

भारतीय सरविसेज क्लब

५४६-क. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन स्थित आडले स्ट्रीट का भवन जिस में अब तक भारतीय सरविसेज़ क्लब था, अब किस काम में लाया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): २६ फरवरी १९५४ से भारतीय सरविसेज़ क्लब बन्द कर दिया गया है । क्लब बन्द होने

के पश्चात् उच्चायुक्त ने प्रस्ताव किया था कि ८ साउथ आडले स्ट्रीट के भवन का, निम्न-लिखित प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाय :—

(१) पहले मंजले के कमरे सार्वजनिक कमरों के रूप में रखे जायेंगे और पदाधिकारियों, यात्रा के लिये आये सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों के मनोरंजन के लिये उन का उपयोग होगा । यह सब उच्चायुक्त के सामान्य नियन्त्रण में होगा ।

(२) नीचे के हिस्से में केन्टीन चलती रहेगी जिस से कि कर्मचारियों को मध्याह्न भोजन तथा चाय मिल सके ।

(३) शेष स्थान भारतीय स्टोर विभाग के उन कर्मचारियों के लिये दी जायेगी जिन्हें एज़वेयर रोड के भवन में जगह न दी जा सकी जब उस भवन के नीचे के भाग को खाली करने का नोटिस मिला ।

उच्चायुक्त ने प्रतिवेदन भेजा था कि भवन में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे तथा अतिरिक्त फरनीचर को बेचने या अन्य स्थान भेजने का प्रबन्ध करना पड़ेगा । इसी बीच में उच्चायुक्त से कहा गया था कि वह अन्तिम प्रस्ताव विस्तार में भेजे । उन की प्रतीक्षा की जा रही है । उच्चायुक्त की सिफारिशें आने, तथा निर्णय कर लेने के पश्चात् एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जायेगा जिस में बताया जायेगा कि साउथ आडले स्ट्रीट के भवन का अन्त में किस प्रकार उपयोग किया गया है ।

———————

बुधवार,
१२ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

लोक सभा

बुधवार, १२ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-१६ म० पू०

विशेषाधिकार प्रश्न

श्री एन० सी० चटर्जी : (हुगली) : मैं इस सदन के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । कल मुझे राज्य-परिषद् के सचिव से एक नोटिस मिला है जिसमें मुझ से यह पूछा गया है कि क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार ठीक है कि मैंने कहा है कि राज्य-परिषद् में अनुत्तरदायी प्रकार के सदस्य हैं । इस बारे में राज्य-परिषद् में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया है क्योंकि इस बात से उस सदन के विशेषाधिकार भंग हुये हैं और उस वक्तव्य से राज्य-परिषद् का असम्मान हुआ है । मुझ से यह पूछा गया है कि मेरा यह वक्तव्य समाचार पत्रों में ठीक रूप से प्रकाशित हुआ है या नहीं ।

मेरा निवेदन यह है कि यह एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया है कि राज्य-परिषद् के सचिव द्वारा लोक-सभा के सदस्य को उपरोक्त प्रकार का नोटिस दिया गया है । यदि इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाना है तो लोक-सभा या अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाना चाहिये । द्वितीय सदन इस मामले में निर्णय नहीं कर सकता ।

मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहना चाहता । इस मामले में या तो आप या सदन मुझे निदेश दे सकता है । यदि आप चाहते हों कि मैं उन तथ्यों के सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दूं या द्वितीय सदन के नोटिस का पालन करूं तो मैं ऐसा करूंगा । किन्तु मैं जानता हूं कि इंगलैंड में हाउस आफ कामन्स में उसके सदस्य हाउस आफ लार्ड्स की कार्यवाही की बहुत बड़ी आलोचना करते रहे हैं । फिर उन वक्तव्यों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई और न कोई विशेषाधिकार का प्रश्न ही उठाया गया । मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले में आपको प्रक्रिया निर्धारित करनी है और इस सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करनी है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रश्न पर विचार करें, उसके बाद वे

[अध्यक्ष महोदय]

हाउस आफ कामन्स या इंगलैंड की प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के उदाहरण प्रस्तुत करें। इन सब को सुन कर मैं अपना निर्णय करूंगा ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : चूंकि आपने कहा कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इस पर चर्चा की जा सकेगी, मुझे इस बारे में एक या दो बातें कहनी हैं जिन पर निर्णय करने से पूर्व आप तथा सदन विचार कर सकते हैं ।

पहली बात यह है कि उक्त घटना का इस सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह घटना इसके बाहर हुई है । इसमें प्रश्न यह है कि इस सदन का कोई सदस्य इसके सदन के बाहर किसी प्रकार का कार्य करके, जिसके साथ इस सदन का कोई सम्बन्ध नहीं हो, इस सदन से विशेषाधिकार की रक्षा की मांग कर सकता है या नहीं ।

दूसरा प्रश्न यह है कि उनसे यह पूछा गया है कि उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में नहीं अपितु इसके बाहर उन्होंने कुछ कहा था या नहीं । इन दो बातों पर ध्यान देना चाहिये । इस सदन या उस सदन के विशेषाधिकारों का निर्देश करना तो बड़ा सरल है किन्तु कुछ बातें इन दोनों सदनों के बाहर होती हैं और सामान्य रूप से उनके बारे में जांच की जाती है और मेरा सुझाव है कि उस जांच के आधार पर कुछ कार्यवाही की जाय । हमें पता नहीं है कि क्या कार्यवाही की जायगी तो यह इस मामले में जल्दबाजी करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यहां तो प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है कि क्या कोई सदन इसके बाहर दिये गये वक्तव्य के बारे में कोई कार्यवाही कर सकता है या नहीं । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे सांविधानिक दृष्टि से सदा के लिये तय कर दिया जाना चाहिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस समय प्रश्न यह है कि किसी रिपोर्ट की सत्यता की जांच करना उचित है या नहीं । मैं नहीं जानता कि जांच किये जाने के बाद क्या प्रक्रिया होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि मैं इसको सुनूंगा और सदन इस पर चर्चा करेगा । हम इस सदन के बाहर किसी सदस्य, चाहे वह उसने संसद् सदस्य के या नागरिक के रूप में दिया हो, द्वारा दिये गये वक्तव्य, जिसका इस सदन के कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं होगा, के बारे में भी चर्चा करेंगे ।

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : क्या उस चर्चा के दौरान में इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि जब अध्यक्ष महोदय तथा राज्य-परिषद् के सभापति का ध्यान किसी समाचार पत्र की रिपोर्ट की ओर दिलाया जायेगा तो क्या ये दोनों उस सदस्य से यह पूछ सकते हैं या नहीं कि उसने वह वक्तव्य दिया है या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें सभी सम्भावनाओं तथा निष्कर्षों का ध्यान रखना चाहिये और इस बात का विचार करना चाहिये कि किसी रिपोर्ट की सत्यता की जांच की जा सकती है या नहीं । मैं नहीं समझ पाता कि यह सब क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय प्रश्न केवल यही है कि किस प्रकार की जांच की गई है और जिसे प्रक्रिया का पालन किया

गया है वही ठीक है, अथवा किसी अन्य प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। यदि उस सदन के कुछ सदस्य इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप में भी कोई बात कहते हैं और यह सदन यह निश्चित करता है कि यह अधिकार सीमा में नहीं है तो वैसा किया जायेगा किन्तु हमें देखना यह है कि सही प्रक्रिया क्या है। इस समय हमें इसकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देना है। माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार का प्रश्न तय करना चाहिये। इस सम्बन्ध में पहले का उदाहरण भी रखा जा सकता है और तभी हम सदैव के लिये इस प्रक्रिया को निश्चित कर लेंगे। यह महत्वपूर्ण विषय है जिसको तत्काल ही नहीं निबटाया जा सकता है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : आपको यह कैसे ज्ञात हुआ कि इस सदन के सदस्य ने ऐसी बात कही थी ? क्या आपको तथ्य का पता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके पढ़े गये पत्र से जानता हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या मैं कुछ कह सकता हूं। जब यह घटना घटी थी उस समय मैं राज्य-परिषद् में उपस्थित था। एक माननीय सदस्य ने खड़े होकर स्टेट्स-मैन अथवा अन्य किसी समाचार पत्र में दिये गये भाषण के समाचार की ओर सभापति का ध्यान आकर्षित किया था। इस पर सभापति ने उत्तर दिया कि मैं इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता, मैं केवल इसकी जांच कर सकता हूं कि यह समाचार ठीक है अथवा नहीं, और तत्पश्चात् इस मामले पर विचार किया जा सकता है। सभापति ने कहा कि प्रश्न केवल यह है कि मैं नहीं समझता कि यह समाचार सही है, केवल समाचार पत्र को पढ़ कर आप कुछ भी कह सकते हैं, किन्तु मुझे ज्ञात होना चाहिये कि समाचार सही है अथवा नहीं। उन्होंने जो कुछ भी कहा वह यही था कि मैं इसकी जांच करूंगा कि यह समाचार सही है अथवा नहीं। बस केवल यही हुआ है।

श्री साधन गुप्त : (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : चूंकि यह सारा मामला एक पत्र पर आधारित है अतः उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर लेना लाभदायक होगा जिससे द्वितीय सदन का वास्तविक विचार ज्ञात हो सके। अतः क्या हम पत्र को सदन पटल पर रखवा सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह पत्र कार्यवाहियों में चलाया गया है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो कार्यवाहियों की प्रतिलिपि ले सकते हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति तथा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्टें

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) मेरे द्वारा समय-समय पर दिये गये आश्वासनों के अनुसार मैं निम्नलिखित रिपोर्टों में से प्रत्येक की एक-एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :

(१) प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट **[पुस्तकालय में रखी है देखिये संख्या एस०-१५९/५४]**

(२) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट **[पुस्तकालय में रखी है। देखिये संख्या एस०-१६०/५४]**

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं १९५४-५५ की अनुदान

[श्री अलगेशन]

की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त कुछ स्मृतिपत्रों के उत्तर देने वाले विवरण की एक प्रति सदन पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस०—१६१/५४**]

प्राक्कलन समिति

सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय पर प्राक्कलन समिति की सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं ।

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना

श्री एम० ए० अय्यंगार : मैं गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की नवीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं ।

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक

सचिव : श्रीमान्, लोक-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १७८ के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदन करना है कि हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक, १९५२ के सम्बन्ध में, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् में पुरः-स्थापित किया गया, सदन पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार, दो याचिकायें प्राप्त हुई हैं ।

विवरण

हिन्दू विवाह-विच्छेद विधेयक, १९५२, के सम्बन्ध में जिस रूप में कि वह राज्य-

परिषद् में पुरःस्थापित किया गया, याचिकायें

हस्ताक्षर कर्ताओं की संख्या	जिला या नगर	राज्य	याचिकाओं की संख्या
२	नई दिल्ली	दिल्ली	९
१,४९०	"	"	१०

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन संकल्प करता है कि—

(१) रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को इस समय देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त से रेलवे वित्त के पृथक्करण के सम्बन्ध में अन्य सहायक विषयों का पुनर्विलोकन करने और उस पर ३० नवम्बर, १९५४ तक सिफारिशें करने के लिये अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले, इस सदन के बारह सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाय ; और

(२) कि यह सदन राज्य-परिषद से सिफारिश करता है कि वह समिति में परिषद् के छः सदस्य रखना स्वीकार करे तथा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सदन को भेजे ।"

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस को सदन के मत दान ....

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : इस समिति में इतने अधिक सदस्य क्यों रखे गये हैं । ऐसी समितियों में तो जितने ही कम सदस्य हों उतना ही अच्छा रहता है । माननीय रेलवे मंत्री कृपया इसका कारण बताने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यदि प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से देखा जाय तो ७५० की योग सदस्य संख्या की तुलना में यह संख्या कोई अधिक नहीं कही जा सकती ।

श्री एल० बी० शास्त्री : मैं चाहता हूं कि इस समिति में सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सदन संकल्प करता है कि–

(१) रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व के इस समय देय लाभांश की दर तथा सामान्य वित्त से रेलवे वित्त के पृथक्करण के सम्बन्ध में अन्य सहायक विषयों का पुनर्विलोकन करने और उस पर ३० नवम्बर, १९५४ तक सिफारिशें करने के लिये अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले, इस सदन के बारह सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त की जाय; और

(२) कि यह सदन राज्य परिषद् से सिफारिश करता है कि वह समिति में परिषद् के छः सदस्य रखना स्वीकार करे तथा इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सदन को भेजे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री सी० सी० बिस्वास द्वारा १० मई, १९५४ को रखे गये प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा :

माननीय मंत्री को उत्तर देने में कितना समय लगेगा ?

श्री बिस्वास : मेरा सुझाव है कि आज इस पर वाद-विवाद हो और कल मैं उत्तर दूं । मुझे जितना भी समय मिलेगा उसी के अनुसार मैं बोलूंगा ।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं हिन्दू विवाह और तलाक के सम्बन्ध में बोल रहा था और इस सम्बन्ध में मैं यह कह रहा था कि हमारे बहुत से सदस्यों ने यह कहा कि इस विवाह और तलाक़ के पहिले हिन्दुओं में अभी जो प्रथा है उस प्रथा के अनुसार स्त्री जाति पर बहुत अत्याचार होता है और स्त्री जाति को इस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के हेतु यह विवाह और तलाक का विधेयक लाया गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मैं इस बिल का समर्थक हूं और इसे आवश्यक समझता हूं लेकिन कल जो मैं आपको बतला रहा था कि मेरे वहां मामला उल्टा है और स्त्रियां पुरुषों पर अत्याचार करती हैं उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं और हमारे यहां स्त्री जाति पुरुष जाति पर किस तरह से अत्याचार कर रही है उसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं । हमारे यहां देश के अन्य भागों में वर के संरक्षकों को रुपया दहेज में दिया जाता है पर हमारे यहां मामला उल्टा है, हमारे यहां बधू के संरक्षकों को रुपया और दहेज दिया जाता है ।

श्री सी० डी० पांडे : हमारे यहां भी है ।

श्री जांगड़े : देश के अन्य भागों में आप पाते हैं कि पति जब चाहे अपनी पत्नी को निकाल देता है और दूसरी शादी कर लेता है पर हमारे यहां बिल्कुल उल्टा रिवाज है कि पत्नी जब चाहे तब अपने पति को छोड़ कर मायके में जाकर रह सकती है और उस पत्नी की मां उसे जहां चाहे भेज सकती है, और इस सम्बन्ध में यदि आप कोई पंचायत करें तो पंचायत को मामला निबटाने में मैं समझता हूं वर्षों लग जाते हैं और तब भी कोई फैसला नहीं होता । अदालत में अगर ४९७,

[श्री जांगड़े]

४९८ दफा में प्रोसीड करते हैं तो अदालत में तीन तीन साल बीत जाते हैं और कोई फैसला नहीं होता और अखिर में यह कह दिया जाता है कि बेहतर यह होगा कि आप दोनों आपस में राजीनामा कर लो, हमारी ओर से कोई सजा या जुरमाना नहीं होने वाला है और इस तरह आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से औरत जाति हमारे यहां पुरुषों पर अत्याचार करती हैं । मैं आपको बतलाऊं कि हमारे यहां की जो औरतें हैं यदि उनके बालों में तेल न लगे या उनके पिता अथवा माता का यदि उनके ससुराल वाले स्वागत न करें और उनको ठीक तरह से खाना पानी न मिले तो एकदम वह अपने पति को छोड़ देती हैं और जाकर दो साल तक मां के यहां रहती है और इस बीच उसके मां बाप उसके लिये दूसरे वर की खोज में रहते हैं और जब वर मिल जाता है तो उसके घर बैठ जाती है और अपने पहले पति को छोड़ देती है और यदि उस पर मुकद्दमा चलाया गया तो अदालत की प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिये या युं कहिये विलम्ब डालने के लिये वह यह करते हैं कि पत्नी को खड़गपुर, कलकत्ते या कोयलाखदानों में या दूसरे अन्य क्षेत्रों में पहुंचा देते हैं और अदालत का सम्मन उन तक पहुंचने में दो, तीन साल बीत जाते हैं और दूसरे पहले पति का सैकड़ों और हजारों रुपया अदालत का दरवाजा खटखटाने में बर्बाद हो जाता है । अदालत में लोग जाने की हिम्मत नहीं करते हैं और अगर यह मामला पंचों की पंचायत में ले जाते हैं तो वहां पर पंचायत में भी एक तरफ पत्नी के गांव वाले रहते हैं और पति के गांव वाले दूसरी तरफ रहते हैं और वहां पर आखिर में जीत किस की होती है, आखिर में पुरुष को ही बाध्य होना पड़ता है और चाहे पति ने दो हजार रुपया शादी में खर्च किया हो लेकिन अगर पत्नी पक्ष वाले कहते हैं कि नहीं केवल २० रुपया ही हम कंसेंट मनी जिसको हमारे वहां 'बूंदा' कहते हैं देंगे तो उसको बाध्य होकर बीस रुपये के लिये राज़ी होना पड़ता है ।

मध्यप्रदेश के आधे हिस्से में छत्तीसगढ़ के हिस्से में जहां आदिवासी रहते हैं, हरिजन या अन्य और लोग बसते हैं उनमें करीब ९० प्रतिशत लोगों में यह लूज़ मैरिज एन्ड डाइवोर्स की प्रथा चालू है, ढीला विवाह और तलाक की प्रथा चालू है । और मैं अपने जाती अनुभव से आपको बतला सकता हूं कि जब मैं दौरे पर जाता हूं तो मेरे सामने विवाह और तलाक आदि के सैकड़ों मामले फैसला करने के लिये आते हैं और उनका फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है । हमारे यहां बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है और जिसमें माता और पिता लड़के और लड़की के चरण पखारते हैं और दहेज आदि देते हैं, उस समय तो उनको कोई खतरा नहीं होता लेकिन जब वह लड़की सयानी होती है तो हमेशा यह डर और सन्देह बना ही रहता है कि न जाने किसके साथ वह निकल जाय और जब तक उस लड़की के एक या दो बच्चा नहीं हो जाता तब तक यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि उसकी पत्नी उसी के पास उसके घर में रहेगी । दिविजों में तलाक की प्रथा बिल्कुल नहीं है और जब लड़की किसी भी उमर में विधवा हो जाती है, बचपन में या किसी भी उमर में तब वह दूसरा विवाह कर ही नहीं सकती और अन्दर ही अन्दर कोई जुर्म कर लेती है ।

इसलिये आप यह देखेंगे कि इस छत्तीसगढ़ इलाके में पुरुष स्त्री की यौवनावस्था तक ही शादी कर सकते हैं । बुढ़ापे में शादी उसकी हो पानी मुश्किल है । पुरुष तो बुढ़ापे

में भी शादी कर सकता है लेकिन कोई पुरुष बूढ़ी स्त्री से शादी करने को तैयार नहीं होता है। यह एक निर्विवाद सत्य है। जीवन भर में तीन या चार बार विवाह कर लेता है पहले एक स्त्री से उसका विवाह हुआ। जब वह छोड़ कर चली गई तो फिर उसने दूसरी से शादी की, दूसरी छोड़ कर गई तो तीसरी से शादी कर ली। तीसरी भी छोड़ गई तो फिर चौथी से कर ली। इस प्रकार उसे जीवन भर में तीन या चार औरतों से शादी करनी पड़ती है और उसका रुपया बर्बाद होता है। छत्तीसगढ़ के इलाके में हमारी आर्थिक क्षति का यह भी एक प्रधान कारण है।

दूसरे प्रकार का अपवाद मैं आपको और बताना चाहता हूं। राजस्थान में औरतों के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। चूंकि मेरी बहन सुभद्रा जोशी मुझ पर जरूर नाराज होंगी इस लिये मैं दूसरा उदाहरण भी देना चाहता हूं। राजस्थान में आपने देखा होगा, और हमारे राजस्थान के भाइयों को मालूम होगा, कि वहां पर स्त्रियों पर क्या क्या अत्याचार होता है। वहां पर दहेज इतना ज्यादा होता है कि उस दहेज के बोझ से बचने के लिये अगर किसी घर में लड़की होती है तो उसका पिता उसका गला घोंट देता है ताकि उसकी मुक्ति दहेज देने से हो जाय।

श्री मुरारका (गंगानगर-झुंझनूं) : सिर्फ राजपूतों में होता था, सब में नहीं।

श्री जांगड़े : शायद आपको इसका ज्यादा पता है, लेकिन मुझे इसकी खुशी है कि आपने मेरी बात का समर्थन किया है।

तो आप यह देखेंगे कि राजस्थान में यह भी होता है कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उस विधवा स्त्री को दूसरी जगह देने के लिये उस के संरक्षक जिम्मेदार नहीं होते हैं बल्कि इसके जिम्मेदार उसकी पुरानी सुसराल वाले होते हैं।

जो विधवा स्त्री के सुसराल वाले होते हैं वे उस स्त्री की इच्छा के खिलाफ जबर्दस्ती उसको बांध कर दूसरे के यहां दे देते हैं। भला आप ही बताइये कि यह कितना अत्याचार है। यह दोनों एक्स्ट्रीम्स हैं। राजस्थान में पुरुषों की ओर से और हमारे छत्तीसगढ़ में औरतों की ओर से यह अंतिम सीमायें हैं। इन दोनों सीमाओं का समन्वय करने के लिये यह हिन्दू विवाह और तलाक विधेयक आज इस सदन में लाया गया है। यह बहुत उत्तम है और इसको स्वीकार करना चाहिये।

इसके बाद सदन में दूसरी चीज यह कहना चाहता हूं कि विवाह के प्रिंसिपल सिद्धांत का पालन करना चाहिये। इस देश में पहले समय में समाज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस लिये मनुस्मृति में या किसी पुरानी संस्था और समाज पर ज्यादा जोर दिया गया है और उस समय में कहा जाता था कि विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जिस का उद्देश्य संसारिक सुख या कामतृप्ति करना नहीं है बल्कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा समाज सेवा करना है। इस लिये उन दिनों में पत्नी की खोज लड़के के संरक्षक या उसके सगोत्र करते थे क्योंकि उस समय लोग यह मानते थे और आज भी हिन्दू समाज मानता है कि बिना सन्तान उत्पन्न किये हुये किसी व्यक्ति का पिता स्वर्ग नहीं जा सकता और यदि सन्तान नहीं हुई तो उसका पिता जो स्वर्ग में चला गया है उसको भी स्वर्ग से नर्क को वापस आना पड़ेगा। इस सिद्धांत पर हिन्दू समाज आज भी विश्वास करता है, लोग मानें चाहे न मानें क्योंकि आजकल व्यक्तिवाद का जमाना है। आजकल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत भी चल रहा है। पहले जाति थी, उसके बाद जाति टूटी और समाज आया, समाज टूटा तो संयुक्त परिवार आया।

[श्री जांगड़े]

उसके बाद संयुक्त परिवार जब टुटा तो व्यक्तिगत परिवार आया। अब व्यक्तिगत परिवार भी टूटना चाहता है और स्त्री तथा पुरुष अलग अलग होना चाहते हैं। इतनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक हम पहुंच चुके हैं।

रूस में शार्ट टर्म मैरेज; यानी अल्प समयक विवाह की प्रथा है। इस प्रथा के अनुसार पति तो एक कारखाने में काम करता है और उसकी स्त्री किसी दूसरे कारखाने में काम करती है। जब कभी दोनों एक जगह पर मिले तो समय बांध दिया जाता है कि एक साल के लिये, छः महीने के लिये ही वह मिल कर रह सकेंगे यानी शादी कर सकेंगे।

श्रीमती विजय लक्ष्मी (जिला लखनऊ—मध्य) : आप बहुत पुराने जमाने की बात कह रहे हैं यह बात सदियों पहले खत्म हो चुकी है। आप कोई नई किताबें भी तो पढ़ा कीजिये।

श्री जांगड़े : जो कुछ भी हो, अगर रूस नें इससे छटकारा पा लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी ओर यह कहा जाता है, मैंने कल ही एक किताब पढ़ी। अमेरिका के न्याय अध्यक्ष लिंड्से और इंगलैंड की मेरी करेली . . . .

श्रीमती विजय लक्ष्मी : अरे भाई मेरी करेली को मरे हुये ५० वर्ष हो गये हैं। उस समय से संसार बहुत आगे बढ़ चुका है।

श्री जांगड़े : उस किताब में बताया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कितना दुरुपयोग होता है। तो हमें अब यह देखना चाहिये कि यदि हम अतीत कालीन, पुराने काल के विवाह संस्कारों को लें, जिसके अनुसार कि वर वधू दोनों की इच्छा के खिलाफ, दोनों के विचारों तथा आदर्शों के खिलाफ हम उनको जबर्दस्ती विवाह में बांध देते हैं, तो वह भी बुरा सिद्धांत है। दूसरी ओर यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें, इस सिद्धांत का अतिक्रमण करें तो यह भी बुरा है। इन दोनों चीजों को ले कर हिन्दुस्तान को यह देखना है कि वह यहां पर अमरीका या इंग्लैंड की तरह का डाइवोर्स न होने दें। एक ओर हमें यह देखना है तो दूसरी ओर हमें यह देखना है कि हिन्दू समाज में ९० प्रतिशत लोगों में तलाक का अत्यन्त ढीला प्रवाह है। अगर यह बढ़ता है तो इसको भी हम बन्द करें ताकि एक दूसरे की नैतिकता को हम पहचानें और उसको पहचान कर इस देश में समृद्धि लायें और यहां के हिन्दू समाज की उन्नति करें।

मैं इस बिल का समर्थक हूं क्योंकि यह जो हिन्दू विवाह और तलाक विधेयक लाया गया है, यह ऊंची जातियों और नीची जातियों को एक जगह बिठलाता है और समता लाता है। पहले द्विज लोगों में तलाक की प्रथा नहीं थी, चाहे छुटपन में विवाह हो या किसी उमर में हों, यदि किसी स्त्री का पति मर जाय तो वह विवाह नहीं कर सकती थी, भले ही वह कोई जुर्म करे, हालांकि उस जुर्म को समाज नहीं चाहता, लेकिन फिर भी स्त्री का विवाह दुबारा नहीं हो सकता। हिन्दू समाज में और बड़े बड़े क्षेत्रों में यह अत्याचार बढ़ते जाते हैं, हमें इस विवाह संस्कार को भूलना होगा और जो कारण मैंने बताये हैं उन कारणों को लेकर उन्हें भी तलाक की इजाजत देनी पड़ेगी। साथ ही दूसरी ओर इंग्लैंड और अमरीका की तरह, बल्कि उन से भी ज्यादा तलाक जो हमारे देश में प्रवाहित हो रहे हैं उस ढीली तलाक की प्रथा को जिससे अनैतिकता बढ़ रही है, उसको भी हमें रोकना होगा और पति तथा पत्नियों को अच्छे तथा दृढ़ सूत्र में बांधना होगा।

आप यह भी देखते होंगे कि पंजाब में या उत्तर प्रदेश में रिवाज दूसरे हैं, और मध्य प्रदेश में दूसरे, हैं, उड़ीसा में दूसरे हैं,

हमें इन रिवाजों को एक जगह पर लाना होगा, यहां पर साउथ इंडिया में बिल्कुल ही दूसरे रिवाज हैं, लेकिन हमें उनका समन्वय करना होगा। यह तमाम खामियां हैं जिन पर सेलेक्ट कमेटी में विचार होना चाहिये। मैं इसके सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजों पर विशेष तौर पर जोर देना चाहता हूं। एक तो रजिस्ट्रेशन आफ मैरेज है, अर्थात् विवाह का पंजीबद्ध करना। इस के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन करने वाली, पंजीबद्ध करने वाली संस्था कौन सी होगी, इस को सेलेक्ट कमेटी को या सदन को या माननीय मंत्री महोदय को ही, जो कि इस बिल का संचालन कर रहे हैं, बताना चाहिये, क्योंकि यदि हम जिला केन्द्रों में रजिस्ट्रेशन के स्थान बनायेंगे तो यह लोगों के लिये अत्यंत असुविधाजनक होगा। मैं समझता हूं कि विलेज थानों को भी रजिस्ट्री करने का अधिकार देना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि हर एक आदमी जिला केन्द्र में ही जा कर रजिस्ट्री कराये। बल्कि जिस तरह से बच्चा पैदा होने पर उसका रजिस्ट्रेशन विलेज थाने में होता है उसी प्रकार से विवाह का रजिस्ट्रेशन भी सुगम तरीके से थानों में हो सकता है।

एक तरफ अगर विवाह विच्छेद या जुडिशल सेपरेशन या विवाह को नल ऐन्ड वायड करना होगा और दूसरी तरफ यदि डिक्री आफ डाइवोर्स लेना होगा तो इन दोनों का अधिकार जिला अदालत को दिया गया है। लेकिन यह न्यायालय जिला केन्द्र में रहेगा या कि वह जिले की तहसीलों में भी आयेगा, इसको भी हमें स्पष्ट करना चाहिये।

क्योंकि भले ही आप लोगों को मालूम न हो पर देहात के रहने वाले भाइयों को बहुत तकलीफ होती है। क्यों न इसका अधिकार पंचों को दिया जाय। हम तो कानून में स बात को रख रहे हैं कि अमुक अमुक कारणों से ही पत्नी पति से विवाह विच्छेद कर सकती है और पति पत्नी से विवाह विच्छेद कर सकता है या मैरिज को वाइड कर सकता है। यह तो हम यहां पर बता रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में इन पंचायतों को निर्णय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके फैसलों को पटवारी के जरिये दस दिन में थाने में पहुंचाया जाये और एक या दो महीने के भीतर जिसको अपील करना हो वह अपील कर ले। ऐसा करने से अदालत जाने की प्रवृत्ति कम होगी।

दूसरी चीज में सगोत्र विवाह के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यहां पर कहा गया है कि माता पिता की इतनी पीढ़ियों के बाद शादी हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं आपको सिद्धांत रूप में कुछ कहना चाहता हूं। जब कोई कानून चला आता है कि हमको अमुक अमुक से शादी नहीं करनी है तो हमारी एक आदत बन जाती है कि हम उसको मां, या बहिन चाची या फूफी की दृष्टि से देखने लगते हैं और उनके साथ विवाह का विचार भी नहीं करते। यहां जो आप सगोत्र विवाह की इजाजत दे रहे हैं यह गलत है। आप अन्तर्जातीय और अन्तर्धार्मिक विवाहों की तो इजाजत दे ही रहे हैं। तो इस प्रकार आप एक ओर विवाह के क्षेत्र को विस्तृत करना चाहते हैं और दूसरी ओर सगोत्र विवाह की इजाजत देकर उसको संकुचित कर रहे हैं। आजकल जो गवेषणा चल रही है उसके आधार पर क्रास ब्रीडिंग को महत्व दिया जाता है। हिन्दू समाज में भी इसी ख्याल से सगोत्र विवाह की इजाजत नहीं दी गई थी। आज हम इस सिद्धांत को तोड़ रहे हैं। पिता के गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिये चाहे कितनी ही पीढ़ियों का अन्तर क्यों न हो। जैसे

[श्री जांगड़े]

मेरा गोत्र जांगड़े है तो चाहे कितनी ही पीढ़ी का अन्तर हो मेरी इस गोत्र में तो शादी हो ही नहीं सकती। तो आपको सगोत्र विवाह को जरूर रोकना चाहिये। इससे यह प्रवृत्ति होगी कि हमको आदर करने की प्रवृत्ति घट जायेगी और व्यभिचार बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त संतान भी कमजोर पैदा होगी क्योंकि लोग यह सोचने लगेंगे कि जब पास ही विवाह हो सकता है तो हम दूर क्यों जायें और वह अपने गोत्र में ही शादियां करने लगेंगे। इस लिये इस आदत को रोकने के लिये, संस्कार को ताजा बनाये रखने के लिये और संतान को भी कमजोर न होने देने के लिये यह जरूरी है कि सगोत्र विवाह न होने दिया जाये। खास कर पिता के गोत्र में चाहे कितनी भी पीढ़ियों का अन्तर हो विवाह नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है।

अन्त में सदन से यह विनती करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हमको विवाह के पुराने सिद्धांतों में परिवर्तन करना चाहिये परन्तु साथ ही हमको दूसरी ओर यह भी ख्याल रखना चाहिये कि जैसी हमारी आदत पड़ गई है हम विदेशों की नकल न करने लग जायें। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इंग्लैंड और अमरीका की नकल न करें बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति को देखते हुये अपना विवाह और तलाक का विधेयक बनावें। बस मैं इतना ही हकना चाहता हूं।

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि बहुत दिनों के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जब हम इस बिल पर सोचते हैं तो पहला सवाल हमारे सामने यह आता है क इस बिल की मुखालफत किस तरह हो सकती है। मैं समझता हूं कि हमारे लिये यह बेहतर होगा कि हम देखें कि इस बिल की मुखालिफत क्यों हो रही है। बाज़ लोग यह सोचते हैं कि यह बिल हमारे धर्म शास्त्र के खिलाफ जाता है और बुनियादी तौर पर उसको हटाना चाहता है। मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं कि सवाल यह है कि हमें यह देखना है कि आया हमारे धर्म शास्त्र में ये बुरी प्रथायें इब्तिदा से हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्तिदाई जमाने में जिन लोगों ने आकर यहां की हालत देखी उनको तो यह मालूम हुआ होगा कि यहां की औरतों की हालत बहुत बुरी है। यह वह जमाना था जब कि औरतें जलाई जाती थीं। उस जमाने में बेवाओं के बाल मुंड़वा दिये जाते थे, उनको बदसूरत बना दिया जाता था। कमसिन बच्चियों की शादियां कर दी जाती थीं। इस लिये उस जमाने के हाल को जिन्होंने देखा था वह यही समझें कि हिन्दू शास्त्र में यही बातें हैं। लेकिन यह गलत है। मैं समझता हूं कि अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि कोई ऐसा रिवाज नहीं है जो इब्तिदाई जमाने से वैसा ही आज तक चला आ रहा है। तो यह ख्याल कि हम इसमें तब्दीली नहीं कर सकते बिल्कुल गलत है। हमारे यहां एक ऋषि ने इस रिवाज—शादी—की बुनियाद डाली उससे पहले शादी नहीं होती थी बल्कि हर शख्स आजादी से जिसके साथ चाहे ताल्लुकात पैदा कर सकता था। लेकिन बाद में यह मालूम हुआ कि यह तरीका सही नहीं है। और यह अमन कायम रखने के लिये अच्छा नहीं है। तो फिर शादी के रिवाज की बुनियाद डाली गई। तो यह देखना होगा कि यह चीज ऐसी नहीं है कि आसमान से गिरी हो या इसमें कोई तगैयुर न हुआ हो। हम देखते हैं कि पहले खास हालात में डाइवोर्स की भी इजाजत दी गई थी।

नारद और पराशर की यह राय थी। लेकिन बाद में यह कयूद आयद किये गये। हम देखते हैं कि बाद में ऐसे हालात पैदा हो गये कि तबदीलियां जरूरी हो गयीं। अगर तफसील के तौर पर कहा जाय तो बाद में हिन्दू धर्म पर बहुत से असरात हुये। बौद्ध काल के शुरु में जब औरतों का दरजा बराबर कायम किया गया था। उससे जो बुराइयां नमूदार हुयीं उनकी तस्वीर जातक ग्रंथों में नजर आती है। जब हमने तालीम निसवां शुरू की तो उसमें कुछ बुराइयां थीं। उनको बाद में हमने दूर कर दिया। तो जब कोई चीज़ नई होती है तो उसमें कुछ बुराइयां होती हैं पर बाद में वह दूर हो जाती हैं। जब असल हम मानते हैं और अमल में कुछ खराबियां आती हैं तो हम उनको हटा सकते हैं।

उसके बाद हिन्दुस्तान पर मुसलमानों का तसल्लुत हुआ और हम देखते हैं कि ऐसे रिवाजों का मुकाबला करना पड़ा जो कि हमारे रिवाजों से मुख्तलिफ थे। उस वक्त लोगों को बड़ी तशवीश हुई कि अपनी औरतों को गैर मर्दों से बचायें और इस तशवीश में उन्होंने यह बेहतर समझा कि औरतों की कमसिनी में शादियां कर दी जांय। इस तरह यह रिवाज बना। इसी तरह बेवाओं को दूसरों से बेहुरमती को बचाने के लिये उनको सती हो जाने के लिये मजबूर किया जाने लगा। लेकिन यह सती का रिवाज वेदों में नहीं है। यह एक अजीब चीज है। आज देखेंगे कि हमारे शास्त्रियों ने जो कानून बनाया उसकी मुशाहबत किसी वेद की ऋचा से जरूर दी है। चुनांचे सती के लिये भी वेद की एक ऋचा का सहारा लिया गया वह ऋग्वेद की १८ नम्बर की ऋचा है। वह मौत और मौत के बाद बेवा का हाल बयान करने वाली एक ऋचा है। लेकिन उस की तारीफ यह की गई कि इसके मुताबिक सती होनी चाहिये। लेकिन वाकई सती को सपोर्ट करने वाली कोई ऋचा वेदों में नहीं है। तो जो अब तक तबदीलियां की गई उन के लिये मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। बल्कि मेरा कहना यही है कि जैसे हालात पैदा होते जाते हैं उनका मुकाबला करने के लिये कानून में तबदीली होती जाती है।

इस तरह से पुराने जमाने में भी हमारे शास्त्रकारों ने तब्दीलियां की हैं.....

श्री आर० डी० मिश्र (ज़िला बुलन्दशहर) : On a point of information, Sir, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने वेद पढ़े हैं और आपने ये बातें उसमें देखी हैं जो आप बेद का नाम लेकर कोट कर रहे हैं।

श्री तेलकीकर : आजकल मुखतलिफ कमेटियों की रिपोर्टस पढ़ी जाती हैं और मुखतलिफ चीजें जिनसे आपको कोई ताल्लुक नहीं उनको सुनते हैं, आजकल साइंस आदि के सारे मामले डिस्कस किये जाते हैं और उनका हवाला दिया जाता है, इस लिये मैं नहीं समझता कि वेदों का हवाला देने में क्या एतराज हो सकता है। आजकल बड़ा आसान है कि हम मुखतलिफ चीजों को दूसरी जबानों में पढ़ सकते हैं। आजकल अंग्रेजी की किताबों में से हवाला दिया जाता है तो आप इसके लिये हमसे पूछेंगे कि आप जो यह इंगलैंड के बारे में फरमा रहे हैं तो क्या आप इंगलैंड गये हैं। आज लोग साइंस और भूगोल का हवाला देते हैं तो क्या आप उनको हवाला देने से रोकना चाहते हैं और जो गुजिश्ता जमाने का लोग हवाला देते हैं तो वह कोई गुजिश्ता जमाने में रहे थोड़े ही हैं। तो मैं आप को बतला रहा था कि पुराने जमाने में भी हमारे पूर्वज जमाने के मुताबिक रीति रिवाजों में तब्दीलियां किया करते थे और हम अगर आज कुछ सामाजिक सुधार करने चले हैं तो वह कोई नई और अनुचित बात नहीं

[श्री तेलकीकर]

होगी, क्योंकि आखिर हम वही तरीका अख्तयार करेंगे जो हमारे पूर्वज अख्तयार किया करते थे और वह जो चीज गलत होती थी और जिसे वे बदलना चाहते थे उसको बदलने और हटाने में हिचकिचाते नहीं थे, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि धर्म के नाम पर और संस्कृति के नाम पर हम अच्छी और माकूल चीजें करने से हिचकिचायें और उनको अपने वहां स्थान न दें और मैं समझता हूं कि अगर हम ऐसा करने में हिचकिचाते हैं तो हम अपने बुजुर्गों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि हम पीछे जा रहे हैं और मैं कहूंगा कि यह प्रगति का मार्ग नहीं है बल्कि यह अवनति है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं, इस लिये समय की गति को पहचानते हुये आवश्यकतानुसार हमें अपने समाज में तब्दीली करते रहना चाहिये। अब यह जो बुनियादी सवाल उठाया जाता है कि यह कानून धर्म के खिलाफ है या नहीं तो मैं कहूंगा कि यह हमारी आज की बहस नहीं होनी चाहिये। मुझे तो ताज्जुब मालूम होता है कि जब हम स्त्री जाति के सुधार के लिये कुछ कानूनी तरमीम करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि हमें ऐसा करने का अख्तयार नहीं है, लेकिन क्या यह वाकया नहीं है कि अंग्रेजों के जमाने में हमने मुख-तलिफ किस्म के कवानीन बनाये हैं। हमने Removal of Caste Disabilities Act, Inheritance Act, Succession Act and Widows Remarriage Act, बनाये हैं। बहुत से लोग इसको पसन्दीदा निगाह से देखते हैं कि समय के तकाजे को देखते हुये अगर धर्म शास्त्रों को हटा कर कोई नये सामाजिक कानून समाज में सुधार करने के लिये पास किये जाते हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह नहीं चाहते कि हिन्दुओं के धर्म शास्त्रों में कुछ तब्दीली की जाय और मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनका ऐसा ख्याल हो तो वह सही ख्याल नहीं है, बल्कि ग़लत ख्याल है। मैं समझता हूं कि हम जरूरत पर धर्म शास्त्र में तरमीम कर सकते हैं और यदि हम आज ऐसा करते हैं तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने भी पिछले ज़माने में तब्दीलियां कीं, तो कोई वजह नहीं कि हम क्यों न करें अथवा करते हुये हिचकिचायें और अगर हम ऐसा न करें तो इसका मतलब होगा कि हम पीछे जा रहे हैं।

इस सती प्रथा को ही ले लीजिये। इतिहास में आया है कि सती प्रथा हमारी नहीं है बल्कि सीथियन लोग जब भारत में आय तो वह यह सती की प्रथा अपने साथ यहां लाये और बाद में यहां के लोगों ने सती प्रथा को अपनाया। हमारे मुल्क की जो राजपूत और क्षत्री कौम थीं उसने पहले यह प्रथा अपनायी बाद में यह प्रथा धीरे धीरे और लोगों में भी फैलती गयी। सती प्रथा को हमारे वहां की औरतों ने गैर मर्दों से बचने के लिये अख्तयार किया और उनको यह तो नहीं समझाया जाता था कि स्वर्ग में तुम को चार पति मिलेंगे, लेकिन उनको यह सिखाया जाता था कि सती हो जाने के बाद तुम को बड़ा सुख मिलेगा, इस तरह की एक गलत लाजिक उनको बतलाई जाती थी और उन पर समाज द्वारा इस तरह के मज़ालिम किये जाते थे। अभी मेरे दोस्त श्री जांगड़े ने भाषण दिया और उसमें बतलाया कि उनके वहां मामला उलटा है और स्त्रियों के द्वारा पुरुष समाज पर अत्याचार होता है, हो सकता है कि यह किसी एक खास जगह और कसी खास कौम में ऐसा होता हो, लेकिन हमें तो सारे देश का जायज़ा लेना है और समूचे देश में स्थिति

क्या है उसको देखना है। आज देश में आम हालत यह है कि औरतों की हालत दिन ब दिन खराब होती गई है, हालांकि पहले जमाने में औरतें इतनी गिरी हुई अवस्था में नहीं थीं, वह पुरुषों के बराबर हर काम में हिस्सा लेती थीं और पहले वह बड़े २ मसलों के हल करने में सहयोग देती थीं, पूर्व काल मे हमारी औरतें फिलासफर्स और मैथमैटीशियंस हो चुकी हैं और वह पुरुषों के बराबर बैठ कर सामाजिक कार्यों में हाथ बटाती थीं और हिस्सा लेती थीं, लेकिन बाद में एक जमाना आया जब कि उनकी गिरावट शुरू हुई और वह गिरावट का काल तब से शुरू हुआ जब से औरतों को उपनयन संस्कार में हिस्सा लेने के हक से इंकार किया गया, औरतों का उपनयन संस्कार नहीं किया जाने लगा और यह निषेध पहली चीज़ है जो औरतों को गिराने वाली सिद्ध हुई। उसके बाद आगे चल कर उनके हक और अधिकार कम किये गये और विरासत में उनका हिस्सा कम किया गया और इस तरह बढ़ते बढ़ते ऐसे कानून बनाये गये जिससे औरत हमेशा मर्द के ही काबू में रहे और मर्द के अलावा औरत को सहारा न मिल सके। तो आप देखिये कि ये जो औरतों के हक कम किये गये हैं और जो उनको गिरावट कि हालत में डाला गया है यह बाद में चल कर पुरुष समाज ने स्वार्थ वश ऐसा किया है और अगर हम आज अपनी बहिनों और माताओं को उनके खोये हुये अधिकार, आजादी और ऊंचा दर्जा समाज में दिलाने के लिये ऐसे कानूनों की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो यह कोई हम नई और अजूबा चीज़ नहीं करने जा रहे हैं बल्कि पुरानी चीज़ों को हम फिर से रायज करने की कोशिश कर रहे हैं।

इस बिल की तरफ आते हुये मैं यह अर्ज करूंगा कि इस बिल में बहुत सी अच्छी बातें हैं। एक तो यह जो हमारे देश में कास्ट सिस्टम की प्रथा है यह ऐसी बुराई है जिसने हमारे हिन्दू समाज को खोखला करके रख दिया है और मैं समझता हूं कि यह जात पांत का भेद भाव सबसे बड़ी बुराई है जो हममें विद्यमान है, देश में लाखों कौमें बसती हैं और अकेले ब्राम्हणों में हज़ारों किस्म के ब्राम्हण हैं और इनकी वजह से हमारा एक संघटित कौम के तौर पर रहना दुश्वार हो गया है और यह मौजूदा बिल इस बुराई को हमारे समाज में से धीरे धीरे दूर करने में समर्थ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है और इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण को किसी शूद्र की औरत के साथ शादी करने की मनाही नहीं थी और धर्मशास्त्रों में १३ किस्म के लड़कों का जिक्र आया है जिनको जायज़ माना गया है, मैं उनकी पूरी लिस्ट तो आपके सामने इस वक्त नहीं पढ़ना चाहता लेकिन उसमें एक हामिला दुलहन का बच्चा भी जायज़ करार दिया है। सोसायटी में इन चीजों का होना मुमकिन है और इसी लिये हमारे बुजुर्गों ने हत्तुलइमकान उन चीजों को कानून के दायरे में लाने की कोशिश की, और यह चीज़ हमारे धर्म शास्त्रों में मौजूद थीं जो अब खत्म हो गयी हैं।

दूसरे यह जो डाइवोर्स की इसमें दफा है उसके लिये मैं आपको बतलाऊं कि अगर हिसाब लगाया जाय तो आप देखेंगे कि पिछड़ी जातियों में जो कि करीब नब्बे फीसदी के हैं उनमें यह तलाक की प्रथा पहले से ही रायज है, दस फीसदी ऊंची जाति के हिन्दू होंगे जिनमें कि इस कानून से अब तलाक उनके वहां भी रायज़ हो जायगा, जब ऐसी हालत है तो मैं नहीं समझता कि तलाक को रखने में क्या बुराई है?

[श्री तेलकीकर]

अब मैं तीसरी चीज़ पर आता हूं और वह यह है कि यकसनियत पैदा करना हमारा पहला फर्ज है और मैं समझता हूं कि अगर हमारा धर्म शास्त्र सब जगह के लिये यूनीफार्म होता और एक ला से लोग गवर्न होते तो हमें इतनी अजीबोगरीब चीज़ें देखने को नहीं मिलती । एक तरफ तो हम देखते हैं कि औरतों पर पुरुषों द्वारा अत्याचार होते हैं, और दूसरी तरफ हम जो मालाबार की तरफ जाते हैं जहां कि मक्तैयम और मात्रसावण्य पद्धति मौजूद है वहां क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम लेकिन मेरे दोस्त जो मालाबार में रहते हैं उनके कहने के मुताबिक वहां पर मर्दों पर जुल्म होता है ।

इतना तो सही है कि वहां डामिनेशन औरतों का है । कहीं औरतों का है और कहीं मर्दों का है। यह बुनियादी चीज नहीं हो सकती। हमें तो इस उसूल को मानना चाहिये कि हमें अपने मज़हब के तरीकों को ज़रूरत के मुताबिक तब्दील करते चले जायें । जो मज़हब तब्दील होता रहता है वही तरक्की कर सकता है । जिसमें तब्दीली नहीं है, स्वामी विवेकानन्द ने कहा है : "Change or die is the law of nature."

जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती वह प्रथा चल नहीं सकती । कल किसी ने अपनी तकरीर में कहा था, शायद खंडेकर साहब ने कहा था कि द्रौपदी की तरफ देखा जाय, उसकी पूजा होती है । दूसरी तरफ भी देखिये, हो सकता है कि किसी लड़ाई के अन्दर हमारे हजारों मर्द मारे जायें और औरतों की तादाद बढ़ जाये । आज हम यह कानून बना रहे हैं, हो सकता है कि हमको यह कानून बाद में बनाना पड़े कि हर मर्द को लातादाद औरतें करनी चाहियें । लेकिन बजाय इसके अगर औरतों की तादाद बढ़ जाय, जैसे कि तिब्बत में है, तो हमें कहना चाहिये कि एक औरत के कई मर्द हो सकते हैं । मोरेलिटी का जो हमारा बेसिक कन्सेप्शन है वह ऐसा है जो कि हालात के लिहाज से बदलता जाता है । मोरेलिटी का मतलब यह है समाज में पीस को कायम रखने के लिये जो चीज़ हमें करनी हो उस को हम मोरेलिटी समझते हैं । मोरेलिटी कोई खास तरीके की चीज नहीं है । इस चीज का नतीजा यह होता है कि हमारा समाज आगे बढ़ता जाता है और ज़िन्दा रहता है । मोरेलिटी का हमारा यही कन्सेप्शन है । इस लिये हम देखते हैं कि इस बिल की अक्सर चीज़ें हमें आगे बढ़ाने वाली हैं । हम देखते हैं कि हमारे मुल्क की औरतें पोलिटिकल फील्ड में बहुत आगे बढ़ रही हैं । दूसरे मुल्कों के लोग हैरत में हैं कि हिन्दुस्तान की औरतें इतनी आगे बढ़ रही हैं, कोई ऐम्बैसेडर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है । यह दर्जा हासिल कर लिया है लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है । इस कमी को हमें दूर करना चाहिये । जब तक हम इस तरह से देश में तगैयुर नहीं पैदा करेंगे, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कर सकते ।

डाइवोर्स के बारे में एक ऐतराज उठाया गया और वह यह था कि डाइवोर्स का नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान के लोगों के लिये यह बहाना होगा एक के बाद दूसरी औरत करने का । और इस तरह से यह बहाना भी उठाया जा सकता है कि मज़हब तब्दील कर लिया । मज़हब तब्दील करना ही एक ग्राउंड डाइवोर्स की हो सकती है । लेकिन मैं समझता हूं कि इस शेक्शन में इसकी गुंजाइश नहीं है । इस में तो सिर्फ यह रखा गया है कि जो आदमी हिन्दू मज़हब को मान कर रहता है उसको तलाक या सेपरेशन का हक

होगा । लेकिन जो खुद अपने मज़हब को तब्दील कर लेता है उसके लिये इसमें कोई चीज़ नहीं है। मज़हब को ढीला बना कर कई औरतें करने की तरफ यह बिल नहीं लाता है, यह बुराई इसमें बिल्कुल नहीं पाई जाती, बल्कि इस से तो जो ज़ुल्म हमारे यहां होते हैं उनसे हम बाहर निकल सकेंगे । हो सकता है कि शुरू शुरू में हमें इसमें बुरे असरात नज़र आयें कि एक औरत अगर किसी आदमी को छोड़ देगी तो दूसरा करेगी और दूसरा मर्द करने पर अगर तकलीफ होगी तो तीसरे मर्द को कर लेगी । लेकिन किसी आदमी को छोड़ने से पहले वह चाहेगी कि जितने भी तरीके हो सकते हों, उन को वह काम में लाये । और अगर आखिर में कोई ऐसी नागुजीर चीज आ ही जाय तो तलाक ले ले इस का मतलब यह होगा कि उसका मकसद किसी तरह से तकलीफ से नजात पाना है ।

सगोत्र विवाह का जो तरीका आयद किया गया है उस के लिये यह करना बेजा न होगा कि सगोत्र . . . . .

श्री सी० डी० पांडे : सगोत्र नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह ऐक्ट सन् १९४६ में पास हो चुका ।

श्री बिस्वास : इस सम्बन्ध में पहले ही कानून पास हो चुका है ।

श्री तेलकीकर : पहले तो सगोत्र विवाह का कायदा नहीं था । मिताक्षर ला में जहां भी मनु का हवाला दिया गया है वहां लिखा है कि सगोत्र विवाह नहीं होगा । लेकिन उसको बदला गया । तो इस तरह से यह एक बड़ा तवील सिलसिला था जिसको कि कायम नहीं रखा गया क्योंकि इस तरह आसानी होगी ।

जहां तक पोलीगेमी और मोनोगैमी की बात है उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता । इस में शक नहीं है कि यह अच्छी चीज़ है, लेकिन उस के लिये भी उज़र किया गया है कि अगर किसी मर्द के औलाद न हो तो क्या किया जाय । इस तरह की चीज़ हमारे धर्म शास्त्र में भी है कि हर एक मर्द को एक ही औरत करनी चाहिये, लेकिन दूसरी औरत करने की इजाज़त इस सूरत में दी जायगी जब कि उसके औलाद न हो । लेकिन बाज़ ऋषियों ने इसको भी आगे बढ़ा कर यह कहा कि यही नहीं कि औलाद न हो, बल्कि औलाद होने पर भी अगर लड़की हो और लड़का न हो, तो दूसरी शादी की जा सकती है। लिहाज़ा यह पसन्दीदा चीज़ है जिसे कि हमारे धर्म शास्त्रों ने भी पसन्द किया है, इसमें हम कोई नई चीज़ पैदा नहीं कर रहे हैं, कि पौत्र न होने पर दूसरी शादी नहीं हो सकती है । हां इतनी मुश्किल ज़रूर नई पैदा हो जाती है कि औलाद न हो या होने पर भी अगर लड़का न हो तो क्या किया जाय । बाज लोगों का ख्याल है कि यह चीज़ रक्खी जाती कि औरत की मर्ज़ी से शादी की जाय, जैसे कि हम प्लेबिसाइट लेते हैं । लेकिन जैसे यह चीज मुल्क के हालात पर निर्भर है यानी कि जो जनता प्लेबिसाइट में हिस्सा ले रही है वह सिर्फ नाम मे आज़ाद है या कि वाकई उस को राय देने की आज़ादी है । इसी तरह से यह हो सकता है कि हम यह तरमीम कर दें कि औरत की मर्ज़ी से दूसरी शादी हो सके, लेकिन अभी यह हालत पैदा नहीं हुई है कि औरत अपनी आज़ाद राय दे सके । ऐसी हालत में जो कुछ इस बिल में किया जा रहा वह हिन्दुस्तान की हालत को देखते हुये काफी है ।

मैं इस बिल की पुरज़ोर ताईद करता हूं ।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : इस विधेयक के सम्बन्ध में दो अतिवादी विचार

[श्री रघुरामैया]

प्रकट किये गये हैं। एक तो यह है कि यह विधेयक प्रक्रियावादी है और दूसरा यह कि यह विधेयक अधिक टिकाऊ नहीं है। मेरे विचार से विधेयक मध्यम मार्ग का है क्योंकि जब तक हिन्दू समाज में स्त्रियों को सम्पत्ति में पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया जायेगा तब तक विवाह-विच्छेद विधेयक पूर्णरूपेण प्रभावशाली नहीं सिद्ध हो सकता। स्त्री को जीवन-यापन के लिये मनुष्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिये वह स्त्री जिसके पास जीवन-यापन का अपना कोई निजी साधन नहीं है उसको स्वभावतः विवाह-विच्छेद के इन उपबन्धों का सहारा लेने में संकोच होगा।

मैंने कुछ वृद्धाओं से इस विधेयक के सम्बन्ध में बात चीत की है। उनका कहना है कि वे एकपत्नीत्व के पक्ष में हैं, परन्तु विवाह-विच्छेद के पक्ष में नहीं। इसी प्रकार कुछ पुरुषों ने बताया कि वे विवाह-विच्छेद के पक्ष में हैं किन्तु एक पत्नीत्व के पक्ष में नहीं। मेरा विचार है कि इस प्रकार के कितने ही विधान क्यों न बना दिये जायें किन्तु यह कभी भी न होगा कि लोग अधिक संख्या में विवाह करने लगें।

दूसरे शब्दों में यदि पति पत्नी तलाक पर सहमत हैं तो बिना घड़ी हुई साक्ष्य के या कोई बनावटी सह-प्रतिवादी तलाश किये विवाह विच्छेद की आज्ञा क्यों न दी जाय? मैं यह नहीं समझ सकता कि यदि दो स्त्री पुरु अनुभव करते हैं कि वे एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो उन्हें गुप्त रोग या नपुंसकता का बहाना करने या झूठी गवाही देने और अन्य आपत्तिजनक कार्यवाही करने के लिये बाधित क्यों किया जाये। दोनों के सहमत होते हुये तलाक की आज्ञा देने में बिल्कुल कोई हानि नहीं है।

जहां तक न्यायिक अलगाव का सम्बन्ध है, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि निर्वाह-व्यय के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई। तलाक और विवाह को स्थायी समाप्ति की अवस्था में निर्वाह-व्यय लिया जा सकता है, तो न्यायिक अलगाव की अवस्था में क्यों न दिया जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री यह स्पष्ट करें कि इतनी महत्व-पूर्ण चीज़ विधेयक में कैसे छूट गई है।

मैं उस खंड पर भी सहमत नहीं हूं जिसके अन्तर्गत गुप्त रोग हो जाने की अवस्था में न्यायिक अलगाव प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान विधेयक में तो केवल इतना कहा गया है कि गुप्त रोग न्यायिक अलगाव के लिये एक कारण होगा। गुप्त रोग कई प्रकार के होते हैं और आजकल तो इनका बहुत शीघ्र इलाज कराया जा सकता है। यदि गुप्त रोग के रोगियों को न्यायिक रूप में अलग करके छोड़ दिया जाय, तो वे समाज के लिये एक खतरा बन सकते हैं। उन्हें रोग अपने तक ही सीमित रखना चाहिये और इलाज कराना चाहिये। इसी लिये मैं यह अनुरोध करता हूं कि गुप्त रोग न्यायिक अलगाव का कारण नहीं होना चाहिये।

खंड १० में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसमें खंड १४ के परन्तुक के अनुसार न्यायिक अलगाव एक उपबन्ध नहीं है। जिस व्यक्ति नें गलती की हो उसे खंड १० के अधीन लाभ नहीं उठाने देना चाहिये। अतः मेरा यह सुझाव है कि प्रवर समिति की खंड १४ के परन्तुक को खंड १० पर भी लागू करने पर विचार करना चाहिये।

इसके बाद खंड ५ के अन्तर्गत एक उपबन्ध है जिसमें लिखा है कि विवाह के समय दोनों में से कोई भी पक्ष मूर्ख या पागल नहीं होना चाहिये। हमें यह विधेयक में स्पष्ट करना चाहिये कि किसी विवाह को

शून्य घोषित करने के लिये कितना पागलपन होना चाहिये। अन्यथा इस में भी बड़ा खतरा होगा और बहुत से विवाह रद्द कर दिये जायेंगे ।

सम्बन्धियों के बीच विवाह के सम्बन्ध में, भाई के लड़के के बहन की लड़की के साथ या इसके प्रतिकूल विवाह करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है मेरे ख्याल में यह छूट गया है और इसे ठीक करना चाहिये। इस प्रकार के सम्बन्ध को क्यों नहीं प्रतिसिद्ध कर देना चाहिये। इस विधेयक के लागू होने के पूर्व या पश्चात् सम्पन्न हुये किसी भी विवाह को दोनों में से किसी पक्ष द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर शून्य किया जा सकता है। याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार पहली पत्नी को नहीं है अपितु दूसरी पत्नी को मिला हुआ है। यह भी एक कमी है जिस पर प्रवर समिति को गम्भीरता से विचार करना चाहिये यह कहने से क्या लाभ कि इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् सम्पन्न हुये किसी विवाह को इस आधार पर शून्य किया जा सके कि यह धारा ५ के खंड (१), (४) और (५) में से किसी एक का उल्लंघन करता है। धारा ५ के खंड (१) में लिखा है कि उसका कोई पहला पति या पत्नी जीवित हो यदि यह पहले ही शून्य हो, तो इसे शून्य घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह प्रक्रिया अनावश्यक है। खंड १८ को ध्यान में रखते हुये, खंड ११ (२) में धारा ५ के खंड १ के इस उल्लेख को हटा देना चाहिये ।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को केवल इस विधेयक से सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये, किन्तु और अधिक क्रांतिकारी तथा व्यापक सुधार करने चाहियें। मैं यह कहता हूं कि जब तक भारत की स्त्रियों को सम्पत्ति में समान अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। अतः शीघ्रातिशीघ्र इस की व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं इस विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

इस के सभी पहलुओं पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। हमें इस विषय पर निष्पक्ष भाव से विचार करना है। विवाह एक मानव परिपाटी है। पशुओं में विवाह नहीं होते विवाह एक परिपाटी के रूप में समाज में सामंजस्य स्थापित करने, घर के अन्दर प्रसन्नता लाने, दम्पत्ति में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने और भावी सन्तान के हित के लिये लाभदायक है और इस के लिये पति तथा पत्नी का विवाह में बंधे रहना या इकट्ठे रहना आवश्यक है। हमारे स्मृतिकारों ने इन चारों बातों का ध्यान रखा है। हिन्दू धर्म में किसी को अन्तिम अवतार नहीं माना जाता। जैसा कि भगवान् कृष्ण ने कहा है : "यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाभ्यहम् ।।"

"जब कभी कोई कठिनाई होती है, तो मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूं।" अतः, मैं प्रगति में विश्वास करता हूं हमारी मनुस्मृति सदा के लिये नहीं बना दी गई। मनुस्मृति के पश्चात् पाराशर स्मृति बनी उसके बाद नारद स्मृति और इसी प्रकार समय २ पर समाज की अवस्था के अनुसार अन्य स्मृतियां बनती गई। अतः यह कहना गलत है कि हमें हिन्दू विधि में परिवर्तन नहीं करना चाहिये ।

वास्तव में मनुस्मृति में परिवर्तन करके ही पाराशर स्मृति बनी। अतः यह सदन इस परिवर्तन को करने के लिये पूर्णतया सक्षम है। तैत्तिरीय उपनिषद् में भी यह लिखा है : "जब आपको किसी विषय के सम्बन्ध में कोई लिखित पुस्तक न मिले तो तीन वयोवृद्ध सदाचारी पुरुषों को पकड़ लीजिये और उनसे पूछिये

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

कि इस विषय में किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिये और उसे ही अपना धर्म समझिये।" अतः मुझे इस सदन के सामर्थ्य और प्राधिकार में पूर्ण विश्वाश है। मुझे अपने आप को पुराण मतवादी कहने में कोई लज्जा नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक पुराणमतवादी होता है। जब तक कोई परिपाटी असत्य और अनाचारपूर्ण सिद्ध नहीं हो जाती और जिस परिपाटी का हम अनुसरण कर रहे हैं उस से कोई बहुत अच्छी परिपाटी नहीं मिल जाती तब तक यदि कोई परिवर्तन आवश्यक न हो तो मैं उसे छोड़ने को तैयार नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि किसी क्रांतिकारी के इस से भिन्न विचार होंगे। पांच हजार वर्ष पूर्व के ऋग्वेद के दसवें मण्डल में विवाह संस्कार वर्णन किया गया है। विवाह दो साक्षियों की उपस्थिति में एक टिकट लगे हुये कागज पर लिखी हुई छोटी-मोटी साझेदारी नहीं होती। किन्तु यह एक पवित्र गठबन्धन है जिस में दो व्यक्ति, जिनका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं होता, जीवन भर के लिये एक दूसरे के साथी बन जाते हैं और मिल कर कार्य करते हैं और वे इस दृष्टि से सन्तानोपत्ति नहीं करते कि हमें लंगड़े लूले, अन्धे-काने बच्चे पैदा करके भावी पीढ़ियों पर उत्तरदायित्व डाल जाना है। रघुवंश में लिखा है :

"त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां प्रजायै गृहमेधिनां . . ."

विवाह अच्छी संतान उत्पन्न करने के के लिये किया जाता था जो समाज के नेता बनेंगे। मनु या अन्यों ने और किसी कसौटी पर नहीं कसा। मनु ने केवल यहीं कहा है कि रोगी और लड़ने वाली लड़की से विवाह नहीं करना चाहिये। मैं तो सब को ऐसा ही करने के लिये कहूंगा और स्त्रियों से भी यही करने को कहूंगा। (**अन्तर्बाधायें**)।

मैं किसी गलत परिपाटी पर गर्व करना नहीं चाहता। किन्तु इसके साथ ही हमें अपने पूर्वजों की अत्यधिक आलोचना नहीं करनी चाहिये। उन्होंने उस समय जो कुछ किया था वह बिल्कुल ठीक था। हमारे देश में विवाह की परिपाटी बहुत अच्छी चली है। अब तक न तो हमारे यहां अविवाहिताओं की सेना है, न ही अविवाहितों की और न ही हमारे यहां बिना माता पिता के बच्चों की सेना है।

एक माननीय सदस्य : किन्तु विधवाओं की सेना तो है।

श्री एम० ए० अय्यंगार : विधवाओं के सम्बन्ध में १८५६ में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि तब से कितनी विधवाओं का पुनर्विवाह हुआ है। इस के लिये समाज का विकास होना भी आवश्यक है। काली दास ने सकुंतला में लिखा है :

"अनाघ्रातपुष्पं किसलयमलूनं"

आप चाहे कितना ही कहें लोग विधवाओं से विवाह करने को तैयार नहीं हैं वे तो कुंवारी लड़कियां चाहते हैं। यदि विधुर भी विधवाओं से विवाह करने को तैयार नहीं हैं तो और कौन होगा। मैं अपनी बहिनों से यह पूछना चाहता हूं कि यदि कोई युवती तलाक या विवाह-विच्छेद कर लेगी तो क्या उसके पति के जीवित रहते और कोई उससे विवाह करने को तैयार हो जायेगा? मैं उन्हें यथार्थवादी बनने के लिये कह रहा हूं। यद्यपि मैं एक विवाह के शत प्रतिशत पक्ष में हूं, किन्तु मुझे इतनी जल्दी तलाक या विवाह-विच्छेद के जारी करने में हिचकिचाहट होती है। हमें कुछ समय तक इस का परीक्षण करना चाहिये। (**अन्तर्बाधायें**) हमें इस प्रश्न पर सभी दृष्टियों से विचार

करना होगा । मान लीजिये कि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करले, किन्तु उनका पारिवारिक जीवन बहुत कष्टमय रहे तो उन्हें ऐसी परिपाटी से क्या लाभ जिससे उनका घरेलु जीवन नरक बना रहे । बड़े होकर भी लड़के लड़कियां एक दूसरे को अच्छी प्रकार समझ नहीं सकते । उनके माता-पिता सभी बातों को अच्छी प्रकार समझ-बूझ कर ही विवाह करते हैं ।

"न स्त्री ' स्वातन्त्र्यमर्हति "

कालीदास ने किसी सन्दर्भ में कहा है । १८ वर्ष की उमर में पहुंचने तक लड़कों और लड़कियों को स्वातन्त्र्य प्राप्त नहीं था । उन पर माता पिता को देख-भाल करनी पड़ती है । साठ वर्ष की उमर में पुरुष और स्त्री दोनों बृद्ध हो जाते हैं । जब शरणार्थियों को उठाकर ले जाने का दुर्भाग्यभय रिवाज था. उस समय वे स्त्रियों को ही ले जाते थे, लोकन एक मनुष्य भी नहीं ले जाया गया । अत: हमें इस विषय में यथार्थ दृष्टिकोंण अपनाना चाहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : स्त्रियों की कमी थी ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : उनकी कमी हो अथवा बहुतात, ऐसी दुर्भाग्यमयी घटनायें दुनियां में होती हैं । माननीय मित्र श्री रघुरामैया ने कहा है उन्हें सम्पत्ति दे दो ताकि वे अलग रह सकें । बहुत ठीक है, स्त्रियों को अलग रहने दो, पुरुषों को भी अलग रहने दो और एक बार फिर समाज को नर्क में ढकेल दो ।

एक कहावत प्रचलित है :

"विश्वामित्र पाराशर प्रभृतय:"

यहां पर हम न केवल वैयक्तिक रूप में लेकिन प्रतिनिधि की हैसियत में हैं । मैं उनमें से प्रत्येक स्त्री पुरुष से पूछता हूं कि क्या यह छाती पर हाथ धर कर यह कह सकता है कि क्या उक्त परिस्थियों में कोई भी व्यक्ति सन्यासी के समान पवित्र और निस्पृह हो सकता है । हम इन सब बखेड़ों को पैदा नहीं करना चाहते हैं । हम बिना विवाह के इन अप्राकृतिक कुपराधों की सृष्टि नहीं चाहते हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं विवाह-विच्छेद का विरोधी हूं और एक पत्नी-विवाह का समर्थन करता हूं ।

विवाह एक मितव्ययितायुक्त सामाजिक संस्था है । आज स्थिति बदल गई है । एक नवयुवक सिनेमा देखने जाता है, गई रात को किसी सिनेमा तारिका को देखता है और दूसरे दिन सवेरे ही अपनी पत्नी को पीटने लगता है । वह दूसरी लड़की से विवाह करने की कामना रखता है , क्योंकि यह लड़की सिनेमा की तारिका के समान सुन्दर नहीं है ।

आज नैतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि विलीन हो गई है । जिस व्यक्ति के पास रुपया है वह अपनी पत्नियों को इस प्रकर बदलता रहता है जैसे शहद की मक्खियां एक फूल से रस चूस कर दूसरे फूल पर उड़ जाती है । एक स्त्री बच्चा जनने के लिये घर जाती है और बालक सहित जब लौट कर आती है तो क्या देखती है कि घर में एक और मालकिन ने प्रवेश कर लिया है । यह सब किस तरह सहन किया जा सकता है ।

आज 'पितृतर्पण ' के विचार से विवाह करने का विचार धूमिल हो गया है । आज ऐसा समय आ गया है कि पुरुष को एक से अधिक पत्नी से विवाह नहीं करना चाहिये । इस्लाम धर्म के विरुद्ध लोग यह आरोप लगाते हैं कि उसमें एक पुरुष को चार स्त्रियों तक से विवाह करने की अनुमति दी गई है । लेकिन जिस पैगम्बर ने अनेक स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा को समाप्त कर यह सीमा चार तक निश्चित कर दी है मुझे विश्वास

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

है कि यदि पैगम्बर आज जीवित होते तो यह सीमा चार से घटा कर एक कर देते। यदि घर लौटने से हमें एक और पति से साक्षात हो जाये तो हम आत्महत्या करेंगे। इसी तरह, हमें उदार दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाना चाहिये। एक स्त्री किसी अन्य स्त्री को उसके पति के प्यार का भाग क्यों बटाने देगी? कुछ नवयुवतियां एम.ए. पास हैं। वे सब तारुण्य अवस्था में हैं और सुन्दरता से सम्पन्न हैं। ये सब सुन्दरियां एक ही व्यक्ति के पीछे दौड़ती हैं केवल उसके धन के कारण। पुरुष सुन्दर बाला से विवाह नहीं करता है प्रत्युत यह बाला पुरुष से उस के धन के कारण विवाह करती है। इसका क्या निष्कर्ष होता है?

"सर्वे गुणाः कांचनमाश्रमन्ति"

हमें समाज के हित की दृष्टि से प्रत्येक अपराधी व्यक्ति की निन्दा करनी चाहिये समय आ गया है जब हमें यह कहना चाहिये 'एक पुरुष, एक नारी'।

इस विधेयक में एक सुरक्षा यह है कि इस बात का निर्णय न्यायाधीश पर छोड़ा गया है कि क्या वह विवाह कपटयुक्त है। ऐसी स्थिति में वह अलग होने की अनुमति नहीं देगा।

इस लिये मैं एक पत्नी विवाह का समर्थन करता हूं। यह राम चन्द्र के युग के अनुसार है जिनका हम आज भी इतना आदर करते हैं। भरणपोषण के लिये कुछ व्यक्ति आवश्यक हैं क्योंकि माता पिता सन्तान से पहले मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अतः भरण-पोषण की दृष्टि से बहनें उसी व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं। हमें इस प्रयोग की आजमायश करनी चाहिये और पति अथवा पत्नी को अपने जीवन काल में परिवर्तन करने का अवसर नहीं देना चाहिये।

११ म० पू०

पाराशर स्मृति के अनुसार किन्हीं परिस्थितियों में स्त्री को विवाह-विच्छेद करने की अनुमति दी गई है।

अब स्त्रियां पुरुषों के समान अधिकार चाहती हैं। यदि तात्कालिक विवाह-विच्छेद होता है और उन्हें अधिकार दिया जाता है तो कौन हानि में रहेगा। उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये कि उन का सौन्दर्य अजर-अमर है। एक स्त्री आज सुन्दर है लेकिन कल चेचक से उस का सौन्दर्य नष्ट हो सकता है। तब क्या होगा? उन का सौन्दर्य अस्थायी है। स्थायी रहने वाली वस्तु कुछ दूसरी है। आप को यह देख कर आश्चर्य होगा कि एक सुन्दर स्त्री एक भद्दे व्यक्ति से विवाह करती है और अन्त में उन में परस्पर इतना अधिक प्रेम बढ़ जाता है कि उन के हृदय गंगा-यमना के सदृश एकात्म हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह कविता है।

श्री एम० ए० अय्यंगार : यह कविता नहीं है, प्रिय महोदय। निश्चित रूप से यह कहा गया है कि मिल जुल कर रहना है; सवेरा होने के पहले सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी ने अत्यन्त मार्मिक ढंग से सुन्दर वक्तृता दी है। परन्तु मुझे खेद है कि उन्होंने जो उदाहरण दिया है वह उपयुक्त नहीं है। मैं केवल इतना कहूंगा: यदि गांव में बहुत से घर हैं और उन में से एक घर में आग लग जाती है तो क्या हम आग से बचाने के लिये अन्य सब घरों को नष्ट कर देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मित्र हमारे द्वारा पहले किये गये कार्य भूल गये हैं। जहां तक इस का सम्बन्ध है तीन या चार वर्ष पूर्व हम ने अलग रहने

और निर्वहन करने का उपबन्ध कर दिया है जो उसे न्यायिक रूप से अलग रहने की परिस्थितियों में मिलेगा । यदि पुरुष व्यभिचार का दोषी है तो स्त्री अलग क्यों नहीं रहती है । हमारे शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था है । दुर्भाग्यवश हमारा विचार है कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे । मैं नहीं समझता हूं कि हम भावी पीढ़ी द्वारा इस विशेषण से सम्बोधित होने के लिये तैयार हैं । प्रत्येक देश अपने कार्यों और अपनी संस्कृति पर गर्व करता है । इस अभागे देश में प्रत्येक कार्य आदि से अन्त तक गलत है । हमें यह नहीं विस्मरण करना चाहिये कि हमारे पास दुनिया को देने के लिये एक सन्देश है । संसार में हमारी सभ्यता अत्यन्त प्राचीन है । यदि एक पति पत्नी के प्रति दुर्व्यवहार करता है तो पत्नी को आत्म-समर्पण नहीं करना चाहिये । एक अलग निवास और निर्वहन के साथ रहने पर क्या उसे विवाह की आवश्यकता नहीं होगी । असाधारण सुन्दरी स्त्रियों की बात मैं नहीं कहता हूं । एक सुन्दर स्त्री के चाहने वाले अनेक हो सकते हैं । मैं नहीं सोचता एक सुन्दर स्त्री सौ व्यक्तियों को उस की ओर झपटने देगी । हमें अपनी इच्छाओं को वश में करना है । प्रवर समिति को यह प्रयत्न करना चाहिये कि पांच वर्ष की अवधि तक विवाह-विच्छेद टाला जा सके । यदि विवाह-विच्छेद होता भी है तो रोग के आधार पर नहीं होना चाहिये दुर्भाग्यवश स्त्री को भी कुष्ट रोग हो सकता है । क्या आप समझते हैं कि रोग के लिए व्यक्ति और व्यक्ति में भेद है । कुष्टरोग से पीड़ित स्त्री की सेवा-सुश्रूषा करने के बदले क्या हम उसे घर से बाहर निकाल सकते हैं । न्यायिक रूप से पृथक् होने के स्थान पर वह अलग रह कर निर्वहन प्राप्त कर सकती है । हमें उसे ऐसी स्थिति में लाना चाहिये कि वह पुनः साधारण अवस्था प्राप्त कर ले ।

सभ्यता के आदि काल से ले कर अभी तक विवाह के लिये सुविधाएं दी जा कर विच्छेद को कठिन बनाया गया है । हमारे पूर्वजों ने आठ प्रकार के विवाह बताये हैं । यदि एक पुरुष किसी स्त्री को ले जाता है और उन के सन्तान उत्पन्न होती है तो वह सन्तान वैध कहलाती है । इस में ऐसा उपबन्ध नहीं है । हमें उन्नति की ओर उन्मुख होना चाहिये । पुरुष और स्त्री दोनों के बीच न्याय की स्थापना होनी चाहिये ।

ऋग्वेद के दसवें अध्याय में सूर्य की पुत्री और चन्द्रमा के विवाह का वर्णन है । यह एक ज्योतिष सम्बन्धी तथ्य है । यूरोप ने अभी इस का पता लगाया है । हमारे यहां यह बात ५,००० वर्ष या इस से भी पहले मालूम कर ली गई थी । चन्द्रमा में स्वयं अपने आप में कोई प्रकाश नहीं होता । सूर्य से प्राप्त प्रकाश ही चन्द्रमा को आलोकित करता है । कन्या को स्नान कराया जाता है । फिर वह पति के घर जाती है । उस का पाणिग्रहण होता है । वह अपने पिता के वंश से अलग हो कर पति के वंश से सम्बद्ध हो जाती है । वह अपने पति की सम्पत्ति में समान रूप से हिस्सेदार हो जाती है । पुराणों में कहा गया है : "पत्नी की आंख से एक बूंद आंसू भी न बहने दो ।" आज कितने पति इन का पालन करते हैं । हमें स्त्री को उच्च स्थान देना चाहिये । पाणिग्रहण के बाद पिता अपनी पुत्री का परिचय कराता है :

सं राज्ञी भव श्वसुरे
सं राज्ञी भव ननान्दृ
सं राज्ञी भव देवरा

वह घर की रानी बन जाती है । मुझे इस प्रथा पर गर्व है । लेकिन कुछ मूर्ख उन के साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं ।

हमें समाज के ढांचे में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिये । हमें उदार मानसिक वृत्ति को

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

उत्पन्न करना है । विवाह-विच्छेद को इतना सस्ता न बनाइये । ईश्वर सब देखता है । हम आज नियम बना कर कल उस में संशोधन कर सकते हैं । पांच वर्ष का समय अधिक नहीं है । मैं पुरातन संस्कृति की उपज हूं । अब मैं अपने को नवीन संस्कृति में ढाल रहा हूं । आप मुझे कट्टरपंथी कहें अथवा सुधारवादी । लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि प्राचीन संस्कृति में कुछ ऐसी बातें हैं जिन का हमें संरक्षण करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अन्य माननीय सदस्यों को बुलाने से पहले मुझे यह सूचना देनी है कि आज सवेरे उठाए गए विशेषाधिकार प्रश्न पर कल प्रश्न-काल के बाद चर्चा होगी ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : पिछले वक्ता माननीय श्री अय्यंगार की बात से यह स्पष्ट हो गया है कि लोग अपनी अव्यक्त धारणाओं के आधार पर विचार करते हैं ।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

हम लोग अर्द्धचेतन या अचेतन अवस्था में निर्णय करते हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बता दूं कि अब मेरे पीठासीन हो जाने के कारण माननीय सदस्य मेरे भाषण की आलोचना करने में संकोच न करें ।

डा० जयसूर्य : हम जो कुछ करें, हमें एक निर्वैयक्तिक रवैया अपनाना चाहिये । श्री त्रिवेदी ने विधि बनाने की हमारी शक्ति को चुनौती दी थी और कहा था कि यह सनातन है, कभी नहीं बदली । पर १७वीं सदी तक यह सदैव संहिताबद्ध होती और बदलती रही है । गौतम स्मृति छठी शताब्दी ई० पू० में बनी, फिर मनु ने २०० ई० पू० में इस में परिवर्तन किया तब से २००० वर्ष तक यह लगभग वैसी ही चली आई है । परन्तु दूसरे शब्दों में भारतीय जनता रूढ़िगत विधियों से प्रभावित रही है, और लिखित विधि के स्थान पर उन्हें अधिक अपनाती रही है । विदेशी शासन काल में यह नियमित रूप से होता रहा है । अन्तःपरिषद् (प्रिवी कौंसिल) न्याय समितियों, तथा संस्कृत से अनभिज्ञ ब्रिटिश न्यायाधीशों के निर्णयों के फलस्वरूप विद्यमान हिन्दू विधियों में बड़ी गड़बड़ी हो गई है । इसे दूर कर के और हिन्दू विधि को संहिताबद्ध कर के हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं ।

(**पंडित ठाकुरदास भार्गव** पीठासीन हुए)

ब्रिटिश न्यायाधीशों की इस गड़बड़ी के कारण अब हमारी मूल विधि अछूती नहीं बची है और हम मनु का अनुसरण न कर के मेन द्वारा संहिताबद्ध हिन्दू विधि के अनुसार चल रहे हैं । श्री वी० पी० काणे के अनुसार मिताक्षरा विधि में ऊपरी पृष्ठ को छोड़ और कुछ नहीं बचा है । अतः इस में कुछ नई बात नहीं है । पंजाब में तो हिन्दू विधि पूर्णतः रूढ़िगत विधि है । भिन्न स्थानों में विवाह के भिन्न-भिन्न रूप हैं ।

कहा गया है कि हमारी प्राचीन विधियों में तलाक नहीं है । परन्तु प्रायः सभी स्मृतियों में अनेक उपबन्ध हैं । हां, रूढ़िगत विधि के प्रभाव में बहुसंख्यक निम्न वर्गों में वे प्रयोग में नहीं आये । किसी भी प्रशासक ने उन को लोगों के ऊपर जबरदस्ती नहीं लादा । अतः आज प्राचीन विधि का कोई भी अंश अछूता नहीं बचा है ।

मंत्रालय को पता न था कि तलाक के उपबन्ध कहां ढूंढें । कात्यायन, नारद, तथा अन्य कई स्मृतियों में इस सम्बन्ध में उपबन्ध हैं । परन्तु मंत्रालय को विक्टोरिया युग के अंग्रेज़ों द्वारा घड़ा गया भारतीय तलाक अधिनियम, १८६९ ही मिला, जो केवल ईसाइयों पर ही लागू होता है । इस

विशेष विवाह विधेयक को लें। मंत्रालय को पता नहीं कि यूरोप के देश ब्रिटिश विधि को नितान्त प्रतिक्रियावादी मानते हैं पर पीढ़ियों से हम ब्रिटिश न्यायशास्त्र से प्रभावित होते चले आ रहे हैं।

मैं उच्च सदन को अंग्रज़ों की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील बन कर इस में संशोधन करने के लिये बधाई देता हूं। यदि आप को देश की प्राचीन तलाक विधि का ज्ञान नहीं है, तो ब्रिटेन की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील स्कैंडेनेविया या किसी अन्य यूरोपीय देश का अनकरण करिए, और इस विक्टोरियन विचारधारा से प्रभावित ब्रिटिश विधि को छोड़ दीजिये। उस के अनुकरण पर हम ने खंड १३ (५) में उपबन्ध रखा है कि "यदि सात या अधिक वर्ष तक किसी पक्ष को या जिन को पता लगना चाहिये, दूसरे के जीवित रहने का पता न चले" यह ब्रिटिश विधि की नकल है। हमारे यहां नारद, कौटिल्य आदि ने डाक-तार आदि आधुनिक साधनों से रहित उस युग में भी तीन ही वर्ष की अवधि रखी थी, परन्तु हम ने बिना सोचे विचारे ब्रिटिश उपबन्ध को अपना लिया है।

कौटिल्य ने कहा है कि पति-पत्नी के बीच परस्पर घृणा होने पर सहमति से विवाह विच्छेद हो जाना चाहिये। स्कैंडेनेविया में सहमति से ऐसा करने का उपबन्ध है। अतः आशा है कि १८६९ के तलाक अधिनियम में पर्याप्त परिवर्तन किये जायेंगे। इस विधेयक द्वारा हमें एक एकरूप व्यवहार-विवाह-अधिनियम का शिलान्यास करना चाहिये।

श्री त्रिवेदी ने कहा था कि इसे इस्लाम पर क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? मैं कहूंगा कि हमारा धर्म ३००० वर्ष पुराना है और इस कारण हमारी विधियों में गड़बड़ी फैल गई है और ये धर्म अपेक्षतया कहीं नए हैं। फिर अन्य समुदायों को लेने से पहले हमें स्वयं अपनी विधि सुधारनी चाहिये। इस्लाम में स्त्रियों को अपेक्षतया अधिक संरक्षण मिला हुआ है, और हमारी देखा-देखी ये नए धर्म भी अपनी विधि सुधारने लगेंगे।

आपने कुष्ठ तथा यौन-रोगों को तलाक के कारणों में रखा है। प्रवर-समिति की एक बैठक में एक प्रेक्षक के रूप में मैं ने आपत्ति की थी कि कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के लिये यह उपबन्ध रखना ठीक नहीं है। वह क्षय, यौन-रोग तथा अन्य भीषण रोगों जितना बुरा नहीं है। अतः इस विषय में विशेषज्ञ का परामर्श ले कर ही उपबन्ध रखे जाने चाहियें। आप ने प्रवर समिति में एक भी डाक्टर या मनोवैज्ञानिक नहीं रखा। तभी हमारी विधियां समय से पीछे रहती हैं। हम अगले ५० वर्षों के लिय विधि बना रहे हैं, जिनका सामाजिक दृष्टिकोण हमारी अपेक्षा भिन्न होगा। अतः हमें यथार्थनिष्ठ विधियां ही बनानी चाहियें।

हमारे संविधान ने स्त्रियों को विधित समानता प्रदान की है, परन्तु सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना यह व्यर्थ है। चीन से हमारा यही अन्तर है कि वहां आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र स्त्रियों के लिये विधियां बनती हैं। आर्थिक स्वातंत्र्य के बिना नारी-स्वातंत्र्य का कोई मूल्य नहीं है। हमारी विधि सरल होनी चाहिये। न्यायिक पार्थक्य, रद्द होना, दांपतिक अधिकारों का प्रतिस्थापन जैसी पुराने ढंग की बातों में वर्ष लग जाते हैं। न्यायालय में जा कर आज्ञप्ति लो। फिर अपील हो और तारीखें पड़ें और तब कहीं अन्तिम निर्णय हो सके। इस से धन और शक्ति का भारी अपव्यय होता है।

"जीवन और शरीर को खतरे में डालने वाली निर्दयता" शब्द भी मुझे अचंभे में डाल रहा है। कोई व्यक्ति प्रति दिन चपत आदि

[डा० जयसूर्य]

लगा कर अपनी पत्नी का अपमान कर सकता है और उस के जीवन को नरक बना सकता है, पर यह उक्त निर्दयता न होगी ।

हमारे न्यायाधीशों की पृष्ठभूमि वही नहीं है जो उन न्यायाधीशों की थी जिन्होंने विधि बनाई थी । उस विधि के निर्वचन के सम्बन्ध में, आप उन से अंग्रेज़ों के सामाजिक विचार जाने बिना ही अंग्रेज़ों के विचारानुसार निर्वचन चाहते हैं । इस कमी के कारण ही बहुत से मामलों में यथोचित न्याय नहीं हुआ है । ठीक निर्वचन के लिये सामान्य सांस्कृतिक स्तर का होना आवश्यक है । १८६९ के अधिनियम का प्रयोग करने से पूर्व आप को यह पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी । अथवा यदि आप इतने पर भी १८६९ के अधिनियम को मानते हैं, तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये कि क्या अंग्रेज़ कोई नवीन विवाह-विच्छेद विधि बना रहे हैं । मैं चाहता हूं कि आप इसे और सरल बनायें क्योंकि रूढ़िगत विधि अधिक सरल हो सकती है । इस के सरल तथा प्रत्यक्ष होने से निर्धन लोग इस का प्रयोग करेंगे ।

मेरा विचार है कि विधि मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि "मैं धीरे धीरे जल्दी करना चाहता हूं ।" सतर्कता तथा साहस के प्रति क्रमानुसार यह एक बड़ी ही साहसपूर्ण व सतर्क निवेदन है । कभी कभी यह "धीरे धीरे जल्दी करना" रेंगने के उद्देश्य से ही रेंगना हो सकता है । हमारे समक्ष बड़ी बड़ी समस्यायें हैं । हमारा नाश दो बातों से हुआ है : चरित्र के सम्बन्ध में सेन्ट पौल के विचारों ने योरोप का नाश किया है, तथा चरित्र सम्बन्धी हमारे प्राचीन विचारों ने हमें नपुंसक बना दिया है । हमें आधनिक, विचारवान्, युक्तियुक्त दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा । यह आप केवल विधि को सरल बनाने से कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : श्रीमती खोंगमेन ।

श्रीमती खोंगमेन (स्वायत्त जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): श्रीमान्, भारत की नारियों की ओर से मैं इस विधेयक का, जो माननीय विधि मंत्री ने प्रस्तुत किया है, स्वागत करती हूं । क्योंकि विधि का रूप धारण करने पर यह विधेयक इस देश की नारियों को अब तक न दी गई रक्षा तथा अधिकार देगा । एक दिन माननीय विधि मंत्री को यह कहते सुन कर कि आसाम तथा अजमेर के राज्यों का मत है कि अभी ऐसे विधान का समय नहीं आया है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । जहां तक मेरे राज्य, आसाम, का सम्बन्ध है, मैं माननीय विधि मंत्री से कह सकती हूं कि महिला समिति तथा स्त्रियों से जो मुझे पत्र प्राप्त हुए हैं, उन से यह प्रकट हो जायेगा कि वास्तविक मत इस के उलटा है । मुझे विश्वास है कि यहां मेरे मित्र जो आसाम निवासी हैं, इस बात से सहमत होंगे कि आसाम की अधिकतर जनता इस विधेयक के पक्ष में है । आसाम की अनेकों लोक संस्थाओं, पदाधिकारियों तथा प्रमुख व्यक्तियों ने, जिन से हिन्दू कोड बिल पर १९४५ तथा १९४७ में परामर्श लिया गया था, जो मत दिये थे उन से मैं देखती हूं कि उन में से अधिकतर इस के पक्ष में थे ।

श्री आर० के० चौधरी (गोहाटी) : विवाह-विच्छेद के पक्ष में ?

श्रीमती खोंगमेन : हिन्दू कोड के पक्ष में । कल तथा आज की चर्चा में हम सुन चके हैं कि अधिकतर किस प्रकार स्त्रियों के साथ गृह-सम्पत्ति या रसोई-सेवक के रूप में व्यवहार किया जाता है । दीर्घकालीन आपदायें तथा सौजन्यता के होते हुए भी, स्त्रियां महसूस करती हैं कि अब इस प्रकार का विधान बनना चाहिये । मैं यहां उन की मांग

का पूर्ण समर्थन करती हूं। अब देश भर की नारियों को अपने अधिकारों का मूल्य अधिकारों का बोध हो गया है। हमें भी साहसपूर्ण यह स्वीकार करना चाहिये कि हमारी स्त्रियों के प्रति पुरुषों का व्यवहार यथोचित नहीं होता और न ही उन्हें पुरुषों की बनाई विधियों से न्याय मिलता है। सम्भव है कि कुछ व्यक्तियों को शंका हो कि स्त्रियों की स्वतंत्रता के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन में अप्रसन्नता तथा संकट आ जायेगा, परन्तु अनभव इस के विरुद्ध होगा। मैं उन्हें आश्वासन दे सकती हूं कि स्त्रियों का स्वभाव तथा भावना ही ऐसी होती है कि वे पुरुषों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर सकती दूसरी ओर, स्वातन्त्रय प्राप्त होने पर स्त्रियां अपने घर, बालकों तथा विस्तृत रूप में अपने देशवासियों की यथासम्भव सर्वोत्तम रूप में सेवा करेंगी। उदाहरणार्थ, हम खासी व जैन्तिया पहाड़ियों के संयुक्त ज़िले की स्त्रियों को, जो बालकों, भूमि, चल व अचल सम्पत्ति तथा प्रत्येक अन्य वस्तु की स्वामी हैं, ले सकते हैं। वे अपनी पसन्द के पुरुष से विवाह कर सकती हैं तथा पारस्परिक अनुसंधि से आसानी से विवाह-विच्छेद कर सकती हैं। इतने पर भी, वे अपने पतियों के प्रति उतनी ही भक्ति-भावना जितनी कि इस देश में अन्य पत्नियां, रखती हैं। वहां की स्त्रियां चाहती हैं कि उन के घर में प्रसन्नता का वास हो तथा उन के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न तथा सन्तुष्ट हो। वे विवाह-विच्छेद के लिये न्यायालय में बहुत कम जाती हैं। कुछ अत्यन्त गम्भीर मामलों में यदि वे जाती भी हैं तो इस का कारण सदैव ही पुरुष की ओर से उपेक्षा तथा निर्दयता का व्यवहार होने का होता है।

श्रीमान् मैं यह कह कर समाप्त करती हूं कि वहां के पुरुष भली प्रकार सन्तुष्ट हैं, और यदि किसी परिवर्तन के लिये जनगणना की जाये तो उन में से ९९ प्रतिशत परिवर्तन के विरुद्ध मत देंगे। अतः ऐसे विधेयक को पारित करने में हिचकिचाहट का मझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। अतः मैं इस सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करती हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

सभापति महोदय : पहले मैं श्री मूलचन्द दुबे द्वारा उठाये गये प्रश्न पर निर्णय देना चाहता हूं। जहां तक प्रश्न के इस पहलू का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य चाहते हैं कि कुछ संशोधनों पर प्रवर समिति द्वारा विचार किया जाए। यह बिलकुल ठीक है और प्रवर समिति इस पर विचार करेगी क्योंकि माननीय सदन ने इन की सूचना दी है। इस के साथ-साथ जहां तक नियम का सम्बन्ध है नियम ९२ बिलकुल स्पष्ट है। इस के अनुसार, विशिष्ट उपबन्धों पर विचार करने के लिये, अथवा अतिरिक्त उपबन्धों की व्यवस्था करने के लिये, सदन प्रवर समिति को विशेष अनुदेश, दे सकता है। माननीय सदस्य के इस संशोधन में कोई अनुदेश देने की अपेक्षा नहीं की गई है। वह यह चाहते हैं कि उन्होंने जिन अनेक संशोधनों की सूचना दी है उन पर विचार किया जाये। यदि सदन इन सब संशोधनों पर विचार करे और सदन से निर्णय करने तथा फिर प्रवर समिति को अनुदेश देने को कहा जाए, तो फिर प्रवर समिति का कोई लाभ नहीं है। यदि माननीय सदस्य किसी उपबन्ध विशेष के सम्बन्ध में प्रवर समिति को कोई अनुदेश देना चाहते हैं, तब तो मैं उन की बात समझ सकता हूं, किन्तु माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है। माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रवर समिति इस-इस पर विचार करे। प्रवर समिति प्रत्येक चीज़ पर विचार करेगी। यहां उपबन्ध यह है कि प्रवर समिति को कोई अनुदेश दिया जा सकता है। किन्तु यह संशोधन अनुदेश

[सभापति महोदय]

देने के लिये नहीं है । इस की अनुमति नियम ९२ के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती ।

श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् (गुण्टूर): हमारे पूर्वजों तथा महात्माओं ने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को विभिन्न कर्तव्य सौंपे हैं । आज स्थिति क्या है ? पुरुष अपने सारे कर्तव्यों को भूल गया है और स्त्रियों पर जो दायित्व डाले गये हैं उन का अक्षरशः पालन किये जाने पर ज़ोर देता है । हमारे देश में स्त्रियों की जो दयनीय दशा है और उन के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, वह इतना सर्वविदित है कि मुझे उस का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है । मेरा इतना कह देना पपर्याप्त होगा कि हमारे देश की स्त्रियों को एक मृत शरीर के बराबर भी मान प्राप्त नहीं है ।

माननीय श्री अनन्तशयनम अयंगार ने कहा कि वह एक विवाह के पक्ष में हैं, किन्तु तलाक के उपबन्ध के विरुद्ध हैं । उन्हों ने यह भी कहा कि यदि हम स्त्रियों को सम्पत्ति अधिकार दे दें और साथ-साथ तलाक की अनुमति भी दे दें, तो क्या पुरुष तथा स्त्रियों का साथ-साथ रहना सम्भव है ? मुझे सादर उन से कहना पड़ता है कि वह बहुत गलत-फहमी और भ्रम में हैं ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि तलाक का उपबन्ध केवल सक्षम विधान है, और यह अनिवार्य नहीं है । क्या यह कल्पना करना उचित है कि एक विशिष्ट उपबन्ध की व्यवस्था होते ही, जोकि एक सक्षम विधान है, प्रत्येक स्त्री तलाक की अर्जी ले कर अदालत में पहुंच जायेगी ? आखिर स्त्रियों में भी विवेक-बुद्धि होती है और श्री आयंगार को ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं है ।

उन्हों ने आगे कहा कि हमारे पूर्वजों ने विभिन्न प्रकार के विवाहों की अनुमति दी है, किन्तु इस विधेयक में प्रकारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । किन्तु मैं उन का ध्यान विधेयक के खंड ७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस के अनुसार :

"हिन्दू विवाह किसी भी पक्ष के प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार सम्पन्न किया जा सकता है ।"

जबकि सदियों से प्रचलित प्रथाओं को इस में सुरक्षित रखा गया है, तो इस प्रकार की शंका का कोई आधार नहीं है ।

फिर, इस प्रकार की आलोचना की गई है कि इस विधेयक से हिन्दू समाज भंग हो जायेगा । यह कहा गया है कि इस से समाज में अनैतिकता पैदा हो जाएगी । मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि विधवा, अस्पृश्यता, दहेज़ इत्यादि तत्व यदि बनाये रक्खे जायें, तो इस से हिन्दू समाज भंग होगा या नहीं ? जब देश के प्रगतिशील लोगों द्वारा इन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो धर्म के ठेकेदार 'धर्म खतरे में है' का नारा लगाते हैं । जब स्त्रियां अत्याचार तथा अभाव की मुसीबतों में कराह रही हैं और उन का आर्थिक उन्नयन ही इन कठिनाइयों से उन्हें छुटकारा दिला सकता है, तो यह दलील दी जाती है कि इस से धर्म संकट में पड़ जायेगा तथा समाज विच्छृंखल हो जायेगा । मैं अपने माननीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे देखें कि स्त्रियां किस दशा में हैं, और तब समस्त समस्या पर विचार करें । यदि हम वेश्यावृत्ति के कारणों का विश्लेषण करें तो अनेक माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट की गई शंकाओं का यह पूर्ण उत्तर होगा ।

कुछ समय पूर्व संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था और उस पर काफी बहस हुई थी, किन्तु अन्त में वह त्याग दिया गया । उस समय शंका थी कि सामान्य

निर्वाचनों में, जो शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाले थे, इस का कांग्रेस सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । आज दो वर्ष बाद हम से एक प्रस्ताव पर विचार करने को कहा जा रहा है । और यह प्रस्ताव केवल विवाह और तलाक से सम्बन्धित है ।

यदि एक बार हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि समाज पुरुष या स्त्री की हैसियत उस की सम्पत्ति के अनुसार लगाता है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम ऐसा विधान पारित करें जिस से स्त्रियों को भी सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त हो । मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शीघ्रता से काम किया जाये ।

'मूर्ख' तथा 'पागल' शब्द स्वयं में स्पष्ट नहीं हैं । ऐसा विचार अन्य सदस्यों का भी है । अतः मेरा निवेदन है कि इन शब्दों के स्थान पर 'विकृत-चित्त व्यक्ति' शब्दों का प्रयोग किया जाये । इस से सब बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जायेंगी ।

साधारण रूप से विवाह सम्बन्ध समाप्त हो जाने पर स्त्री के लिये निर्वाह व्यय की व्यवस्था की गई है लेकिन अदालती प्रथक्-करण में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । मेरा निवेदन है कि अदालती प्रथक्-करण में भी स्थायीरूप से निर्वाह व्यय की व्यवस्था होनी चाहिये ।

खंड १७ में कुछ उन मामलों का उल्लेख है जो विवाह सम्बन्ध समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होते हैं । बच्चों को जारजता के लांछन से बचाने के लिये ही शायद यह व्यवस्था की गई है । मेरे विचार में जहां तक विवाह के शून्य और व्यर्थ घोषित करने का सवाल है उस में सन्तान के माता-पिता के सम्बन्ध में कोई शंका नहीं की जायेगी । लेकिन यह रोक लगानी ठीक नहीं है कि विवाह सत्-श्रद्धा से हुआ है या नहीं या पति पत्नी या दोनों ही यह जानते हैं कि उन की भूतपूर्व पत्नी या पति की मृत्यु हो गई है । मेरा निवेदन है कि इन बातों का सन्तान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये ।

इसी खण्ड में यह भी कहा गया है कि डिग्री में बच्चों के नाम उल्लिखित होंगे । लेकिन यदि स्त्री डिग्री के समय गर्भवती है और बाद में यह प्रमाणित कर देती है कि बच्चा उसी के पति से है, तो भी, मेरे विचार में ऐसे बच्चे को संरक्षण प्राप्त होना चाहिये ।

अन्त में, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इस विधेयक को ला कर स्त्रियों पर कोई दया नहीं दिखला रहे हैं ? स्त्रियों का यह अधिकार है कि वे अपने अधिकारों के लिये लड़ें ।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन (डिन्डीगल) : कुछ सदस्यों का कहना है कि यदि यह विधेयक कानून बन गया तो लोग तलाक के लिये दौड़ पड़ेंगे । लेकिन मैं पूछती हूं कि यह आशंका क्यों है ? क्या जो लोग वर्षों से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं वे इस कानून के पारित हो जाने ही से तलाक देने लगेंगे ? यदि, वास्तव में, आप अपनी पत्नियों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वे अपना रास्ता चुन लें । इस के लिये आप को कोई शिकायत नहीं हो सकती ।

कुछ सदस्यों का यह भी कहना है कि इस से हिन्दू समाज का विनाश हो जायेगा । इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहती हूं कि हिन्दू धर्म या समाज सदियों से चला आता है । भारत में अनेक धर्म आये और चले गये किन्तु उन से हिन्दू समाज को कोई हानि नहीं हुई । अतः यह दलील देना ठीक नहीं है ।

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन]

मरुमकत्तायम विधि में आज से ३० वर्ष पूर्व यह व्यवस्था की गई थी कि सब बातों में,—तलाक, सम्पत्ति, उत्तराधिकार आदि—स्त्रियों का अधिकार पुरुषों के ही समान होगा। फिर भी, मैं दावे से कह सकती हूं कि मालाबार में तलाक के मामलों की कभी भी बाढ़ नहीं आई। वहां भी लोग आनन्द से विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

जब स्त्रियां, मंत्री, राजदूत आदि के पदों पर सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वे सम्पत्ति के सम्बन्ध में सोच विचार के काम नहीं करेंगी। स्त्रियों की सलाह वित्तीय मामलों में ली जाती है। घर का खर्च वही चलाती हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वे सम्पत्ति का प्रबन्ध ठीक से नहीं कर सकती हैं।

मैं यह स्वीकार करती हूं कि वर्तमान विधेयक में कुछ परिवर्तन किये जाने चाहियें तथा मुझे आशा है कि प्रवर समिति आवश्यक परिवर्तन करेगी। मुझे इस बात का खेद है कि स्त्री को पुरुष के साथ आर्थिक समानता देने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में शीघ्र ही इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली-उत्तर) : यह सच है कि इस विधेयक में जो उपबन्ध किये गये हैं उन में से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें आम लोग अच्छा समझते हैं; परन्तु जिस भावना से इन्हें संसद् में प्रस्तुत किया गया है, उस से जनता सहमत नहीं है। शायद बहुत से सदस्य यह समझते हैं कि जनता ने हमें 'इस कानून' को बनाने का अधिकार दे दिया है ; परन्तु मैं समझता हूं कि इस सदन को ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है। यह माना कि कांग्रेस दल के नेता ने कई बार इस विधान के पक्ष में यह मत प्रगट किया है परन्तु हम इस प्रकार का कानून बनाने के लिये वाग्बद्ध नहीं हैं।

ख़ैर, जहां तक विधेयक का प्रश्न है, मेरा यह विचार है कि जब हम विशेष विवाह अधिनियम पारित कर रहे हैं तो फिर इस कानून को बनाने की क्या आवश्यकता है ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस विधेयक के सारे अच्छे उपबन्धों को उस में शामिल कर लिया जाये और उस में उन लोगों के लिये व्यवस्था की जाये जो अपने आप को दुखी समझते हों ? उस विधेयक में ये लोग बिना किसी रुकावट के विवाह-विच्छेद कर सकते हैं ; विवाह-विच्छेद इस विधेयक के अन्तर्गत शायद कुछ कठिन हैं। जो लोग हमारे पुराने नियमों का पालन करना नहीं चाहते, जो लोग हमारे विगत काल को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते और जो यह समझते हैं कि हमारा विगत काल निकृष्ट था, उन्हें हम पूरी स्वतंत्रता दे सकते हैं। परन्तु जो लोग सन्तुष्ट हैं और जिन्हें वर्तमान सामाजिक व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं, उन्हें हमें नहीं छेड़ना चाहिये। इस विशेष विवाह विधेयक में ऐसे लोगों के लिये पर्याप्त उपबन्ध हैं जो विवाह-विच्छेद तथा अन्य सम्बन्धित बातों से लाभ उठाना चाहते हैं। यदि कुछ लोग विवाह-विच्छेद तथा विवाह सम्बन्धी कानूनों की व्यवस्था चाहते हैं तो उन के लिये अवश्य व्यवस्था की जाये, परन्तु यह सारी व्यवस्था विशेष विवाह विधेयक में हो सकती है। जहां तक एक विवाह का प्रश्न है, इस के विरोध में कोई नहीं हो सकता। वास्तव में बहु-विवाह बहुत कम प्रचलित है और इस के हमें बहुत कम उदाहरण मिल सकते हैं। कुछ लोग एक-विवाह के उपबन्ध को ले कर ही इस विधेयक का

समर्थन कर रहे हैं। लेकिन, जैसा मैं ने कहा हम इस विधेयक के सारे अच्छे उपबन्धों को विशेष विवाह विधेयक में शामिल कर सकते हैं और फिर इस की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

बहुत से लोगों ने इस कानून के गुणावगुणों की चर्चा करते समय भारत के प्राचीन विधान-निर्माताओं की आलोचना की । उन का कहना है कि मनु आदि ने विधि बनाते समय यह नहीं सोचा कि वे क्या बना रहे हैं । तो इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहूंगा कि उन लोगों ने स्मृतियां आदि बनाई हैं वे कोई आज कल के कानून जैसी चीज़ नहीं हैं । ये तो केवल व्यवहार सम्बन्धी कुछ नियम हैं, जो साधारण जनता द्वारा अनुसरित किये जाने के लिये बनाये गये थे । किसी न्यायालय में स्मृतियों के आधार पर लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाता था । परन्तु इन स्मृतियों में हमारे लिये कुछेक आदर्श एवं उदाहरण रखे गये थे ताकि हम अपना जीवन इन्हीं उद्देश्यों को सामने रख कर व्यतीत करें । लोगों का यह दोष लगाना ग़लत है कि मनु ने जाति विशेष के लिये ही कानून बनाये हैं ; यदि ऐसा होता तो हमारी पुरानी सभ्यता हज़ारों वर्षों से वैसी प्रतिष्ठित ही नहीं बनी चली आती और हमारे यहां बड़े-बड़े ऋषियों और महा-पुरुषों का जन्म नहीं हुआ होता । तो मेरा कहना केवल यह है कि हम इस वर्तमान क़ानून को केवल उन्हीं लोगों तक सीमित रखें जो इस व्यवस्था के अन्तर्गत अपने आप को पंजीबद्ध कराना चाहते हों। विशेष विवाह विधेयक के अन्तर्गत ऐसा उपबन्ध है जिस के अनुसार वे लोग भी, जिन के विवाह को १५ या २० वर्ष हो चुके हैं, अपने आप को पंजीबद्ध करा सकते हैं और अगले दिन ही विवाह-विच्छेद करा सकते हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि इस क़ानून की कोई आवश्यकता नहीं है; इस विधेयक के सारे अच्छे उपबन्धों को विशेष विवाह विधेयक में शामिल किया जा सकता है ।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक मुझे याद है हिन्दू संहिता का यह उद्देश्य था कि विधि को संहिताबद्ध तथा एक-रूप बनाया जाये । परन्तु इस विधेयक में इन दोनों में से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता ।

उद्धरण तो पारस्परिक विरोधी सुझावों के लिये भी दिये जा सकते हैं । जब विवाह एक पवित्र बन्धन था तब भी वह हिन्दू विधि थी जब उसे संविदा मान लिया गया तब भी हिन्दू विधि थी और आज विवाह-विच्छेद के लिये जो उपबन्ध किया जा रहा है वह भी हिन्दू विधि है।

हिन्दू संहिता के सम्बन्ध में यह चर्चा की गई थी कि वह हिन्दू विधि नहीं वरन् कुछ और है । परन्तु आज जिन उद्धरणों का उल्लेख किया गया है उन के अनुसार यह सब हिन्दू विधि है। अतः वेदों, स्मृतियों के आधार पर हमें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिये ।

निस्सन्देह हमें सुधार करने का अधिकार है । परन्तु विधियों में समाज की सभ्यता के स्तर का प्रतिबिम्ब होना चाहिये । ज्यों ज्यों हम उन्नति करते हैं हमारी सभ्यता की प्रगति होती है । उसी के अनुकूल विधि होनी चाहिये । हमारे विधि मंत्री ने ठीक कहा है कि यह विधान तभी सफल हो सकता है जबकि सामान्य जनता इस का समर्थन करे । उन के अनुसार अब जनता की प्रवृत्ति बदल चुकी है और वह इस सुधार की इच्छुक है यद्यपि वह पहले इन विधेयकों का अत्यधिक विरोध करती रही है परन्तु वस्तुतः जनता का अभिमत नहीं बदला वरन् सरकार ने अपनी प्रवृत्ति को बदला है । बेशक कहा जाता है कि यह हिन्दू संहिता का ही एक अंश है परन्तु यह उस संहिता का एक पूरा

[सरदार हुक्म सिंह]

भाग भी नहीं है । अब तो कोई भी व्यक्ति सिविल विवाह या धार्मिक विवाह जो चाहे कर सकता है । अतः इस में न तो एकरूपता है और न ही संहिताबद्ध करने का प्रयास । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारी कठिनाइयां दूर हो गई हैं और कि जनता विधेयक का समर्थन करने लगी है । विधि का रूढ़ियों पर प्रभाव रहा है और रूढ़ियां भी चलती रही हैं । यदि ये रूढ़ियां चलती रहती हैं तो इस विधेयक का क्या लाभ है । इस सरकार ने व्यवहार्यतः हिन्दू संहिता को छोड़ दिया है । हमें विधि मंत्री ने इस विधेयक के तीन मुख्य उद्देश्य बताये हैं । एक जातपात का अन्त है । यह अच्छा है । देश इस के लिये तैयार है । पहले भी ऐसे विवाह हो रहे हैं जो प्राचीन आदर्शों के प्रतिकूल हैं । अतः इस उपबन्ध की आवश्यकता ही थी ।

दूसरी बात एक विवाह व्यवस्था संबन्धी है और मैं इस से भी सहमत हूं कि देश इसे स्वीकार करेगा ।

जहां तक विवाह-विच्छेद का सम्बन्ध है मैं इस बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं । मैं उपाध्यक्ष के इस मत से सहमत नहीं हूं कि एक विवाह की व्यवस्था का कुछ वर्ष प्रयोग करने के पश्चात् यदि आवश्यकता हो तो विवाह विच्छेद को लागू किया जाये । मैं तो समझता हूं कि विवाह विच्छेद एक विवाह व्यवस्था का उप-सिद्धान्त ही है । एक विवाह व्यवस्था के साथ ही विवाह विच्छेद भी चलेगा । यह आवश्यक है । मेरा आक्षेप यह है कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती तो उस के पश्चात् विवाह विच्छेद का उपबन्ध होना चाहिये था, उस से पहले नहीं । यहां महिला सदस्य सब संघठित हैं क्योंकि वे उन अल्पसख्यकों में से आई हैं जो प्रगतिशील और शिक्षित हैं । परन्तु पुरुष सदस्यों में कुछ रूढ़िवादी हैं और कुछ अशिक्षित भी हैं ।

यदि नारी को आर्थिक स्वतंत्रता न दी गई तो इस विधान का कोई लाभ नहीं होगा । आर्थिक स्वतंत्रता का यह अभिप्राय नहीं कि उसे पिता की सम्पत्ति में भाग मिलें । जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है मैं ने, बख्शी टेक चन्द ने और सभवतः आप ने भी यह कहा था कि उसे ससुर की सम्पत्ति में भाग मिलना चाहिये । अन्यथा बहुत सी उलझनें पैदा होंगी । मैं इस बात पर भी ज़ोर देना चाहता हूं कि सदा ही किसी परिवार में इतनी पर्याप्त सम्पत्ति नहीं होती जिस के भाग द्वारा लड़की को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके ।

पश्चिमी देशों में तो यह उपबन्ध है कि जिस व्यक्ति के पास कोई रोज़गार न हो वह कर्मशाला में जा सकता है । इस प्रकार पोषण का कुछ प्रबन्ध हो जाता है ।

हमारे समाज में लड़कियां अशिक्षित हैं । यदि अशिक्षित और आर्थिक दृष्टि से परतंत्र लड़की के साथ विवाह विच्छेद किया गया तो उस का क्या बनेगा ?

सभापति महोदय : यदि उसे पति की आधी सम्पत्ति मिलनी हो तो कौन विवाह-विच्छेद करेगा ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि पति के स्वयं अपने पास सम्पत्ति न हो तो उसे क्या मिलेगा । उस के पास न तो शिक्षा है और न ही जीविका कमाने के अन्य साधन । मुझे श्री रोहिणी कुमार चौधरी की एक बात याद आ गई कि जब लड़कियों को समानाधिकार मिल गये हैं तो उन्हें लड़कों की अपेक्षा अधिक नौकरियां मिलती हैं । लड़की को नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् केवल अपनी देख रेख करनी होती है जबकि लड़का अपनी

पत्नी, बूढ़ी मां, और अन्य का पालन पोषण करता है । इस से बेकारी बढ़ रही है । इस बात को तो रहने दीजिये, परन्तु यदि लड़की अशिक्षित हो और वह नौकरी प्राप्त न कर सके तो उसे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

श्री जांगड़े की यह भी शिकायत है कि उन के क्षेत्र में पुरुष स्त्रियों के दास हैं तथा उन्हें स्त्रियों से छुटकारा दिलाया जाना चाहिये । माननीय विधि मंत्री को प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये ।

हमें बताया गया है कि हमारी महिलाओं की बहुत समय से दुर्दशा रही है, परन्तु मैं निर्भय हो कर कह सकता हूं कि स्त्रियां हमारे घरों की सम्राज्ञी समझी जाती रही हैं । यह एक सत्य है कि हमारी महिलायें वर्तमान प्रणाली से बहुत सन्तुष्ट रही हैं । यह भी सत्य है कि जिन देशों में तलाक़ की प्रथा है, वहां लोगों के विचार से समस्या का हल नहीं हुआ है तथा उन में यह जानने की इच्छा रही है कि क्या हमारे विवाह उन से अधिक सुख्य रहते हैं या नहीं। फिर भी अब जबकि हम एक क़दम उठा चुके हैं, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला-शिमला) : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मुझे इस विधेयक की भावना तथा भाषा से सन्तोष नहीं है । जहां तक विधेयक की भावना का सम्बन्ध है, यह विधेयक हमारे समाज के ढांचे को छिन्न भिन्न करता है । ऐसा जान पड़ता है कि विवाह के उद्देश्य की उपेक्षा कर दी गई है । निस्सन्देह सन्तान प्राप्ति विवाह का मुख्य उद्देश्य है । इस के अतिरिक्त सामाजिक सम्पर्क भी इस का दूसरा मुख्य उद्देश्य है । विवाह से मनुष्य की कई प्रकार की इच्छाओं की नियंत्रित ढंग से पूर्ति होती है जनन-काल के बाद वैवाहिक सम्पर्क अनिवार्य होता है । और भी कई ऐसी विचारणीय बातें हैं जिन से विवाह को कभी भंग नहीं होने देना चाहिये । बुद्धिमत्ता, शिष्टता तथा सदाचरण के नाम पर मैं आप से अनुरोध करता हूं कि यदि समाज में कोई त्रुटियां हैं तो आप अवश्य उन्हें दूर करें, परन्तु विवाह को केवल लोगों की भ्रान्ति तथा कल्पना आदि से ही विघटित कर दिये जाने के मैं सर्वथा विरुद्ध हूं । मुझे विशेषत: उन स्त्रियों पर दया आती है जो आज ऐसे ढंग से बातें कर रही हैं जैसे कि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकारपत्र दिया जा रहा हो । क्या वे इस देश में ऐसी स्त्रियों तथा बच्चों की भरमार करना चाहती हैं जिन्हें कोई चाहने वाला न हो । आप विवाह पर युवावस्था की दृष्टि से ही विचार न करें आप इस पर वृद्धावस्था के दृष्टिकोण से भी विचार करें, जब शारीरिक आकर्षण समाप्त हो जाता है । हम इस समय एक भार्यात्व पर अनुरोध कर सकते हैं, परन्तु तलाक़ के नारे को हमें अभी उठा रखना चाहिये । मुझे खेद है कि भाषा के विचार से भी वे विवाह को विघटनीय बनाये जाने की अपनी इच्छा को छुपा नहीं सके हैं । खण्ड १३ में जो भाषा प्रयुक्त की गई है, यदि आप उस के एक एक शब्द को देखें तो मालूम होगा कि आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं । इस में आप पर-पुरुष या पर-स्त्री भोग को विवाह-विच्छेद का कारण नहीं बना रहे हैं ।

अब यदि कोई धनवान स्त्री किसी पुरुष को अपने पास रख ले तो भी धारा १३(१) के अन्तर्गत उसे तलाक़ नहीं दिया जा सकता है । तीसरे खण्ड पर विचार करें तो 'वेश्या जीवन' की अभी तक परिभाषा नहीं की जा सकी है । यदि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष से कोई धन नहीं लेती है, परन्तु वह अनेक पुरुषों से भोगविलास करती है तो ऐसी दशा में आप की विधि निरर्थक सी हो जाती है । यदि तलाक़ वांछनीय

[श्री टेक चन्द]

वस्तु है तो आप ने उस व्यक्ति के लिए क्या किया है जिस का जीवनसाथी पर-स्त्री-भोग या पर-पुरुष-भोग करता है ?

उपधारा (३) में विवाह को विकृत मस्तिष्क होने या कुष्ट रोग से पीड़ित होने के कारण विघटनीय घोषित किया है । क्या आप ऐसे अभागों को सामाजिक लाभ से भी वंचित कर देंगे । यह बात तो समझ में आ सकती है कि उपखण्ड (३) तथा (४) में ऐसी परिस्थिति को सामने रखा जाय जिस में न्यायिक रूप से अलग रहने की व्यवस्था हो ।

उपखण्ड (५) में यह व्यवस्था है कि किसी पक्ष के सात वर्ष तक जीवित रहने का पता न लगे तथा किसी ने उस के जीवित होने के बारे में न सुना हो तो तलाक़ दिया जा सकता है । इस से तो कोई व्यक्ति पांच वर्ष के बाद एक पत्र लिख कर तलाक़ के परिणामों से बच सकता है । इस उपखण्ड का क्या लाभ है । यदि इस का कहीं नाम सुना जाये या उस के जीवित होने की बात सुनी जाय तो तलाक मिलना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

इस के बाद आप खण्ड १५ को लीजिये । विवाह के तीन वर्ष के पश्चात् तक तलाक के लिये कोई प्रार्थनापत्र नहीं दिया जा सकेगा । अब यदि कोई हिन्दू पत्नी विवाह के तुरन्त बाद कोई और धर्म ग्रहण कर ले तो पुरुष को तीन वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यदि स्त्री वेश्या भी बन जाती है तो पुरुष को तीन वर्ष तक उस के लज्जाहीन चरित्र को सहन करना पड़ेगा । यदि उस का इतना पतित आचरण है तो उस के लिये पुरुष को इतने वर्ष दण्डित नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री बिस्वास : आप कितनी भी सावधानी से कोई कानून क्यों न बना लें, श्री टेक चन्द जैसे योग्य वकील की सहायता से उसे निष्फल किया जा सकता है ।

श्री टेक चन्द : अब आप अपने परिभाषा वाले खण्ड को देखिये । उस में कहा गया है कि दो भाइयों या दो बहिनों के बच्चे प्रतिषिद्ध पीढ़ियों के अन्तर्गत आते हैं, परन्तु यदि वे एक भाई और एक बहिन के बच्चे हैं, तो वे प्रतिषिद्ध पीढ़ियों में नहीं आते हैं । इसी प्रकार की एक ग़लती विशेष विवाह विधेयक में आ गई थी और उसे दूर कर दिया गया था । प्रवर समिति से संबंधित माननीय सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिये । खंड ३ (क) में 'रिवाज' और 'प्रथा' दो शब्दों का प्रयोग किया गया है । वस्तुतः इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है । फिर एक ही चीज़ के लिये दो अलग अलग शब्द क्यों रखे गये हैं ? इसी प्रकार कई और स्थानों पर भी शब्दों को दूसरे रूपों में दुहराया गया है । यह ठीक नहीं है ।

अभी बहुत कुछ और कहना बाक़ी है, परन्तु समय समाप्त हो जाने के कारण, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

राज्य परिषद् से सन्देश

सचिव : मझे सदन को सूचना देनी है कि राज्य परिषद् ने अपनी ८ मई, १९५४ की बैठक में संशोधित रूप में पारित विशेष विवाह विधेयक, १९५४ की एक प्रति भेजी है ।

विशेष विवाह विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य परिषद् द्वारा पारित विशेष विवाह विधेयक को सदन पटल पर रखता हूं ।

इस के पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।